Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences, Lucknow

First Regulation
July 29, 2011

क्रम-संख्या—175

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 जुलाई, 2011
श्रावण 7, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या : 2683/71-2-11-1028/83
लखनऊ, 29 जुलाई, 2011

अधिसूचना

महत्वपूर्ण/सयमबद्ध

संख्या-2791 /71-2-11-1028/83

प्रेषक,

अजीत प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2011

विषय- संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की प्रथम विनियमावली 2011 के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1983 (अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) की धारा-41 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति के अधीन संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की प्रथम विनियमावली अधिसूचना संख्या-2683/71-2-11-1028/83 दिनांक 29 जुलाई, 2011 द्वारा सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) दिनांक 29-7-2011 में प्रकाशित की जा चुकी है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अजीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

संख्या- (1)/71-2-11-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव. श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अजीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

E/Pankaj/Sunil Sir Go

क्रम-संख्या—175

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 जुलाई, 2011

श्रावण 7, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या : 2683/71-2-11-1028/83

लखनऊ, 29 जुलाई, 2011

अधिसूचना

सा0प0नि0–56

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) की धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल संस्थान की निम्नलिखित प्रथम विनियमावली बनाते हैः–

संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
प्रथम विनियमावली, 2011

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) यह विनियमावली संजय गॉधी, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान प्रथम विनियमावली 2011 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2 1– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में:–

(एक) अधिनियम' का तात्पर्य संजय गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 से है,

(दो) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य धारा–11 में यथा उपबंधित संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष से है,

(तीन) 'विभागीय पदोन्नति समिति' का तात्पर्य विभागीय पदोन्नति समिति से है,

(चार) 'विभाग' का तात्पर्य संस्थान के किसी शैक्षणिक विभाग से है,

(पॉच)संकाय सदस्य' का तात्पर्य अध्यापन कर्मचारि वर्ग से है और जिसमें प्रतिष्ठित आचार्य, पारंगत आचार्य, ख्याति प्राप्त आचार्य, ज्येष्ठ आचार्य, आचार्य, अपर आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य सम्मिलित है,

(छः) वित्तीय हस्तपुस्तिका' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्राधिकारी द्वारा जारी वित्तीय हस्तपुस्तिका से है,

(सात) 'मूल नियम' का तात्पर्य सरकारी सेवकों के लिए यथा प्रयोज्य मूल नियमों से है,

(आठ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(नौ) 'नियमावली' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1991 से है,

(दस) 'अनुसूची' का तात्पर्य इस विनियमावली में संलग्न अनुसूची से है,

(ग्यारह) 'धारा' का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है,

(बारह) 'भर्ती वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह महीने की अवधि से है।

(2) इस विनियमावली में प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जैसा कि उनके लिए अधिनियम और नियमावली में समनुदेशित है।

अध्याय–दो
अधिकारी और कृत्यकारीगण

अध्यक्ष 3 **अध्यक्ष के कृत्य और शक्तियॉ**

अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि अधिनियम, नियमावली और इस विनियमावली की अनुसूची एक और दो में उपबंधित है।

निदेशक 4 **(क) नियुक्ति/चयन का माध्यम**

धारा–41(1)(ज). संस्थान के कुलाध्यक्ष द्वारा निदेशक की नियुक्ति की जायेगी।

(ख) अहर्ता

निदेशक को किसी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्था में आचार्य/सह आचार्य/उपाचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष अध्यापन अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, जिसमें कम से कम पॉच वर्ष किसी विभाग में आचार्य के रूप में होना चाहिए। चिकित्सा राहत, चिकित्सा शोध, चिकित्सा शिक्षा अथवा लोक स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव और प्रशासनिक अनुभव और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा संस्था को इसके अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष के रूप में चलाने का पर्याप्त अनुभव रखने वालों को अधिमान दिया जा सकता है।

(ग) सेवाकाल

निदेशक अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु पैसठ वर्ष पूर्ण करने तक जो भी पहले हो के लिए पदभार ग्रहण करेगा।

(घ) निदेशक की शक्तियॉ और कर्तव्य –

(एक) निदेशक, शैक्षणिक परिषद, चिकित्सालय परिषद और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, और इन समितियों को संचालित करने अथवा अधिवेशन बुलाए जाने की शक्ति होगी।

(दो) वह शासी निकाय का उपाध्यक्ष होगा।

(तीन) वह संस्थान के समूह–'ख', 'ग' और 'घ' वर्ग के कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा, और ऐसे परिसीमन और निर्बन्धनों के अधीन जैसा वह उचित समझे, इस शक्ति का प्रतिनिधायन अपने नियंत्रणाधीन ऐसे अधिकारियों/अधिकारी को कर सकता है।

(चार) 'विभाग' का तात्पर्य संस्थान के किसी शैक्षणिक विभाग से है,

(पॉच)संकाय सदस्य' का तात्पर्य अध्यापन कर्मचारि वर्ग से है और जिसमें प्रतिष्ठित आचार्य, पारंगत आचार्य, ख्याति प्राप्त आचार्य, ज्येष्ठ आचार्य, आचार्य, अपर आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य सम्मिलित है,

(छः) वित्तीय हस्तपुस्तिका' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्राधिकारी द्वारा जारी वित्तीय हस्तपुस्तिका से है,

(सात) 'मूल नियम' का तात्पर्य सरकारी सेवकों के लिए यथा प्रयोज्य मूल नियमों से है,

(आठ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(नौ) 'नियमावली' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1991 से है,

(दस) 'अनुसूची' का तात्पर्य इस विनियमावली में संलग्न अनुसूची से है,

(ग्यारह) 'धारा' का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है,

(बारह) 'भर्ती वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह महीने की अवधि से है।

(2) इस विनियमावली में प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जैसा कि उनके लिए अधिनियम और नियमावली में समनुदेशित है।

अध्याय–दो
अधिकारी और कृत्यकारीगण

अध्यक्ष

3 **अध्यक्ष के कृत्य और शक्तियॉ**

अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि अधिनियम, नियमावली और इस विनियमावली की अनुसूची एक और दो में उपबंधित है।

निदेशक
धारा–41(1)(ज).

4 **(क) नियुक्ति/चयन का माध्यम**

संस्थान के कुलाध्यक्ष द्वारा निदेशक की नियुक्ति की जायेगी।

(ख) अहर्ता

निदेशक को किसी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्था में आचार्य/सह आचार्य/उपाचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष अध्यापन अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, जिसमें कम से कम पॉच वर्ष किसी विभाग में आचार्य के रूप में होना चाहिए। चिकित्सा राहत, चिकित्सा शोध, चिकित्सा शिक्षा अथवा लोक स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव और प्रशासनिक अनुभव और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा संस्था को इसके अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष के रूप में चलाने का पर्याप्त अनुभव रखने वालों को अधिमान दिया जा सकता है।

(ग) सेवाकाल

निदेशक अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु पैसठ वर्ष पूर्ण करने तक जो भी पहले हो के लिए पदभार ग्रहण करेगा।

(घ) निदेशक की शक्तियॉ और कर्तव्य –

(एक) निदेशक, शैक्षणिक परिषद्, चिकित्सालय परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, और इन समितियों को संचालित करने अथवा अधिवेशन बुलाए जाने की शक्ति होगी।

(दो) वह शासी निकाय का उपाध्यक्ष होगा।

(तीन) वह संस्थान के समूह–'ख', 'ग' और 'घ' वर्ग के कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा, और ऐसे परिसीमन और निर्बन्धनों के अधीन जैसा वह उचित समझे, इस शक्ति का प्रतिनिधायन अपने नियंत्रणाधीन ऐसे अधिकारियों/अधिकारी को कर सकता है।

(चार) अधिनियम, नियमावली और इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–एक के निबन्धन में निदेशक विभागाध्यक्ष होगा और विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अन्य बातों के साथ–साथ नीचे उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगाः–

(क) वह संस्थान के प्रशासन का प्रभारी होगा और संस्थान के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कर्तव्य आवंटित करेगा और ऐसे पर्यवेक्षण और कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग करेगा जैसा आवश्यक हो।

(पॉच) उसे संस्थान के संकाय सदस्यों, रेजीडेंट्स, छात्रों, प्रशिक्षुओं और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को उस प्रकार से, जैसा वह संस्थान अथवा इसके चिकित्सालय की कार्य–प्रणाली के लिए ठीक समझे, उपयोग करने की शक्ति होगी।

(छः) वह संस्थान द्वारा या इसके विरुद्ध विधि वादों अथवा प्रकियाओं में संस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा, पावर्स ऑफ अटार्नी हस्ताक्षरित करेगा और अभिवचन सत्यापित करेगा या संस्थान के किसी अधिकारी को इस प्रयोजनार्थ अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनियुक्त करेगा और उस अधिकारी को इन कर्तव्यों को निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत करेगा।

(सात) वह असीमित अवकाश के बिना क्लिनिकल, अध्यापन और शोध कर्तव्यों का निष्पादन जारी रख सकता है, और ड्यूटी लीव, सम्मेलन में भागीदारी विद्यार्जन संसाधन भत्ता, शोध अनुदान आदि जैसे कि किसी अन्य संकाय सदस्य को उपलब्ध हों, के साथ–साथ विभिन्न परिलब्धियों और सुविधाएं उपभोग करने का पात्र होगा।

(आठ) शासी निकाय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अधीन निदेशक को परीक्षकों, विशेषज्ञों, निरीक्षकों, अनुसीमकों (माडरेटर्स) आदि को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(नौ) समस्त शोध प्रस्ताव चाहे वे संस्थान द्वारा निधिकृत किये जाने हों या बाह्य स्रोत अथवा दोनों के द्वारा, निदेशक के अनुमोदन के पश्चात ही उपक्रमित किये जायेंगे।

(दस) अनुसूची एक व दो में यथा उल्लिखित अन्य शक्तियॉ।

(ग्यारह) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन भी करेगा जैसा कि समय–समय पर संस्थान, शासी निकाय और अध्यक्ष के द्वारा उसे प्रत्यायोजित अथवा समनुदेशित किये जाएं।

अपर निदेशक
(धारा–9 (छ) और नियम–6)

5 **(क) नियुक्ति/चयन का माध्यम**

अपर निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जायेगी।

(ख) अपर निदेशक की शक्तियॉ और कर्तव्य

(एक) अपर निदेशक, निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(दो) वह संस्थान के सामान्य प्रशासन जैसे कि नियुक्ति और कार्मिक मामले, निर्माण, अनुरक्षण उपापन इत्यादि के लिए उत्तरदायी होगा।

(तीन) वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि निदेशक द्वारा उसे समनुदेशित किये जायं।

(चार) वह संस्थान और सरकार के मध्य समन्वय करेगा।

(पांच) वह संस्थान के सभी कानूनी निकाय बैठकों के लिए विशेष आमंत्रित व्यक्ति होगा।

(छः) वह अनुसूची एक के स्तम्भ 4 में यथा उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा।

संकायाध्यक्ष 6 (क) चयन/नियुक्ति का माध्यम

[धारायें 9 (घ), 14 (1) और 41 (1)(ज)]

(एक) शासी निकाय द्वारा संस्थान के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ज्येष्ठता के आधार पर संस्थान के आचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी यदि उसे शासी निकाय द्वारा संस्थान के संकायाध्यक्ष के पद से च्युत, जिसके लिए लिखित में तीन महीने से अन्यून की नोटिस दे दी गयी हो, न किया जाय।

(दो) आचार्य के रूप में अधिवर्षता पर कोई व्यक्ति संकायाध्यक्ष का पद धारित करने से प्रविरत हो जायेगा।

(तीन) इस विनियमावली के प्रारम्भ पर संकायाध्यक्ष का पदधारित करने वाला कोई व्यक्ति अपने पदधारण के शेष कार्यकाल के अवसान अथवा अधिवर्षिता की आयु तक, जो भी पहले हो, पदधारण करता रहेगा।

(चार) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो अथवा बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से जब संकायाध्यक्ष कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षम हो, तब उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन अध्यक्ष द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट संस्थान के ज्येष्ठतम आचार्य द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

परन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को विभागाध्यक्ष होने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हताएं अवश्य धारित करनी चाहिए।

[धारा–14 (2), और धारा 41 (1)(ज)]

(ख) संकायाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य

संस्थान के संकायाध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा:

(एक) वह संस्थान में अध्यापन, प्रशिक्षण, और शोध के सम्बन्ध में समस्त कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा;

(दो)वह निदेशक के नियंत्रणाधीन सभी शैक्षणिक गतिविधियों का प्रभारी होगा;

(तीन) वह सभी छात्रों के प्रवेश और सभी परीक्षाओं का समन्वय करेगा;

(चार)वह निदेशक को शैक्षणिक पुरस्कार पारितोषिक आदि की संस्तुतियाँ अग्रसारित करेगा;

(पाँच)वह निदेशक के नियंत्रण और दिशा–निर्देश के अधीन शोध से सम्बन्धित कार्य का समन्वय करेगा;

(छः) वह समुचित प्राधिकारियों को शोध प्रस्ताव प्रेषित करेगा, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से निधियों की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव निदेशक के अनुमोदन के पश्चात ही प्रेषित किये जायेंगे;

(सात) वह विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्त अन्य मामले, जिसमें शैक्षणिक कार्यों के व्यवहार के प्रस्ताव सम्मिलित हैं, अपनी संस्तुतियों सहित निदेशक को अग्रसारित करेगा;

(आठ)वह छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए छात्रवृत्ति पुस्तिका और मुफ्त सहायता के पुरस्कार से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

(नौ) वह शैक्षणिक बोर्ड के अनुमोदनार्थ सभी मामले निदेशक को अग्रसारित करेगा;

(दस) वह छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा और अनुशासनहीनता के लिए छात्रों को दण्डित करने की उसे शक्ति होगी तथा ऐसी कार्यवाहियों के लिए निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होगा;

(ग्यारह) वह विभिन्न विभागों में सहयोगी शोध तथा शैक्षणिक गतिविधियों के लिये उत्तरदायी होगा;

(बारह) वह ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी शासी निकाय द्वारा उसे समनुदेशित की जायें;

(तेरह) वह सभी कानूनी निकायों जैसे संस्थान, शासी निकाय, तथा वित्तीय समिति में आमंत्रित किया जायेगा;

(चौदह) वह ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमावली के साथ–साथ अनुसूची एक तथा दो में अधिकथित की गयी हो या जो समय–समय पर निदेशक द्वारा उसे समनुदेशित की जायंय

(पन्द्रह) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों को सम्पादित करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा विनियमावली में विहित किया गया हो इसमें अनुसूची एक व दो सम्मिलित है या निदेशक द्वारा समय–समय पर उसे जैसा समनुदेशित किया जाय।

वित्त अधिकारी 7

धारा–41 (1)(ज)

(क) नियुक्ति/चयन का माध्यमः

संस्थान के वित्त अधिकारी की नियुक्ति अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(ख) वित्त अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यः

जैसा कि अधिनियम में अधिकथित हो।

कार्यपालक कुलसचिव 8

धारा–16 (1)व नियम (6)

(क) नियुक्ति का माध्यमः

कार्यपालक कुल सचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर अथवा सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। कार्यपालक कुलसचिव की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विनियमावली में विहित की जायें।

(ख) कार्यपालक कुल सचिव की शक्तियों और कर्तव्यः–

जैसा कि अधिनियम में अधिकथित हों।

विभागाध्यक्ष 9

धारा–41 (ज)

(क) नियुक्ति/चयन का माध्यम

विभागाध्यक्ष उक्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार उस विभाग का ज्येष्ठतम आचार्य होगा परन्तु यदि किसी विभाग में कोई आचार्य नहीं है, तब ज्येष्ठतम संकाय सदस्य, जो सह आचार्य से न्यून श्रेणी का न हो, विभाग का अध्यक्ष होगा।

परन्तु यह और कि जहाँ किसी विभाग का ज्येष्ठतम व्यक्ति स्वेच्छा से प्रत्याहरित कर लेता है और सह आचार्य की श्रेणी से ऊपर या नीचे कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो, तब शासी निकाय किसी दूसरे विभाग के संकाय सदस्य को उस विभाग के अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित करेगी;

परन्तु विभागाध्यक्ष के रूप में शासी निकाय द्वारा पदाभिहित कोई व्यक्ति भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा विभागाध्यक्ष के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं अवश्य धारित करेगा।

धारा–41 (झ)(ज)

(ख) शैक्षणिक विभाग के अध्यक्ष की शक्तियों और कर्तव्य

अधिनियम, नियमावली और इस विनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन तथा निदेशक के नियंत्रण के अध्यधीन शैक्षणिक विभाग के अध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी और निम्नलिखित कर्तव्यों का निष्पादन करेगा :–

(एक) विद्या परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पाठ्य परिषद् द्वारा की गयी संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानकों के अनुसार वह विभाग के संकाय सदस्यों के परामर्श से अपने विभाग में अध्यापन कार्य को संगठित करेगा;

(दो) चिकित्सालय परिषद् और सांविधिक निकायों के विनिश्चयों के अनुसार और विभाग के संकाय सदस्यों के परामर्श से वह विभाग की क्लिनिकल सेवाओं को संगठित करेगा;

(तीन) वह अपने विभाग के भीतर शोध की समस्त प्रगति के लिए उत्तरदायी होगा ;

(चार) वह अपने विभाग की वर्तमान सम्पत्ति के स्टाक्स के रख–रखाव हेतु उत्तरदायी होगा और शासी निकाय द्वारा यथा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा, तथा;

(पाँच) उसकी अनुपस्थिति में अगला ज्येष्ठतम संकाय सदस्य विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

धारा 22 (1) और 41 (1)(ज)

10 नियुक्ति की रीतिः– (1) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति निदेशक की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा आचार्य और ज्येष्ठ आचार्य में से की जायेगी;

(2) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कार्यकाल इस रूप में कार्य प्रारम्भ करने के दिनांक से दो वर्ष का होगा;

(3) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निष्पादन निदेशक से सीधे नियंत्रण में करेगा;

(4) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की शक्तियां और कर्तव्यः

(क) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक चिकित्सालय प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) वह चिकित्सालय परिषद का सदस्य सचिव होगा और इसके विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

ग) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे :–

(एक) चिकित्सालय का अनुरक्षण और रख–रखाव करना;

(दो) संबंधित विभागाध्यक्षों से परामर्श करना और चिकित्सालय कर्मचारियों जैसे नर्स, तकनीशियनों और चिकित्सालय के अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के कार्य निष्पादन और अनुशासन को बनाये रखना;

(तीन) रोगी से संबंधित गतिविधियों जैसे आहार सेवायें, लाण्ड्री सी एस एस डी, अभियांत्रिकी, फार्मेसी, रोगी कल्याण और चिकित्सालय लेखों आदि का अनुश्रवण करना;

(चार) रोगी देखभाल, चिकित्सालय प्रशासन और वित्तीय प्रबंध के लिए प्रभावी निर्णय लेने में सहायता देने के लिए सम्पूर्ण चिकित्सालय की सुसंगत सूचनायें देने वाली चिकित्सालय प्रबन्धन प्रणाली का उपाय करना;

(पांच) समय से विशिष्ट गुणवत्ता की सेवायें प्रदान किया जाना सुनिश्चित करना;

(छह) रूग्णता और मृत्युदर को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सर्वोत्कृष्ट रोगी देखभाल न्यूनतम लागत पर उपलब्ध कराने के लिए नियोजन, संगठन, कर्मचारि संरचना, समन्वय, नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से चिन्तन करना;

(सात) निदेशक द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कर्तव्यों का निष्पादन करना;

(5) चिकित्सालय में तैनात समस्त वित्त एवं लेखा कार्मिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सीधे नियंत्रण में होगें;

(6) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक चिकित्सालय के विज्ञान प्रबन्धन के लिए भी उत्तरदायी होगा और वह स्वास्थ्य प्रशासन में संरत कार्मिकों के ज्ञान और कौशल को भी अद्यतन रखेगा;

(7) जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पद रिक्त हो या जब वह रूग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में असमर्थ हो तो उसके पद की शक्तियों और कृत्यों का सम्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आचार्य से अनिम्न श्रेणी का हो, किया जायेगा जिसे निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये।

चिकित्सा अधीक्षक

10-क (1) नियुक्ति की रीतिः

(क) चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(ख) चिकित्सा अधीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यताओं में

(एक) एम0बी0बी0एस0 उपाधि

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रशासन/चिकित्सा प्रबन्धन में स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता/स्नातकोत्तर योग्यता और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समकक्ष 14 वर्षो का अध्यापन अनुभव।

(2) चिकित्सा अधीक्षक की शक्तियॉ और कृत्यः

(क) वह चिकित्सालय प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(ख) उसे निदेशक के नियंत्रण के अध्यधीन निम्नलिखित शक्तियॉ होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा :–

(ग) वह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन चिकित्सालय का अनुरक्षण और रख–रखाव करेगा;

(घ) वह चिकित्सालय के कर्मचारियों जैसे नर्स, तकनीशियन और चिकित्सालय के अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारि वर्ग के कार्य निष्पादन और अनुशासन को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ड.) चिकित्सा अधीक्षक द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ का अधिष्ठान कार्य देखा जायेगा। निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जानी वाली समस्त पत्रावलियां और प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से भेजे जायेगे।

(च) वह रोगी से सम्बन्धित गतिविधियों जैसे आहार सेवाएं, रोगी कल्याण, बिल लेखा तैयार करना आदि के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जब चिकित्सा अधीक्षक का पद रिक्त या वह रूग्णता, अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन मे असमर्थ हो तो उसके पद की शक्ति और कृत्यों का निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जिसे निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
धारा 22 (3) और 41 (1)(ज)

11. (क) नियुक्ति/चयन का माध्यम

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की अर्हताएं और नियुक्ति की विधि ऐसी होगी जैसा कि शासी निकाय द्वारा अवधारित किया जाय।

(ख) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की शक्तियां और कर्तव्य

(1) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) संस्थान के सामान्य प्रशासन तथा कार्मिक अनुभाग की देखभाल करेगा।

(2) वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए अपर निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन)
धारा 22 (3) और 41 (1)(ज)

12 (क) नियुक्ति/चयन का माध्यम

संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन) की अर्हताएं और नियुक्ति की विधि ऐसी होगी जैसा कि शासी निकाय द्वारा अवधारित किया जाय।

(ख) संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन) की शक्तियां और कर्तव्य

(1) संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन):–

(क) सामग्री प्रबन्धन अनुभाग का अध्यक्ष होगा और निदेशक के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा;

(ख) उच्च स्तरीय कय समिति तथा कय समिति का सदस्य सचिव होगा य

(ग) अपने अधीन कार्यरत सभी श्रेणी के स्टाफ के मध्य कार्य निष्पादन बनाए रखने तथा अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) को ऐसी अन्य शक्तियॉ होंगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो समय–समय पर उसे निदेशक द्वारा समनुदेशित किए जायें।

(2) जब संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन) का पद रिक्त हो अथवा जब बीमारी, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा उसके पद के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा जैसा कि अपर निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय।

मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष धारा 41 (1) (ज) और 41 (1)(ट)

13 (क) नियुक्ति/चयन का माध्यम

(1) निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर बनने वाली चयन समिति की संस्तुतियों पर अध्यक्ष द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा,

(क) निदेशक, जो समिति का सभापति होगा;

(ख) संकायाध्यक्ष;

(ग) सभापति, पुस्तकालय समिति, और

(घ) तीन विशेषज्ञ, जिनमें से एक अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में से होगा।

(2) नियुक्ति के लिये मुख्य पुस्ताकालयाध्यक्ष द्वारा धारित की जाने वाली अर्हताएं ऐसी होंगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाय।

(ख) मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्यः–

(1) वह संस्थान के पुस्तकालय का अनुरक्षण करेगा और इसकी सेवाओं को संगठित करेगा;

(2) वह पुस्तकालय समिति के सभापति के माध्यम से निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।

अध्याय–तीन

संस्थान की बैठकें

धारा 6 और 41 (1)(क)

14 संस्थान की बैठकें और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन

(1) संस्थान की सामान्य बैठक के लिए, सचिव, बैठक के कम से कम 15 दिन पहले प्रत्येक सदस्य को बैठक का समय और स्थान अभिकथित करते हुए एक नोटिस भेजेगा,

(2) कोई सदस्य जो बैठक में किसी संकल्प का प्रस्ताव करना चाहता है, सचिव को संकल्प के निबन्धन भेजेगा जो उसके पास बैठक के लिए नियत दिनांक के दस दिन पूर्व, न कि उसके बाद पहुँच जाय,

(3) सचिव, बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व एक कार्य सूची भेजेगा जिसमें बैठक में लाए जाने वाले कार्य, ऐसे सभी प्रस्तावित संकल्पों के निबन्धन जिसकी नोटिस लिखित रूप में पहले ही उसे पहुँच गई हो,

(4) कोई सदस्य जो कार्यसूची में सम्मिलित किसी भी प्रस्ताव में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव करना चाहता है, संशोधन के निबन्धन सचिव को भेजेगा जो उसके (सचिव) के पास बैठक के लिए नियत दिनांक से चार दिन पूर्व न कि उसके बाद पहुँच जाय, और;

(5) यदि कोई संशोधन लाए जायं, तो सचिव बैठक के लिए नियत दिनांक से कम से कम तीन दिन पहले सभी प्रस्तावित प्रस्ताव और संशोधनों को प्रदर्शित करते हुए एक पुनरीक्षित कार्यसूची जारी करेगा;

(6) संस्थान की असाधारण बैठक अध्यक्ष द्वारा संस्थान के अत्यावश्यक कार्य के संव्यवहार के लिए किसी भी समय बुलाई जा सकती है;

(7) संस्थान की असाधारण बैठक संस्थान के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा करने पर अध्यपेक्षा किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर बुलाई जायेगी, ऐसी अपेक्षा के साथ ऐसे संकल्प या संकल्पों के निबन्धन जिनका प्रस्ताव किया जाना आभयित हो, और ऐसे प्रत्येक संकल्प के प्रस्तावक और समर्थक के नामों को भी संलग्न किया जायेगा;

(8) असाधारण बैठक की दशा में, सचिव बैठक के समय और स्थान के बारे में प्रत्येक मामले की परिस्थिति के अनुसार पूर्व सूचना भेजेगा और ऐसे मामलों में वह बैठक की सूचना के साथ कार्यसूची पत्र भी जारी करेगा;

(9) कोई मामला जिस पर संस्थान की बैठक में पहले ही विनिश्चय कर लिया गया हो, विचार के लिए पुनः नहीं लाया जायेगा या उस पर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जायेगा जब तक छः माह की अवधि समाप्त न हो जाय, सिवाय ऐसे मामलों के जिसमें अध्यक्ष का यह समाधान हो जाय या सरकार यह निर्देश दे कि संस्थान के हित में उक्त मामलें पर पुनर्विचार करना अपेक्षित है;

(10) कोई संकल्प, प्रस्ताव, संशोधन या कोई अन्य कार्य का मामला, जिसकी पूर्व सूचना न दी गयी हो, सिवाय अध्यक्ष की विशेष अनुमति के संस्थान के समक्ष नहीं लाया जायेगा;

(11) संस्थान की असाधारण बैठक में कोई भी सदस्य पूर्व नोटिस दिये बिना कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकता है;

(12) सचिव संस्थान के निदेशक के निर्देशों के अधीन संस्थान की प्रत्येक बैठक के लिए कार्यसूची का प्रारूप तैयार करेगा और अध्यक्ष कार्यसूची को उसमें ऐसे परिवर्तन यदि कोई हों, करने के पश्चात जिन्हें वह आवश्यक समझें, अनुमोदित करेगा, और;

(13) संस्थान की बैठक की कार्यसूची में धारा–8 में विनिर्दिष्ट संस्थान के कृत्यों से सम्बन्धित मामलें सम्मिलित किये जा सकते हैं;

(14) संस्थान की सभी बैठकों में सभापति को सम्मिलित करते हुए 51 प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी;

(15) बैठक के नियत समय पर सचिव इस बात का ध्यान रखेगा कि क्या गणपूर्ति संख्या उपस्थित है और यदि बैठक के अधिसूचित समय के पश्चात 30 मिनट के भीतर गणपूर्ति संख्या पूरी न हो तो बैठक कोई कार्य संव्यवहार किये बिना स्थगित कर दी जायेगी;

(16) ऐसी स्थगित बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा ऐसी बैठक के दिनांक से कम से कम 7 दिन पूर्व पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर, फैक्स या किसी अन्य उपयुक्त तरीके से भेजी जायेगी;

(17) प्रत्येक प्रस्ताव का स्वरूप सकारात्मक होगा और उसे समर्थित किया जाना आवश्यक है और ऐसे सदस्य के नाम के किसी प्रस्ताव को जो बैठक में अनुपस्थित हो या जो उसे प्रस्तावित करने से इंकार करें, किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है;

(18) बैठक में रखे गये सभी मामलों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत से किया जायेगा और किसी भी विषय पर मतदान कराने में सभापति सदस्यों से हाथ खड़ा करके पहले सकारात्मक मत और बाद में नकारात्मक मत उपदर्शित करने के लिए कहेगा और तदनुसार परिणाम घोषित करेगा जिसे कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किया जायेगा, और;

(19) बैठक में अध्यक्षता करने वाला सभापति मत देने का हकदार होगा और मत बराबर होने की दशा में सभापति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा;

(20) वित्त सचिव को संस्थान की प्रत्येक बैठक में आमंत्रित किया जायेगा। अध्यक्ष भी संस्थान के किसी भी अधिकारी को संस्थान की किसी भी बैठक में आमंत्रित कर सकता है। सभी विशेष आमंत्रित और आमंत्रित किए जाने पर बैठक में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्ति जो संस्थान के सदस्य न हो, विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(21) संस्थान का कोई कार्य अध्यक्ष की सहमति से सभी सदस्यों और अध्यक्ष को कागज–पत्र परिचालित करके संचालित किया जा सकता है और यदि सर्वसम्मिति से अनुमोदन कर दिया जाय और कार्यवाही कर दी गयी है तो संकल्प और उस पर की गई कार्यवाही को संस्थान की अगली बैठक के समक्ष सूचनार्थ रखा जायेगा;

(22) संस्थान की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त सचिव द्वारा कार्यवृत्त पुस्तक में जो इस प्रयोजन हेतु लिए उसके द्वारा रखी जायेगी लेखबद्व किया जायेगा और उस पर बैठक के सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और बैठक के पश्चात यथा संभव शीघ्र सदस्यों को परिचालित किया जायेगा, और पुष्टि किये जाने के लिए संस्थान के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखा जायेगा, और;

(23) बैठक का सभापति संस्थान के किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिसका उपबन्ध इस विनियमावली में न किया गया हो, संस्थान के कार्य संचालन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रकिया का विनिश्चय करेगा।

अध्याय–चार

शासी निकाय

धारा 18(1)(छ), 41(1) (ख) और नियम 7] 15. (क) शासी निकाय के गठन से सम्बन्धित मामले:–

(1) धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए निदेशक; अध्यक्ष, विभागाध्यक्षों और अन्य संकाय सदस्यों की सूची उनकी ज्येष्ठता के कम में भेजेगा;

(2) अध्यक्ष उक्त सूची से धारा 18 की उपधारा (1) के उपर्युक्त खण्ड और नियम 7 के अनुसार ज्येष्ठता कम में बारी–बारी से दो व्यक्तियों को विभागाध्यक्ष होने के नाते और दो व्यक्तियों को संकाय सदस्य होने के नाते नाम निर्दिष्ट करेगा, औरय

(3) पश्चात्वर्ती रिक्तियों जिसके अन्तर्गत आकस्मिक रिक्तियां भी सम्मिलित है अध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त विनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट प्रकिया के अनुसार ज्येष्ठता कम में बारी–बारी से भरी जायेंगी ।

धारा 19 (2)(ञ) (ख) शासी निकाय की शक्तियों और कृत्य:–

(1) अधिनियम नियमावली और इस विनियमावली के उपबन्धो के अध्यधीन शासी निकाय को इसमें निहित समस्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात ;

(क) संस्थान के संकाय सदस्यों और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की अर्हताओं, कर्तव्यों और सेवा शर्तों का अवधारण करना और राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन उनकी परिलब्धियाँ नियत करना ;

(ख) परीक्षकों की फीस, परिलब्धियाँ और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना ;

(ग) छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, पदक, पारितोषिक और अन्य पुरस्कार प्रदान करना ;

(घ) इस विनियमावली और इसकी अनुसूची में यथा अधिकथित शक्तियों का प्रयोग करना ;

(ङ) समितियों, कोष्ठकों और परिषदों आदि का सृजन करना, संस्थान के कार्य कलापों को सुविधाएं प्रदान करना ।

(2) शासी निकाय वित्तीय दायित्वों से निहित किसी प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व वित्त समिति की राय प्राप्त करेगा।

(3) शैक्षणिक कार्यकमों के दायित्वों के किसी प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व शासी निकाय विद्या परिषद् की राय प्राप्त करेगा।

(4) चिकित्सालय कार्यकमों के दायित्वों के किसी प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व शासी निकाय चिकित्सालय परिषद की राय प्राप्त करेगा ।

धारा 19(3) और

41(1)(50) (ग) शासी निकाय के कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया:

(1) अपने कार्य से संव्यवहार के लिए शासी निकाय अध्यक्ष द्वारा यथा आवश्यक समझी गयी प्रायः बैठक करेगी, किन्तु प्रत्येक चतुर्थांश में कम से कम एक बार बैठक करेगी ;

(2) सदस्यों को प्रेषित किये जाने से पूर्व शासी निकाय की प्रत्येक बैठक के लिये कार्य सूची अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन सचिव द्वारा तैयार की जायेगी और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जायेगी ;

(3) शासी निकाय की सभी बैठकों में शासी निकाय की कुल सदस्य संख्या का आधा गणपूर्ति होगी और जब तक गणपूर्ति पूर्ण न हो जाय तब तक शासी निकाय की बैठक में कोई कार्य संव्यवहार नही होगा ;

(4) शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेगा ;

(5) शासी निकाय की बैठक में प्रस्तुत किये गये सभी मामले उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे और मतों के बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति का समर्थक अथवा निर्णायक मत होगा ;

(6) शासी निकाय का कोई कार्य, अध्यक्ष की सहमति से अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को पत्रों के संचरण के माध्यम से व्यवहृत किया जायेगा। संकल्प तथा उस पर की गयी कार्यवाही पुष्टिकरण के लिए शासी निकाय की अगली बैठक में रखा जायेगा ;

(7) शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त सचिव इस प्रयोजनार्थ उसके द्वारा अनुरक्षित कार्यवृत्त पुस्तिका में अंकित करेगा और सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जाएगें। बैठक के पश्चात यथासंभव शीघ्र इसे सदस्यों को परिसंचरित किया जायेगा और विनिश्चय के लिए शासी निकाय के समक्ष इसकी अगली बैठक में रखा जायेगा।

अध्याय पांच

धारा 20(2)(छ), 20(2)(सात) और धारा 41(1)(ख) 16 (क) <u>विद्या परिषद् का गठन</u>

(1) निदेशक, अधिनियम की धारा 20 की उपधारा(2) के खण्ड (छः) और (सात) और नियम–8 के उपबंधों के अनुसार विद्या परिषद् में सह आचार्यों/सहायक आचार्यो का ज्येष्ठता क्रम में चकानुक्रम में नाम निर्देशन करेगा और नाम निर्देशन इस विनियमावली के अधीन संस्थान में सम्यक् रूप से अनुरक्षित ज्येष्ठता सूची से किये जायेंगे और कार्यपालक कुलसचिव द्वारा इस प्रयोजन के लिए निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) ऐसे व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (2) के खण्ड(चार) और ,खण्ड (आठ) और नियम–8 के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये गये हों, को विद्या परिषद् में अन्य कार्यकाल के लिए तब तक नाम निर्दिष्ट नही किया जायेगा जब तक अन्य समस्त पात्र व्यक्तियों के नाम निर्देशन पर विचार नही कर लिया जाता है।

(3) अधिनियम की धारा 20 के उप–धारा (2) के खण्ड (आठ) के अधीन चयनित अथवा उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड(चार) और (छः) तथा (सात) के अधीन नाम निर्दिष्ट किसी सदस्य का कार्यकाल उसी समय समाप्त हो जायेगा जैसे ही वह पदधारण करने से प्रवरित हो जाता है जिस निमित उसका चयन अथवा नाम निर्देशन विद्या परिषद् में किया गया था।

(4) इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 20 की उपधारा (2) के खण्ड (आठ) के अधीन चयनित और खण्ड (चार) (छः) तथा (सात) के अधीन विद्या परिषद् में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति आपने कार्यकाल की शेष अवधि तक पद धारण करेंगे, मानो की वे इस विनियमावली के अधीन नाम निर्दिष्टि या चयनित किये गये हों।

(5) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की कोई रिक्ति या आकस्मिक रिक्ति धारा 20 की उपधारा (2) की उपबंधों के अनुसार यथा स्थिति नाम निर्देशन या चयन करके भरी जायेगी।

(6) पद छोड़ने वाला सदस्य पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर यथा स्थिति किसी अन्य व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट या चयनित न कर दिया जाय।

(7) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य लिखित रूप में स्वयं हस्ताक्षर से विद्या परिषद् के सभापति को अपना पद त्याग कर सकता है, जो बदले में उसे विद्या परिषद् को अग्रसारित कर देगा।

(8) किसी सदस्य को सभापति के अनुमोदन से विशेष आमंत्री के रूप में विद्या परिषद में आमंत्रित किया जा सकता है।

धारा 20(4)(ग) (ख) विद्या परिषद की अन्य शक्तियाँ और कृत्य:

उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन विद्या परिषद् के पास स्वयं में निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात :–

(एक) पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्ताव की समीक्षा करना नये पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करना ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश से सम्बंधित पात्रता तथा ऐसे पाठ्यक्रमों की अवधि और विहित पाठ्यक्रम के पाठ्य विषय को प्रकाशित करना;

(दो) संस्थान के विभिन्न उपाधियों और डिप्लोमाओं तथा अन्य पाठ्यक्रम हेतु विशिष्ट विषयों के अनुदेश देने वाले व्यक्तियों द्वारा धारण किये जाने हेतु अपेक्षित अर्हताओं के सम्बंध में शासी निकाय को परामर्श देना ;

(तीन) संस्थान में अध्यापन और शोध सम्बन्धी पदों के सृजन, समापन और निलम्बन से सम्बंधित मामलों में शासी निकाय को परामर्श देना ;

(चार) अन्य संस्थाओं की उपाधियों, डिप्लोमाओं और अन्य पाठ्यक्रमों के मान्यता से सम्बन्धित मामलों में शासी निकाय को परामर्श देना ;

(पांच) सिद्धान्तों और मानदंडों की संस्तुति करना जिनके आधार पर परीक्षकों की नियुक्ति शासी निकाय के विचारार्थ की जा सकती है ;

(छः) शासी निकाय द्वारा उसे सन्दर्भित किसी मामले में रिर्पोट देना;

(सात) संस्थान के शैक्षणिक विभागों के संगठन और उनके विषयों के समनुदेशन के लिए योजनाओं का सूत्रपात, उपान्तर या पुनरीक्षण किया जाना और ऐसे विभागों के समापन, मान्यता या विभाजन अथवा ऐसे एक या अधिक विभागों के संविलियन की समीचीनता के संबंध में शासी निकाय को रिर्पोट देना;

(आठ) संस्थान के भीतर शोध को प्रोत्साहित करना और ऐसे शोध के रिर्पोटों की समय–समय पर अपेक्षा करना;

(नौ) संकाय के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अध्यापन प्रशिक्षण और शोध से सम्बंधित प्रस्तावों पर विचार करना ;

(दस) छात्रों और प्रशिक्षणार्थियों से फीस और प्रभारों की दरों के सम्बन्ध में शासी निकाय को संस्तुति देना;

(ग्यारह) विभागों को स्थापित करने तथा शोध एवं विशिष्ट अध्ययनों आदि को संस्थित करने के लिए शासी निकाय को प्रस्ताव करना ;

(बारह) अध्येतावृत्तियों, यात्रा अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों या किसी विन्यास निधि या व्याख्यान तिथि को संस्थित करने के लिए शासी निकाय को प्रस्ताव करना ;

(तेरह) परीक्षाओं का समुचित स्तर बनाये रखने की दृष्टि से शासी निकाय को समुचित संस्तुतियाँ करना;

(चौदह) संस्थान के विभागों के लिए अतिरिक्त भौतिक सुविधाओं और अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग के सृजन के लिए शासी निकाय को संस्तुति करना;

(पन्द्रह) अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक अभिकरणों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित मामलों में विचार करना;

(सोलह) उसके स्वंय के पहल पर या शासी निकाय द्वारा उसे सन्दर्भित किये जाने पर सामान्य शैक्षणिक हित के समस्त मामलों में विचार करना और शासी निकाय को रिर्पोट करना ;

(सत्रह) शैक्षणिक मामलों के सम्बन्ध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का निष्पादन करना जो अधिनियम, नियमावली और इस विनियमावली के उपबंधों को समुचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

धारा 41(1)(ङ.) **(ग) विद्या परिषद् के कार्य संचालन की प्रक्रिया:**

(1) विद्या परिषद् अपने कार्य के संव्यवहार के लिए उतनी बार जितना कि निदेशक द्वारा आवश्यक समझा जाय, किन्तु त्रैमास में सामान्यतः एक बार संस्थान के परिसर में या ऐसे स्थान, दिनांक और समय पर जैसा कि निदेशक द्वारा नियत किया जाय, बैठक कर सकती है य

(2) सभापति और सदस्य सचिव सहित विद्या परिषद् के किसी कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत सदस्यों से उस परिषद् के किसी कार्यभार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति गठित होगी और यदि कोई गणपूर्ति न हो तो बैठक स्थगित कर दी जायेगी ;

(3) विद्या परिषद् के किसी बैठक में समस्त विनिश्चय, सभापति सहित बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जायेंगे और मतों के समान होने की स्थिति में सभापति के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा ;

(4) विद्या परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों की रूपरेखा, संकायाध्यक्ष द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ उसके द्वारा अनुरक्षित और बैठक के सभापति द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवृत्त पुस्तिका में तैयार की जायेगी और बैठक के पश्चात् इसका परिचालन सदस्यों को यथाशीघ्र किया जायेगा और उसे पुष्टिकरण हेतु विद्या परिषद् के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखा जायेगा, और य

(5) इस विनियमावली में स्पष्ट रूप से अनुपबंधित मामले में विद्या परिषद् के कार्य के संव्यवहार के लिए किसी मामले के सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया विषयक सभापति का विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय छः

वित्त समिति

धारा 21(1)(घ) और धरा 41(1)(ख) 17 **(क) वित्त समिति के गठन से सम्बन्धित विषय:**

(1) धारा 21(1) (घ) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उसके शासी निकाय की सदस्यता से प्रवरित हो जाने पर तुरन्त समाप्त हो जायेगी ;

(2) वित्त समिति में किसी रिक्ति (पदेन सदस्य से भिन्न अन्य सदस्य) जो हुई हो या जिसके होने की संभावना हो, के संबंध में धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसार शासी निकाय के सदस्य के नाम निर्देशन के लिए निदेशक द्वारा शासी निकाय को शीघ्रता पूर्वक सूचित किया जायेगा;

(3) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति, धारा 21 की उपधारा (1) की खण्ड (घ) के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशन द्वारा भरी जायेगी;

(4) पद छोडने वाला कोई सदस्य उस पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर किसी सदस्य के रूप में अन्य व्यक्ति को नाम निर्दिष्टि न कर दिया जाय ।

(5) यदि कोई रिक्ति छः मास से अधिक अवधि तक न भरी जाय तो इस तथ्य की ओर अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट किया जाय।

धारा–41 (1)(ड़.)

(ख) वित्त समिति की कार्य संचालन की प्रकिया

(1) वित्त समिति अपने कार्य के संव्यवहार के लिए उतनी बार जितना कि निदेशक द्वारा आवश्यक समझा जाय, किन्तु त्रैमास में कम से कम एक बार संस्थान के परिसर में या ऐसे स्थान दिनांक और समय पर जैसा कि सभापति द्वारा नियत किया जाय बैठक करेगी;

(2) सभापति और सदस्य सचिव सहित वित्त समिति के कुल सदस्यों के अनधिक आधे सदस्यों से कार्यभार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति गठित होगी और यदि कोई गणपूर्ति न हो तो बैठक स्थगित कर दी जायेगी;

(3) निदेशक वित्त समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा;

(4) किसी संकल्प, प्रस्ताव या कार्यवार के अन्य विषय, जिनके सम्बन्ध में पूर्व सूचना न दी गई हो को सभापति की विशेष अनुमति के सिवाय वित्त समिति के समक्ष नहीं लाया जायेगा;

(5) वित्त समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्त की रूपरेखा, सचिव द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ उसके द्वारा अनुरक्षित और बैठक के सभापति द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवृत्त पुस्तिका को बैठक के पश्चात यथासंभव शीघ्र परिचालित की जायेगी और उसे पुष्टिकरण हेतु वित्त समिति के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखा जायेगा;

(6) इस विनियमावली में स्पष्ट रूप से अनुबंधित मामलों में वित्त समिति के कार्य के संव्यवहार के लिए किसी मामले के सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रकिया विषयक सभापति का विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय सात

समितियां और परिषदों

सामान्य धारा 41(1)(ख) और 41(1)(ड.)

18 (1) शासी निकाय अपने सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, स्वयं समीक्षा की शर्तो सहित ऐसी शर्तो और सीमाओं, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के अध्यधीन अधिनियम के अधीन किसी समिति या परिषद् या अपने द्वारा नियुक्त अन्य निकाय को अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों, जैसा कि वह उचित समझें को प्रत्यायोजित कर सकता है;

(2) शासी निकाय अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों के निर्वहन के दौरान उठने वाले किसी प्रश्न को, समुचित समिति या परिषद् या अन्य निकाय जिसे वह नियुक्त करे, को संदर्भित कर सकता है और जहां इस प्रकार संदर्भित किया जाय वहां शासी निकाय उस पर कोई विनिश्चय करने के पूर्व समिति या परिषद् या उस निकाय की रिर्पोट, संस्तुतियों और सुझावों पर विचार करेगा य

(3) शासी निकाय द्वारा गठित कोई समिति या परिषद् या निकाय, केवल ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसे शासी निकाय द्वारा अपने नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन तथा ऐसी सीमाओं और निर्बंधनों, जैसा कि शासी निकाय द्वारा अधिरोपित किया जाय, के अध्यधीन समनुदेशित किये जाये;

(4) किसी समिति या परिषद् या निकाय की बैठक में समस्त प्रश्नों का विनिश्चय, बैठक के उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतो के बराबर होने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

चिकित्सालय परिषद् धारा 41(1)(ख) और 41(1)(ड.)

19 (1) संस्थान के चिकित्सालय के रोगी देखभाल और चिकित्सालय के कृत्यों से सम्बंधित मामलों में संस्तुतियॉ करने के लिए एक चिकित्सालय परिषद् होगा,

(2) शासी निकाय चिकित्सालय परिषद् को उसके नियंत्रण के अधीन और ऐसे परिसीमन और निर्बन्धनों के अधीन जैसा यह अधिरोपित करना उचित समझे, रोगी देखभाल से

सम्बंधित कतिपय विनिर्दिष्ट मामलों में और चिकित्सालय के प्रबंधन से सम्बंधित विनिश्चय करने के लिए शक्ति भी समनुदेशित कर सकता है।

(3) चिकित्सालय परिषद् में निम्नलिखत सदस्य होंगे; अर्थात् :–

निदेशक, जो चिकित्सालय परिषद् का सभापति होगा;

(क) अपर निदेशक;

(ख) संकायाध्यक्ष;

(ग) एक आचार्य;

(घ) एक अपर आचार्य;

(ड.) एक सह आचार्य;

(च) एक सहायक आचार्य।

उपरोक्त (ग) से (च) के सदस्यों का नाम निर्देशन, निदेशक द्वारा दो वर्ष के लिए ज्येष्ठता कम में चकानुकम से किया जायेगा;

(क) वित्त अधिकारी;

(ख) संयुक्त निदेशक (प्रशासन);

(ग) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश;

(घ) निदेशक/अध्यक्ष बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ;

(ड.) मुख्य परिचर्या अधिकारी/संस्थान का परिचर्या अधीक्षक;

(च) विभागाध्यक्ष, औषधि, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ;

(छ) विभागाध्यक्ष, शल्य चिकित्सा, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊय

(ज) एक सदस्य उपभोक्ता फोरम;

(झ) प्रमुख सचिव, विधि विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने हेतु विशेष सचिव, विधि विभाग, उ0प्र0 शासन;

(ञ) संस्थान निकाय का एक सदस्य, जो संसद/उत्तर प्रदेश की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य हो, जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो;

(ट) चिकित्सा अधीक्षक, जो चिकित्सालय परिषद् का सदस्य सचिव होगा।

(4) नाम निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षो के लिये होगा;

(5) चिकित्सालय परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी और वह उतनी बार बैठक करेगा जितना कि निदेशक द्वारा आहूत किया जायेगा।

(6) चिकित्सालय परिषद् की बैठकों के लिए सूचना ऐसे चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी की जायेगी, जो कार्यवाही पुस्तिका में बैठक के कार्यवृत्त को भी अनुरक्षित रखेगा और कार्यवृत्त पर सभापति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(7) सभापति और सदस्य सचिव सहित कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत सदस्यों से चिकित्सालय परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति सृजित होगी।

(8) समस्त विनिश्चय बहुमत द्वारा किये जायेंगे और मतों के बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति को निर्णायक मत भी देने का अधिकार होगा।

उच्च स्तरीय कय समिति 20 (1) पचास लाख से ऊपर के मूल्य वाले या शासी निकाय द्वारा समय समय पर यथा विहित पूंजीगत मदों के कय के लिए कय प्रस्ताव की संवीक्षा और परीक्षा उच्च स्तरीय कय समिति द्वारा की जाएगी, जो निम्न प्रकार गठित होगी–

(क) निदेशक, जो समिति का सभापति होगा;

(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग या उसका नाम निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो;

(ग) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उसका नाम निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो;

(घ) संस्थान के आचार्यों में से शासी निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो आचार्य;

(ङ) सम्बन्धित विभाग (मांगकर्ता) का विभागाध्यक्ष;

(च) संस्थान में जेष्ठतम् अभियंता ;

(छ) वित्त अधिकारी;

(ज) चिकित्सा अधीक्षक;

(झ) संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबंध) इस समिति का सदस्य सचिव होगा;

(2) समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो।

(3) समिति की बैठकें निदेशक के निदेशों पर बुलायी जाएगी।

(4) कम से कम पॉच सदस्यों के लिए जिसमें दो सरकारी नाम निर्देशितियों में से कम से कम एक और शासी निकाय के दो नाम निर्देशितियों में से एक सम्मिलित होगा, गणपूर्ति सृजित करने के लिए प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है।

चिकित्सालय परिकामी निधि

धारा 20 (4) 41 (1) (ख) और 41 (1) (ड.)

21 (1) औषाधियों, दवाइयों, रोगाणुनाशकों, शल्यकिया संबंधी सामानों और बाह्य स्रोत से सेवाओं के उपापन और वितरण को व्यवहृत करने के लिए संस्थान में एक चिकित्सालय परिकामी निधि (एच0आर0एफ0) होगी।

(2) प्रबन्धन समिति द्वारा एच0 आर0 एफ0 का प्रबन्धन किया जाएगा जिसका गठन और कार्यकलाप शासी निकाय द्वारा अवधारित किया जाएगा, वित्त अधिकारी प्रबन्धन समिति का सदस्य होगा।

अन्वेषण परिकामी निधि

धारा 20 (4) 41 (1) (ख) और 41 (1) (ड.)।

22 (1) निदान रीजेन्ट्स और रसायनों, रेडियो आइसोटोप्स, ब्लड बैग्स, एक्स–रे फिल्मस, कांच और प्लास्टिक सामग्री, बिना मूल्य आधारित निःशुल्क प्रयोगशाला उपकरणों की स्थापना और अनुरक्षण के उपापन और वितरण को व्यवहृत करने के लिए संस्थान में एक अन्वेषण परिकामी निधि (आईआरएफ) होगी।

(2) प्रबन्धन समिति द्वारा आई आर एफ का प्रबन्धन किया जाएगा जिसका गठन और कार्यकलाप शासी निकाय द्वारा अवधारित किया जाएगा, वित्त अधिकारी प्रबन्धन समिति का सदस्य होगा।

शोध कोष्ठक

23 संस्थान में एक शोध कोष्ठक होगा जो संस्थान में आन्तरिक भित्ति (चित्र) और बाह्य भित्ति (चित्र) शोध प्रोजेक्ट सहित शोध कियाकलापों के लिये उत्तरदायी होगा। इसकी अध्यक्षता निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये किसी ज्येष्ठ संकाय सदस्य द्वारा किया जाएगा।

परीक्षा कोष्ठक

24 संस्थान में एक परीक्षा कोष्ठक होगा जो प्रवेश परीक्षाओं के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होगा। इसकी अध्यक्षता निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये किसी ज्येष्ठ संकाय सदस्य द्वारा किया जाएगा और वह संकायाध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

पाठ्य परिषद्

धारा 20(4), (41) (1) (ख) और 41 (1)(ड.)

25 (1) अध्ययन के पाठ्यक्रमों के संबंध में संस्तुतियॉ करने, अध्यापन और शोध के मानकों के सुधार के मापदण्ड पर सलाह देने विभाग के लिए सामान्य और शैक्षणिक हित के मामलों और इसके कार्यकलापों पर विचार करने और विद्या परिषद् द्वारा इसे समनुदेशित किये गये कृत्यों को निष्पादित करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक पाठ्य परिषद् का गठन किया जाएगा।

(2) पाठ्य परिषद् का गठन और कार्यकलाप शासी निकाय द्वारा यथा अवधारित किये जाएंगे।

शोध समिति धारा 20(4),41(1) (ख) और 41 (1) (ड.)	26	(1) संस्थान में शोध से संबंधित सभी मामले पर विद्या परिषद् को सलाह देने और विद्या परिषद् द्वारा इसे यथा समनुदेशित किये गये ऐसे कृत्यों को निष्पादित करने के लिए संस्थान में एक शोध समिति होगी । (2) शोध समिति का गठन और कार्य कलाप शासी निकाय द्वारा यथा अवधारित होगा ।
आचार नीति समिति धाराएं 20(4),41(1) (ख) और 41(1)(ड.)	27	(1) रोग विषयक और प्रयोगिक शोध अध्ययनों की आचार नीति के पहलुओं पर सलाह और निगरानी के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जैसा कि इसे विद्या परिषद् द्वारा समनुदेशित किए जाए, संस्थान में एक आचार नीति समिति होगी । (2) आचार नीति समिति का गठन और कार्यकलाप शासी निकाय द्वारा यथा अवधारित होगा ।
पशु आचार नीति समिति धाराएं 20(4),41(1) (ख) और 41(1)(ड.)	28	(1) प्रयोगात्मक शोध के लिए पशुओं के प्रयोग में आचार नीति के प्रतिफल पर सलाह और निगरानी हेतु संस्थान में एक पशु आचार नीति समिति होगी । (2) पशु आचार नीति समिति का गठन और कार्यकलाप शासी निकाय द्वारा यथा अवधारित होगा ।
पुस्तकालय समिति धाराएं 20(4),41(1) (ख) और 41(1)(ड.)	29	(1) विद्या परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन पुस्तकालय के प्रबन्धन हेतु नियमावली बनाने, पुस्तकों, जर्नल एवं पीरियाडिकल के कय हेतु वार्षिक अनुदान के आवंटन पर संस्तुति हेतु और ऐसे अन्य कृत्यों के निर्वहन हेतु जो कि इसे विद्या परिषद् द्वारा समनुदेशित किए जाये, विद्या परिषद् की एक स्थायी समिति जिसे पुस्तकालय समिति कहा जाये, होगी । (2) पुस्तकालय समिति का गठन और कार्यकलाप विद्या परिषद् द्वारा यथा अवधारित होगा ।
कय समिति धाराएं 13(1),13(5) 41(1)(ख) और 41(1)(ड.)	30	(1) सामग्रियों के कय के लिए सभी प्रस्तावों की बजट की सीमा के भीतर और मुख्य सामग्री के लिए एक बार में 20 (बीस) लाख से अनाधिक कयों पर सलाह और संवीक्षा के लिए निदेशक एक कय समिति का गठन करेगा । (2) समिति वित्त अधिकारी और संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन) को मिलाकर कम से कम पॉच सदस्यों से मिलकर बनेगी । समिति के शेष सदस्यों का नाम निर्देशन निदेशक द्वारा संकाय सदस्यों और संस्थान के अधिकारियों में से किया जायेगा । (3) समिति का सभापति (ज्येष्ठ आचार्य की श्रेणी से अन्यून) का नाम निर्देशन निदेशक द्वारा समिति के सदस्यों में से किया जायेगा । (4) संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन) समिति का सदस्य सचिव होगा । (5) वित्त अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए तीन सदस्यों से समिति की गणपूर्ति मानी जायेगी । (6) समिति की बैठक में मांगकर्ता विभाग/ अनुभाग के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया जायेगा और वह चर्चा/बहस में भाग ले सकेगा और उसे मात्र उस मांगपत्र के संबंध में मत देने का अधिकार होगा । (7) समिति संस्थान के परिसर में अथवा ऐसे स्थान, दिनांक और समय पर जैसा सभापति द्वारा नियत किया जाय प्रायः उतनी बैठकें करेंगी, जितनी कि समिति के सभापति द्वारा आवश्यक समझी जाये । (8) निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य दो वर्षो की अवधि के लिए पदधारित करेंगे और व पुनर्नाम निर्देशन के लिए पात्र होंगे । (9) समिति की संस्तुतियॉ वित्त समिति की सलाह शासी निकाय द्वारा समय–समय पर यथाविनिश्चित अग्रता प्रक्रिया किए जाने हेतु निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी ।

(10) रू0 20 (बीस) लाख से अधिक और रू0 50(पचास) लाख तक के कयों के लिए कय समिति की अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जायेगी ।

छात्रों के लिए अनुशासनिक समिति

धाराएं 13(1),13(2) 13(2)(ग),13(5) 41(1)(ख), 41 (1)(ङ)

31 छात्रों में अनुशासन बनाए रखने और किसी छात्र द्वारा अनुशासन तोड़ने की शिकायतों पर पूछताछ के लिए निदेशक एक अनुशासनिक समिति की नियुक्ति करेगा, जो ऐसे अन्य कृत्यों की निर्वहन करेगी औरे ऐसे शाक्तियों का प्रयोग करेंगी जो समय–समय पर निदेशक द्वारा ऐसे समनुदेशित की जाय यह समिति संकायाध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

चिकित्सा परिषद् धारा 41 (1)

32 चिकित्सा विशेषज्ञों और निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सभापति से मिलकर बनी एक चिकित्सा परिषद् होगी । चिकित्सा परिषद्, परिषद् को संदर्भित किए गये मामलों पर सक्षम प्राधिकारी को सलाह देगी ।

33 जब तक इस अध्याय में विनिर्दिष्ट विनियमावली के अनुसार परिषदें, समितियों अथवा निकायों का गठन नहीं किया जाता है तब तक इस विनियमावली के तत्काल प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान समितियों परिषदें और निकाय, चाहें वे इस नाम से अथवा भिन्न नाम से गठित किए गये हों और अधिक या कम समान कृत्यों का निर्वहन कर रहें हों, कार्य करते रहेंगे ।

धाराएं 13(1), 13(2), 13(5) और 41(1)(ख)

34 निदेशक अधिनियम के अधीन अपनी शाक्तियों के प्रयोग करने में सलाह देने और सहायता करने के लिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी अन्य सलाहकारी अथवा अन्य समिति को नियुक्त कर सकता है और ऐसी समिति को नियुक्त कर सकता है और ऐसी समिति अपनी संस्तुतियों अथवा रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत करेगी ।

अध्याय – आठ

शासी निकाय के सभापति और उपसभापति की शक्तियों और कर्तव्य

धाराएं 41(झ)(छ)

35 शासी निकाय के सभापति की शाक्तियों और कर्तव्य :

जैसा कि एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस. अधिनियम, 1983 में अभिकथित हों ।

धाराएं 41(झ)(छ)

36 शासी निकाय के उपसभापति की शाक्तियों और कर्तव्य :

जैसा कि एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस. अधिनियम, 1983 में अभिकथित हों ।

अध्याय–नौ

शासी निकाय और अन्य समितियों और निकायों के सभापति और सदस्यों को भुगतान किये जाने वाले भत्ते

धारा 41(1)(घ)

37 (1) इस विनियमावली के अध्याय पॉच, छः और सात में विनिर्दिष्ट शासी निकाय, और अन्य परिषदो समितियों और निकायों के सभापति और सदस्यों को यात्रा या दैनिक भत्ते या उपविनियम (2) से (4) तक में यथा विनिर्दिष्ट दैनिक भत्तों के बदले में ऐसी धनराशि के सिवाय कोई वेतन, फीस, पारिश्रमिक या अन्य भत्ते नहीं मिलेंगे ।

(2) शासी निकाय और उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट अन्य परिषद् और समिति के सभापति और सदस्यों को यदि वह केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारी हों, संस्थान द्वारा यात्रा और दैनिक भत्ता उस दर से दिया जायेगा जो उन्हें केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारियों के रूप में अनुमन्य हो ।

(3) शासी निकाय और उप विनियम (2) में उल्लिखित परिषद् और समिति से भिन्न उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट अन्य परिषद् और समिति के सभापति और सदस्यों की दशा में, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान ऐसी दर से किया जायेगा, जिसके लिए वह उस संस्थान या संगठन के, जिनमें वह कार्य कर रहे हो, नियमों के अनुसार हकदार हों;

परन्तु, ऐसे व्यक्ति, जो उपविनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट किसी निकाय या समिति या परिषद् की बैठक में उपस्थित होने के लिए स्वयं अपने संस्थान या संगठन से यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते का आहरण करें, इय प्रयोजन के लिए संस्थान से यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे ।

(4) यदि ऐसे व्यक्ति इस संस्थान के हों तो उन्हें यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार मिलेगा ।

(5) यदि किसी विशेषज्ञ या गैर सरकारी व्यक्ति को उपर्युक्त उपविनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट निकाय, परिषद् या समिति की किसी बैठक में ऐसे निकाय, परिषद् या समिति के सदस्य के रूप में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाय तो उसे रू0 1000.00 या ऐसी अन्य धनराशि का जो इस प्रयोजन और यात्रा भत्ता के लिए शासी निकाय द्वारा निश्चित की जाय, मानदेय भुगतान किया जायेगा, किन्तु उसे दैनिक भत्ता देय नहीं होगा,

परन्तु, संसद और राज्य विधान मण्डल के सदस्य संस्थान की बैठक में उपस्थिति होने के लिए रेल या बस के किराये का हकदार नहीं होगा, यदि वह ऐसी यात्रा के लिए रेलवे कोच या बस के पास का उपयोग करने का हकदार हो ।

धारा 41(1)(घ) 38 संस्थान के अधिकारियों, संकाय के सदस्यों और कर्मचारियों के चयन के लिए अधिनियम या इस विनियमावली के अधीन गठित चयन समिति के सभापति और सदस्यों को भुगतान किये जाने वाले भत्ते ऐसे होंगे जो शासी निकाय द्वारा समय समय पर अवधारित किये जाय ।

अध्याय – दस

पदों का वर्गीकरण और नियुक्तियाँ

भाग–एक (सामान्य)

39 (1) संस्थान के कर्मचारिवर्ग कार्मिक अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–15/140/84–का–1/03, दिनांक 07 अक्टूबर 2003 में वर्गीकृत किये गये और जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर वर्गीकृत किया जाय, वेतन के आधार पर समूह क (श्रेणी एक), ख (श्रेणी दो), ग (श्रेणी तीन) एवं घ (श्रेणी चार) में वर्गीकृत किये गये है।

(2) शासी निकाय समय समय पर, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्वानुमोदन से चाहे स्थायी या अस्थायी नए या अतिरिक्त पदों का सृजन कर सकता है, तथापि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से समकक्षता बनाई रखी जाएगी ।

धारा 41(1)(च) और धारा 41(1)(ट) 40 (1) शासी निकाय द्वारा विद्यमान पदो के लिये इन अर्हताओं और अनुभवों को पुनरीक्षित किया जा सकता है और किन्ही अन्य नए पदों, जो जहाँ लागू हो, भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानकों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार के अनुमोदन से सृजित किये जाये, के संबंध में इन्हें विहित कर सकता है ।

(2) पात्र अभ्यर्थियों की, आवेदन की प्राप्ति हेतु नियत अंतिम दिनांक या विज्ञापन में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट दिनांक को विहित अर्हता अवश्य होनी चाहिये ।

(3) राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी ।

आयु धारा 41(1)(ट) 41 सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को किसी पद हेतु विनियमों में यथा विहित आयु संबंधी अपेक्षाओं को पूर्ण करना आवश्यक होगा ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय के लिये अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

नागरिकता 42 संस्थान में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना या उस श्रेणी का होना आवश्यक है जो सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिये सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाय ।

चरित्र 43 संस्थान में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये चयनित अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों से अच्छे चरित्र और आचरण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी तंत्र के माध्यम से भी अभ्यर्थी के चरित्र का सत्यापन करायेगा।

वैवाहिक प्रास्थिति 44 ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी; जिसने ऐसे व्यक्ति से शादी की हो जिसकी पहले ही से एक पत्नी जीवित हों, संस्थान में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगे ;

शारीरिक स्वस्थता : 45 (1) कोई अभ्यर्थी संस्थान में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से पूर्णतया स्वस्थ न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में कोई बाधा पड़ने की सम्भावना हो ।

(2) किसी अभ्यर्थी का संस्थान में नियुक्ति के लिये अनुमोदन किये जाने के पूर्व उससे निदेशक द्वारा गठित किये जाने वाले चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी ।

परिवीक्षा 46 (1) सीधी भर्ती द्वारा किसी स्थायी रिक्ति के प्रति किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग व्यक्तियों के मामलों में परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया जायेगा कि किस दिनांक तक परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई गई है; परन्तु बढाई गई अवधि किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) परिवीक्षा अवधि को बढ़ाये जाने का आदेश परिवीक्षा की मूल अवधि के समाप्त होने के पूर्व जारी किया जायेगा, यदि ऐसा आदेश परिवीक्षा की मूल अवधि के समापन के पूर्व जारी नहीं किया जाता है तो व्यक्ति द्वारा परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया मान लिया जाएगा ।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे प्रत्यावर्तित कर दिया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि तभी सफलतापूर्ण मानी जायेगा, यदि;

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और य

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसे अन्यथा रूप से परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक और संतोषजनक रूप से पूर्ण करली है ।

स्थायीकरण 47 किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति के परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि के समापन पर उसे पद पर स्थायी कर दिया जाएगा ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 48 किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसके वेतनमान में वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब कि उसने परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि यदि कोई सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो और उसे ऊपर उपबंधित रूप से स्थायी भी कर दिया गया हो । बढाई गई परिवीक्षा अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे ।

सेवा पुस्तिका 49 संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में ऐसे ब्यौरों और विवरणों के साथ जैसा विहित किये जाये एक सेवा पुस्तिका रखी जाएगी ।

चरित्र पंजी 50 (1) प्रत्येक गैर संकायी कर्मचारी के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में उनके कार्य, मूल्यांकन, आचरण और सत्यनिष्ठा अभिलिखित की जाएगी। यह प्रतिवेदन (रिपार्ट) कर्मचारी के तात्कालिक पर्यवेक्षक द्वारा आरम्भ की जाएगी और विभागाध्यक्ष द्वारा अंतिमीकृत की जाएगी । समूह "घ" कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उनके अपने विभागाध्यक्ष या संस्थान के संबंधित अनुभाग के प्रधान द्वारा स्वीकार की जाएगी, और समूह "ग" और "ख" कर्मचारियों की निदेशक द्वारा और समूह "क" कर्मचारियों की अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की जाएगी ।

(2) जहाँ तक हो सके किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट 30 अप्रैल के पूर्व आरम्भ कर दी जाएगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक अंतिमीकृत (पूर्ण) कर दी जाएगी ।

धारा 41(1)(ट) 51 (1) यदि किसी कर्मचारी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में प्रतिकूल मूल्यांकन दिया गया है तो प्रविष्टि के पूर्ण किये जाने के 2 माह के भीतर उसे पूर्ण प्रविष्टि से, अर्थात् प्रारम्भवर्ती अधिकारी के द्वारा अभिलिखित अभ्युक्ति से तथा साथ ही स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दी गई अंतिम प्रविष्टि से अवगत कराया जाएगा, और कर्मचारी द्वारा उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से 3 माह की अवधि के भीतर प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन दिया जा सकता है ।

(2) विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रविष्टियों की दशा में निदेशक को, निदेशक द्वारा पूर्ण (अंतिमीकृत) की गई प्रविष्टियों की दशा में अध्यक्ष को और अध्यक्ष द्वारा पूर्ण (अंतिमीकृत) की गई प्रविष्टियों की दशा में कुलाध्यक्ष को प्रत्यावेदन दिये जाएगें।

(3) प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन प्राप्ति करने वाला प्राधिकारी उसे श्रेष्ठता (गुणावगुण) के आधार पर विचार करेगा और प्रत्यावेदन प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर उस प्रत्यावेदन पर निर्णय लेगा और निर्णय को कर्मचारी को संसूचित करेगा ।

(4) उपविनियम (1) के अधीन किसी कर्मचारी को संसूचित नहीं की गई प्रतिकूल अभ्युक्ति या जिसके विरूद्ध उपर्युक्त विनियम के अधीन कोई प्रत्यावेदन लंबित है, उसके विरूद्ध प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

नियुक्ति प्राधिकारी 52 आचार्यो, अपर आचार्यो, सहयुक्त आचार्यो, सहायक आचार्यो और सभी समूह "क" पदो के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष होगा । समूह "ख" "ग" और "घ" पदो के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक होगा ।
धारा 22(1),22(2) और 41(1)(ट)

आरक्षण 53 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त अधिनियम और सरकार के आदेश के प्राविधानों के अनुसरण में होगा। संकाय सदस्यों की भर्ती में आरक्षण समान प्रास्थिति, वेतन और योग्यता/अर्हता के आधार पर संवर्ग को अवधारित करने के पश्चात् लागू होगा।
धारा 41(1)(ट)

भाग–दो

संकाय सदस्यों की नियुक्ति

धाराएं 19(1)(ञ) 54 (1) विद्या परिषद् की सलाह पर शासी निकाय समय–समय पर नये विभाग या अन्य विशिष्टताएं स्थापित कर सकता है अथवा किसी विभाग का पुनर्गठन कर सकता है ।

(2) प्रत्येक विभाग के भीतर आचार्यो, अपर आचार्यो, सह आचार्यो और सहायक आचार्यो के पद अलग–अलग संवर्ग में गठित किए जाएगें ।

नियुक्ति 55 (1) आचार्यो, अपर आचार्यो और सह आचार्यो के पदों पर भर्ती पदोन्नति निर्धारण अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से योग्यता के आधार पर की जायेगी । (2) सहायक आचार्य के पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा योग्यता के आधार पर की जायेगी ।
धारा 22(1) और 41(1)(ट)

चयन समिति के लिए विशेषज्ञों का नाम निर्देशन 56 (1) प्रत्येक विभाग में विशेषज्ञों का एक पैनल पाठ्य परिषद् द्वारा तैयार किया जायेगा और विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जायेगा ।

धाराएं 22(5), 22(6)और 41(1)(ट)

(2) सीधी भर्ती अथवा निर्धारण पदोन्नति के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रत्येक विभाग में, निदेशक विशेषज्ञों के पैनल से छः अथवा अधिक नाम कुलाध्यक्ष को अनुमोदन के लिए भेजेगा,

(3) कुलाध्यक्ष विशेषज्ञों के पैनल में ऐसे उपान्तरण और परिर्धन कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे और प्रत्येक उपान्तरित सूची से चयन सूची के लिए विशेषज्ञों को नाम निर्दिष्ट लेगा ।

निर्धारण पदोन्नति धाराएं 22(1), 41(1)(ड.) और 41(1)(ट)

57 संकाय सदस्यों के लिए निर्धारण पदोन्नति योजना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), नई दिल्ली में जो प्रचलित है, यथावत् लागू होगी ।

भाग–तीन

संकाय से भिन्न पदों पर नियुक्ति

साधारण धारा 22(2) और 41(1)(ट)

58 (1) इस अध्याय के उपबंध जूनियर और सीनियर रेजीडेन्ट्स और अनुसंधान परियोजनाओं में नियोजित कर्मचारियों पर, जिन पर भाग–चार के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, पर प्रवृत्त नहीं होते हैं ।

(2) समूह "क" के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती के रूप में या प्रतिनियुक्ति पर होगी ।

(3) समूह "ख" और "ग" के पदों पर भर्ती या तो सीधी भर्ती से या संस्थान के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा या सीमित विभागीय प्रतियोगिता से होगी ।

(4) समूह "घ" के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती के रूप में होगी ।

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति धारा 22(1),22(2) और 41(1)(ट)

59 इस विनियमावली के अधीन भर्ती का चयन यथा आवश्यकतानुसार किया जायेगा,

धारा 22(1),22(2) और 41(1)(ट)

60 वह अभ्यर्थी जो किसी पद के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव नहीं रखता है जैसा कि राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट और मान्यता है या जिन्हें समय–समय पर संस्थान के शासी निकाय द्वारा निर्धारित किया गया है चाहे इस विनियमावली के प्रारम्भ के समय विद्यमान हो या भविष्य में सृजित की जाए, किसी ऐसे पद पर पदोन्नति के लिए अर्ह नहीं होगा, न ही वह सीधी भर्ती द्वारा या सीमित विभागीय प्रतियोगिता द्वारा या किसी भी रीति से ऐसे पद के लिए इस विनियमावली के प्रारंभ के पश्चात् पद के लिए अपेक्षित विहित अर्हता और अनुभव के बिना अर्ह नहीं होगा ।

धारा 22(1),22(2) और 41(1)(ट)

61 (1) समूह "क" की सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए कार्यपालक कुलसचिव के पद के सिवाय, संकाय में भिन्न पदो के लिए चयन समिति का गठेन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :

(एक) निदेशक, जो समिति का सभापति होगा;

(दो) अपर निदेशक;

(तीन) संकायाध्यक्ष;

(चार) संबंधित विभाग/अनुभाग का विभागाध्यक्ष;

(पॉच) अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ;

(छः) दो अधिकारी, जो कि उस पंक्ति से जिसके लिए चयन हो रहा है, उच्चतर पंक्ति के होंगे, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दूसरा पिछड़ी जाति का होगा ।

(2) विशेषज्ञों के नाम–निर्देशन के लिए, निदेशक अध्यक्ष को विशेषज्ञों के पॉच नाम भेजेगा जो विशेषज्ञों के नामों का नाम निर्देशन करने के पूर्व सूची में वृद्धि या संशोधन कर सकते हैं ।

धारा 22(1), 22(2) और 41(1)(ट) 62 समूह "ख", "ग" और "घ" के संकाय से भिन्न पदो के लिये सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए, निदेशक चयन समितियों का गठन करेगा जिसमें निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले उस विषय के दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे और संबंधित विभाग, अनुभाग के विभागाध्यक्ष होंगे ।

धारा 22(1), 22(2) और 41(1)(ट) 63 इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट किसी चयन समिति की कुल सदस्यता का बहुमत ऐसी समिति की गणपूर्ति से होगा, परन्तु नामनिर्दिष्ट दो विशेषज्ञों में से कम से कम एक उपस्थित हो चयन समिति द्वारा की गई कोई भी संस्तुति तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से समर्थित न हो ।

64 चयन समिति द्वारा तैयार सूची संस्तुति के दिनांक से एक वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगी

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति 65 (1) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति एम्स, नई दिल्ली में लागू सी.सी.एस. नियमावली में विहित प्रकिया के अनुसार की जाएगी।

धारा 22(1), 22(2) और 41(1) और 41 (1) (ट) (2) पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे अभ्यर्थी की पात्रता ऐसी होगी जिसे अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जा सके और संबंधित वर्ष की 01 जुलाई को पूर्ण होनी चाहिए ।

(एक) संस्थान में किसी पद के लिए अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए योग्यता एवं ज्येष्ठता या ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती इस प्रयोजन के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पात्र व्यक्तियों में से की जायेगी। इस मामले में समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली 1994 लागू होगी।

(दो) समूह "क" संकाय से भिन्न पदो के संबंध में अध्यक्ष ऐसी विभागीय पदोन्नति समिति का गठन करेगा जिसमें उस विषय के दो विशेषज्ञ और संबंधित विभाग/अनुभाग का विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में और निदेशक सभापति के रूप में होगा।

(तीन) समूह "ख", "ग" और "घ" संकाय से भिन्न पदो के संबंध में निदेशक ऐसी विभागीय पदोन्नति समिति का गठन करेगा जिसमें दो विषय विशेषज्ञ और संबंधित विभाग/अनुभाग के विभागाध्यक्ष होंगे ।

(चार) उपर्युक्त विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग का एक-एक सदस्य होगा ।

मुहरबंद प्रकिया 66 (1) किसी कर्मचारी के मामले में :-

धारा 22(1), 22(2) और 41(1)(घ), 41(1)(ट) (क) जिसके विरूद्ध इस अर्थ में अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है कि उसे आरोप पत्र दे दिया गया है या ;

(ख) जिसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है अर्थात् दंड न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है उचित समय पर संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा लेकिन समिति के निष्कर्ष को मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा जिसे अनुशासनिक/न्यायालय की कार्यवाही के पश्चात् खोला जायेगा ।

(2) यदि विभागीय/न्यायालय की कार्यवाही के निर्णय पर कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया जाता है और उस पर किसी भी प्रकार की कोई शास्ति आरोपित नहीं की जाती है जिसमें परिनिन्दा भी सम्मिलित है; और यदि वह निलंबित है, और यह भी कहा जाता है कि निलंबन अनुचित था, मुहरबंद लिफाफे को खोला जाएगा और विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जाएगी और उसे उस दिनांक से काल्पनिक पदोन्नति दी जाएगी जब से उसे पदोन्नति दी गई होती जैसा कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित किया गया ।

(3) बन्द लिफाफे की कार्यवाही कार्मिक अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–13/21/89–क–1–1997 दिनांक 29 मई 1997 के अनुसार होगी।

धारा 22(1), 22(2) और 41(1)(घ), 41(1)(ट) — 67 यदि कोई शास्ति, जिसमें परिनिन्दा सम्मिलित है, अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप कर्मचारी पर आरोपित की जाती है या उसे उसके विरूद्ध न्यायालय कार्यवाही में दोषी पाया जाता है, तो मुहरबंद लिफाफे/लिफाफों के निष्कर्ष पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। तब कर्मचारी की पदोन्नति के मामले पर स्वाभाविक रूप में अगली विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसकी बैठक सामान्य ढंग में अनुशासनिक/न्यायालय कार्यवाही के निर्णय के पश्चात् होती है। वह समिति सभी अभिलेखों पर विचार करेगी जिसमें मुहरबंद लिफाफा और अनुशासनिक/दंड कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कर्मचारी पर अधिरोपित शास्ति भी सम्मिलित है और अपनी संस्तुति देगी।

विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति को नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा जो या तो उसे स्वीकार करेगा या असहमति की स्थिति में इस विनियमावली में विहित प्रकिया का अनुकरण करेगा।

सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना — 68 या तो किसी संवर्ग में या किसी समूह के एकमात्र पद के संबंध में वृद्धि रोक होने की स्थिति में, समय–समय पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अनुसार लाभ दिया जाएगा।

भाग चार

रेजिडेन्ट्स और अनुसंधान कर्मचारि वर्ग का नियोजन और उनकी सेवा शर्तें

धारा 18(2), 41(1) (च) — 69 (1) संस्थान के विभिन्न विभागो और अस्पताल में कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों रेजीडेन्टों की संख्या का निर्धारण विभिन्न घटको पर आधारित आवश्यकता के अनुसार विद्या परिषद् के परामर्श पर समय–समय पर शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जायगी। इन घटको में बिस्तरों की संख्या, रोगी देखभाल, कार्य की मात्रा और उपलब्ध सुविधा और संस्थान के मानक और अस्पताल की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना सम्मिलित है।

(2) कनिष्ठ रेजिडेन्ट और वरिष्ठ रेजिडेन्ट का चयन भारतीय चिकित्सा परिषद् के दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

(3) वरिष्ठ रेजिडेन्ट के पद पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस0) के मामले में 33 वर्ष होगी और अशोध उपाधि (डी0एम0/एम0सी0एच0) के मामले में 35 वर्ष होगी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्गो के अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अनुसार अन्य श्रेणियों पर छूट लागू होगी।

(4) वरिष्ठ रेजिडेन्ट की पदावधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी जिसे विभाग से संतोषप्रद कार्य की रिपोर्ट के अधीन प्रति वर्ष बढ़ाया जायेगा।

(5) कनिष्ठ रेजिडेन्ट और वरिष्ठ रेजीडेन्ट अस्थायी कर्मचारी होंगे।

धारा 41(1) (ज) — 70 कनिष्ठ रेजिडेन्ट और वरिष्ठ रेजिडेन्ट के कर्तव्य और दायित्व समय–समय पर निदेशक/विभागाध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित होंगे। उनसे वह सब कार्य करने की अपेक्षा की जायेगी जो अस्पताल में रोगी देखभाल के हित में आवश्यक हो इसमें विभाग द्वारा यथा अपेक्षित काल डयूटी भी सम्मिलित है।

धारा 22(3) और 41(1) (ट) — 71 (1) समय–समय पर कर्मचारियों को संस्थान की शोध परियोजनाओं में नियोजित किया जा सकता है जिसके लिए निधि बाह्य अभिकरण से प्राप्त हुई है।

(2) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, परियोजना का प्रमुख अन्वेषक, जो इसका प्रभारी अधिकारी होगा, समय–समय पर निदेशक द्वारा यथा अनुमोदित भर्ती की प्रकिया प्रारम्भ करेगा

भाग पाँच

मृत कर्मचारियों के आश्रितों का नियोजन

72 उत्तर प्रदेश सरकार की सुसंगत नियमावली और विनियमावली संस्थान के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के नियोजन के संबंध में लागू होगी।

भाग छः

वेतन निर्धारण और भत्ते

धारा 41(1) (घ) और धारा 22 (3) 73 अधिनियम, नियमावली और इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वेतनमान, महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते जो ज्येष्ठ आचार्य, आचार्य, अपर आचार्य,, सह–आचार्य और सहायक आचार्य को अनुज्ञेय है, ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा घोषणा के अधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के संकाय के सदस्यों को समय–समय पर ग्राह्य होंगे।

धारा 41(1) (घ) और 22 (3) 74 इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वेतनमान, महंगाई भत्ते और सभी अन्य भत्ते जो संस्थान के गैर संकायी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ग्राहय होगा जो समूह–क, ख, ग और घ (जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, के सिवाय) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषणा के अधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अनुसार ग्राहय होगा।

धारा 41 (1) (घ) और धारा 22 (3) 75 (1) यदि ऐसे आवास की सुविधा उपलब्ध हो तो संकाय सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान पर संस्थान के परिसर में असज्जित आवास की प्रसुविधा दी जायेगी।

यदि ऐसे आवास की सुविधा उपलब्ध न हो तो संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को अखिल भारतीय अनयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में ग्राहय केन्द्रिय सिविल सेवा नियमों के अनुसार मकान किराये भत्ते के लिए हकदार होंगे।

(2) असाधारण छुटटी सहित छुटटी के अवधि के लिए संकाय का कोई सदस्य या कर्मचारी से मकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क प्रभार्य होगा जिसे आवास आवंटित किया गया हो, और जो ऐसी छुटटी के दौरान अपने अधिभोग में हो, ऐसी दर से देय होगा जिस दर से वह छुटटी पर किराये का भुगतान कर रहा हो।

धारा 41(1) (घ) और धारा 22 (3) 76 (1) संस्थान के कर्मचारियों को उनके चिकित्सा उपचार और उनके परिवार के ऐसे सदस्यों के, जो पूर्णतया उन पर आश्रित हो, चिकित्सा उपचार के सम्बन्ध में संस्थान उसी प्रकार की प्रसुविधाओं की व्यवस्था करेगा जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के इन्ही श्रेणी के कर्मचारियों को समय–समय पर उपलब्ध है।

(2) सेवानिवृति के पश्चात् भी कर्मचारी चिकित्सा उपचार के सम्बन्ध में उसी प्रकार की प्रसुविधाओं के हकदार होंगे जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के इन्ही श्रेणी के सेवानिवृत कर्मचारियों को उपलब्ध होगी।

(3) जब संस्थान के चिकित्सालयों में समुचित उपचार उपलब्ध न हो तब चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की प्रतिपूर्ति की सुविधा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सरकारी सेवको पर लागू सरकारी नियमों के अनुसार की जायेगी।

धारा 41(1) (घ) और धारा 22 (3) 77 कनिष्ठ और ज्येष्ठ रेजिडेन्ट के सिवाय समस्त ऐसे कर्मचारी जो संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या उनके उपक्रम संस्था या विश्वविद्यालयों में या तो मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे, संस्थान में पदग्रहण करने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लागू केन्द्रिय सिविल सेवा नियमों के अनुसार वेतन सुरक्षा के लिए हकदार होगा।

धारा 41(1) (घ) और धारा 22 (3) 78 वेतन का निर्धारण पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की दशा में सुसंगत नि मों और आदेशों के अनुसार की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा के अधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लागू होगा।

धारा 41(1) (च) और धारा 22 (3) 79 राज्य सरकार या अर्द्धसरकारी संगठन के प्रतिनियुक्ति पर संस्थान के किसी कर्मचारी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लागू केन्द्रिय सिविल सेवा नियमावली के अर्न्तगत ग्राहय वेतन देने के लिए अनुमति दी जायेगी।

धारा 41(1) (च) और धारा 22 (3) 80 सेवानिवृत्त सिविल या सेवा पेन्सनर्स का वेतन निर्धारण संस्थान में उने पुनः समायोजन पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उसी मामलों में जारी आदेशों पर आधारित होगा जो कुछ कर्मचारी के लिए लागू होगा जैसा की शासी निकाय द्वारा विनिश्चित हो।

महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते और पुनः समायोजन पेन्शनर्स की प्रसुविधा के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लागू केन्द्रिय सिविल सेवा नियमावली के अनुसार ग्राहय होगा।

भाग सात

वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन

धारा 41 (1) (च) और धारा 22 (3) 81 (1) प्रत्येक संकाय सदस्य के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन, विभागाध्यक्ष और कर्मचारियों और समस्त अन्य अधिकारियों के वार्षिक चरित्र प्रविष्टियॉ विहित प्रपत्र पर संस्थान द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) संकाय सदस्य द्वारा तैयार वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन को विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अभियुक्ति सहित प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

परन्तु विभागाध्यक्ष स्वयं द्वारा तैयार वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) संकाय सदस्य की दशा में प्रतिवेदन, समीक्षक और स्वीकर्ता अधिकारी कमशः विभागाध्यक्ष, निदेशक और अध्यक्ष होंगे। प्रतिकूल अभियुक्ति, प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रत्यावेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और निर्णय संबंधित अधिकारी और प्रतिवेदक तथा समीक्षक अधिकारी को संसूचित किया जायेगा।

(4) समूह–क गैर संकायी अधिकारी की दशा में प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकर्ता अधिकारी कमशः विभागाध्यक्ष, निदेशक और अध्यक्ष होंगे। प्रतिकूल अभियुक्ति/प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रत्यावेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायगा और निर्णय संबंधित अधिकारी और प्रतिवेदक तथा समीक्षक अधिकारी को संसूचित किया जायेगा।

(5) समूह–ख, ग और घ गैर संकायी अधिकारियों, कर्मचारियों की दशा में प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकर्ता अधिकारी कमशः विभागाध्यक्ष संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/चिकित्सा अधीक्षक और निदेशक होंगे। प्रतिकूल अभियुक्तियों/प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रत्यावेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और निर्णय संबंधित अधिकारी और प्रतिवेदक तथा समीक्षक अधिकारी को संसूचित किया जायेगा।

भाग आठ

अध्येतावृति

82 पात्रताः किसी संकाय सदस्य को साधारणतया विनियमों और शर्तो के अनुसार अध्येतावृत्ति उपभोग करने के लिए अनुमति दी जायेगी जैसा कि समय–समय पर संस्थान के शासी निकाय के निर्णय के अधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में संकाय सदस्य के लिए लागू होगा।

भाग नौ

धारणाधिकार

धारा 41(1) (च) धारा 22 (3) 83 अधिनियम के उपबंधों के अधीन, नियमावली और विनियमावली शासी निकाय के अनुमोदन सहित संस्थान के कोई कर्मचारी को केन्द्रिय सिविल सेवा नियमावली में अनुमति होगा। यथा उपबंधित धारणाधिकार धारण करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लागू होगा।

धारा 41 (1) (च) और धारा 22 (3) 84 (1) सम्बन्धित कर्मचारी को संस्थान में अपने धारणाधिकार की अवधि के दौरान संस्थान में निम्नलिखित जमा करना होगा:

(क) सामान्य भविष्य निधि;

(ख) छुटटी वेतन अंशदान, और;

(ग) पेंशन सम्बन्धी अंशदान।

(2) यदि कोई कर्मचारी जिसे अन्यत्र सेवायोजन की अनुज्ञा दी गई हो, अपने धारणाधिकार की समाप्ति के पूर्व संस्थान में कार्यभार ग्रहण करे और उसने अन्यत्र सेवा करने की अवधि के सम्बन्ध में सामान्य भविष्य निधि, छुटटी वेतन अंशदान और पेंशन सम्बन्धी अंशदान का भुगतान किया हो तो उक्त अवधि की गणना निम्नलिखित के सम्बंन्ध में की जायेगी।

(क) उसकी वार्षिक वेतन वृद्धियॉं;

(ख) पेंशन सम्बन्धी लाभ, और;

(ग) छुटटी का हक।

परन्तु सम्बन्धित कर्मचारी को अपने नियोक्ता से अन्यत्र कार्य करने की अवधि के दौरान अपनी छुटटी के हिसाब के बारे में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

अध्याय ग्यारह

आचरण और अनुशासनिक कार्यवाहियॉं और दंड

धारा 22 (3) और 41 (1) (च) 85 अनुशासनिक कार्यवाहियों और दंड प्रदान करने के लिए समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में विहित सुसंगत प्रकिया लागू होगी।

धारा 22 (3) और 41 (1) (च) 86 इस अध्याय में उपबन्धित के अध्यधीन संस्थान के संकाय और अन्य कर्मचारियों सहित संस्थान के सभी कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार से सम्बन्धित मामले समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 द्वारा यथावत विनियमित होंगे।

धाराएं 22 (3) और 41 (1) (च) 87 पूछताछ और शास्तियों के प्रयोजनार्थ समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के उपबंध लागू होंगे।

अध्याय बारह

छुटटी

धारा 41 (1)(च) और धारा 22 (3) 88 (1) अधिनियम, नियमावली और इस विनियमावली के उपबन्धों अधीन रहे हुये संस्थान के कर्मचारी, अधिकारी और संकाय सदस्य को ऐसी छुटिटयॉं हकदार होंगी जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कर्मचारी, अधिकारी और संकाय सदस्य को अनुज्ञेय है।

(2) छुटटी केवल कर्तव्य करने से उपर्जित की जाती है। उसका अधिकार के रूप में दावा नही किया जा सकता।

(3) जब सेवा की अत्यावश्यकता से ऐसा करना अपेक्षित हो तब किसी भी प्रकार की छुटटी से, उसे स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन्कार या उसका प्रतिसंहरण किया जा सकता है, किन्तु ऐसा प्राधिकारी देय या प्रार्थित छुटटी के प्रकार में, संस्थान के कर्मचारी के लिखित अनुरोध के सिवाय कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

(4) यदि काम पर वापस बुलाने का विकल्प हो तो कर्मचारी किसी रियायत का हकदार नही होगा, किन्तु यदि वापस बुलाना अनिवार्य हो तो उसे उस समय से काम पर समझा जायेगा जब से उसने अपनी वापसी यात्रा प्रारम्भ की हो और उसे वापसी यात्रा के लिए भत्ता दिया जायेगा।

धारा 41 (1)(च) और धारा 22 (3) 89 इस विनियमावली में अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय इस विनियमावली के अधीन किसी भी प्रकार की छुटटी किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाकर या उसके अनुक्रम में स्वीकृत की जा सकती है। तथापि आकस्मिक छुट्टी को इस विनियमावली के अधीन ग्राह्य किसी अन्य प्रकार की छुट्टी से नही मिलाया जायेगा। प्रतिकरात्मक छुट्टी भी तीन दिन से आगे संचित नहीं की जायेगी या किसी अन्य प्रकार की छुट्टी से नहीं मिलायी जायेगी।

धारा 41(1) च और धारा 22 (3) 90. (1) कोई कर्मचारी एकाएक बीमार हो जाने या अत्यन्त आपात स्थिति के सिवाय, पूर्व स्वीकृति के बिना न तो आकस्मिक और न तो नियमित छुट्टी पर जायेगा। छुट्टी के प्रत्येक आवेदन–पत्र में आवेदक का पता, जिस पर जरूरत पडने की दशा में उससे सम्पर्क स्थापित किया जा सके, निरपवाद रूप से होना आवश्यक है।

(2) छुट्टी के बिना अनुपस्थिति अनुशासन का अतिलंघन करना होगा, जिसे यदि संतोषप्रद रूप से स्पष्ट न किया जाये, कदाचार समझा जायेगा।

(3) कोई कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोडेगा।

(4) बिना वेतन के छुट्टी की अवधि देय छुट्टी का हकदार होने के प्रयोजनों के लिये काम पर न रहने की अवधि होगी।

धारा 41 (1) (च) और धारा 22 (3) 91 संस्थान के किसी कर्मचारी को जिसे सक्षम प्राधिकारी ने सेवा से पदच्युत करने, हटाने या अनिवार्य रूप में सेवानिवृत्त करने का विनिश्चय कर लिया हो या ऐसे कर्मचारी को जो निलम्बित किया गया हो, कोई छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी।

धारा 41 (1) (च) और धारा 22 (3) 92 भिन्न–भिन्न प्रकार की छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी संस्थान का ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी होगा जिसे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय–तेरह

अधिवर्षिता अनिवार्य और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र

धारा 41 (1) (च) और धारा 22 (3) 93 राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन समय–समय से संस्थान के संकाय सदस्य और कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तरह विद्यमान होगी।

94 (1) इस विनियमावली में किसी बावत के होते हुए भी नियुक्त प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह लोक हित में संस्थान के किसी संकाय सदस्य या अन्य अधिकारी, कर्मचारी को उसके द्वारा पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने या बीस वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण करने के पश्चात् शासी निकाय द्वारा गठित की जाने वाली जॉच समिति की संस्तुतियों पर, कम से कम लिखित रूप में तीन माह की नोटिस देकर या ऐसी नोटिस के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त कर दें।

(2) यदि नोटिस की अवधि तीन माह से कम पड़ जाये तो तीन माह से कम पड़ने वाली अवधि के लिये वेतन का भुगतान किया जाएगा।

धारा 41 (1) (च) और 22 (3) 95 (1) संकाय सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् या बीस वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी को तीन माह की नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग कर सकता है, परन्तु यह भी कि नियुक्ति प्राधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के ऐसे अनुरोध को "नोटिस की अवधि के भीतर" अस्वीकार कर सकता है, यदि कर्मचारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या अवेक्षित हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी के लिये संकाय सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी को अपेक्षाकृत कम अवधि की नोटिस देकर उससे उस नोटिस की अवधि के बदले में जो तीन माह की अवधि से कम हो, किसी शास्ति या धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा देने में कोई बाधा नहीं होगी।

धारा 41 (1) (घ) और धारा 22 (3)

96 (1) विशेष परिस्थितियों में, किसी आचार्य की एक समय में अधिकतम एक वर्ष तक राज्य सरकार की पूर्वानुमोदन से शासी निकाय द्वारा सेवा विस्तार किया जा सकता है, लेकिन अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् सेवा विस्तार की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, यदि:–

(एक) कोई उपयुक्त प्रतिस्थानी उपलब्ध न हो, और

(दो) शिक्षण और शोध कार्य में बाधा पड़ने की सम्भावना हो, यदि पद रिक्त रहे।

परन्तु–

(क) सेवा का विस्तार ऐसे आचार्य को देय होगा जिसने अध्यापन और शोध कार्य में उत्कर्ष–प्रदर्शन किया हो और

(ख) व्यक्ति संकाय, अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष आदि जैसे प्रशासनिक पदों को धारण नहीं करेगा।

(ग) वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

(2) सेवा विस्तार की अवधि को सेवायोजन के जारी रहने के रूप में माना जाएगा और अधिवर्षिता का दिन ऐसा दिनांक होगा जिस दिनांक को सेवा विस्तार समाप्त हो जाये।

धारा 41 (1) (घ) और धारा 22 (3)

97 यदि संस्थान को किसी संकाय के सदस्य या किसी अन्य संकाय से भिन्न अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता हो तो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजक ऐसे व्यक्ति को पुनःनियोजित कर सकता है, यदि:

(क) वह अधिवर्षिता के समय किसी वैज्ञानिक या तकनीकि कार्य में लगा हुआ था जिसे कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी अन्य कर्मचारी को सौंपा नहीं जा सकता है, या;

(ख) वह किसी विनिर्दिष्ट कियाकलाप में लगा हुआ था जिसके प्रभावित होने की सम्भावना है यदि व्यक्ति को पुनः नियोजित न किया जाए, या;

(ग) उसका पुनर्नियोजन लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से संस्थान के हित में है, और;

(घ) वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है।

परन्तु– यह कि किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक पुनर्नियोजन पर सेवा में नहीं रखा जाएगा।

परन्तु यह और कि पुनर्नियोजन के प्रत्येक मामले में शासी निकाय का पूर्वानुमोदन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

धारा 41 (1) (घ) और धारा 22 (3)

98 पुनः सेवायोजन की अवधि के दौरान कोई व्यक्ति अस्थायी कर्मचारी की तरह माना जाएगा और निम्नलिखित लाभों का हकदार नहीं होगा–

(क) समान्य भविष्य निधिय

(ख) छुट्टी का नकदीकरण;

(ग) संस्थान से ऋण या अग्रिम;

(घ) कोई छुट्टी यात्रा रियायत/गृहयात्रा रियायत;

(ड.) परिवार और अपने व्यवस्थापन के स्थान पर सामान के परिवहन हेतु यात्रा और;

(च) पुरस्कार या मानदेय।

धारा 41 (1) (घ) और धारा 22 (3) 99 (1) अस्थायी कर्मचारी की सेवाएँ चाहे कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित रूप में सूचना देकर किसी भी समय समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) ऐसी सूचना की अवधि, चाहे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को या कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को दी जाए, एक माह होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दी गयी सूचना की दशा में वह सूचना में उसी संपूर्ण अवधि या उसके किसी भाग के बदले में वेतन देने की बात को रख सकता है, और

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी को कोई नोटिस दिए बिना अवमुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा या अल्पावधि के लिए नोटिस स्वीकार करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं होगा। वह इसके लिए कर्मचारी से नोटिस के स्थान पर धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा करेगा।

स्पष्टीकरण– इस विनियम के उद्देश्य हेतु, अस्थायी सेवा का आशय संस्थान के स्थायी या अस्थायी पद की स्थानापन्न सेवा से है, और अन्य नियुक्तियों जो कि इस विनियम में विनिर्दिष्ट हैं, अस्थायी नियुक्तियाँ होंगी।

(3) इस विनियम में कोई बात निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगी–

(क) संविदा पर रखे गये कर्मचारी,

(ख) ऐसे कर्मचारी जो संस्थान को पूर्णकालिक सेवा में न हो,

(ग) वर्क चार्ज्ड अधिष्ठान में नियोजित व्यक्ति, और,

(घ) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आकस्मिक व्यय से भुगतान किया जाता है।

धारा 41 (1) (घ) और धारा 22 (3) 100 (1)इस विनियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी संस्थान का कोई स्थायी सदस्य, संकाय सदस्य सहित, नियुक्ति प्राधिकारी को तीन माह की लिखित नोटिस देकर या उसके बदले में संस्थान को तीन माह के वेतन का भुगतान करके त्याग पत्र दे सकता है।

(2)ऐसें त्याग पत्र प्रभावी नहीं होंगे, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए।

(3)नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे त्याग पत्र को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है, यदि कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या प्रक्रिया में हो।

धारा 41 (1) (घ) और धारा 22 (3) 101 इस विनियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी पद समापन के कारण जब सेवाओं की आवश्यकता न हो तब, संस्थान की आवश्यकता न हो तब संस्थान के स्थायी संकाय सदस्य, अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सेवा, तीन माह के वेतन का भुगतान करके, समाप्त कर सकता है।

अध्याय चौदह

ज्येष्ठता

धारा 41 (1) (घ) और धारा 22 (3) 102 अधिनियम, उसके अधीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के उपबंधों के अध्यधीन समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली 1999 के उपबंध लागू होंगे।

(1) कार्यपालक कुलसचिव संस्थान के प्रत्येक श्रेणी के संकाय सदस्यों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में उपबंधों के अनुसार एक पूर्ण और अद्यतन ज्येष्ठता सूची तैयार और अनुरक्षित करेगा।

(2) चिकित्सा अधीक्षक संस्थान के अस्पताल के प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में उपबंधों के अनुसार एक पूर्ण और अद्यतन ज्येष्ठता सूची तैयार और अनुरक्षित करेगा।

(3) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) संस्थान के गैर–अस्पताल के प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में उपबंधों के अनुसार एक पूर्ण और अद्यतन ज्येष्ठता सूची तैयार और अनुरक्षित करेगा।

धारा 41 (1) (च) और धारा 22 (3) 103 ज्येष्ठता सूची तैयार किया जाना

(1) किसी सेवा में नियुक्त किये जाने के तुरन्त बाद इस विनियमावली के उपबंधों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करायेगा।

(2) सुसंगत अवधि की नोटिस के द्वारा जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से सात दिनों से कम नहीं होगी, आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुए सम्बन्धित व्यक्तियों के मध्य अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का परिचालन किया जाएगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी एक तर्कसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् अंतिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।

अध्याय पंद्रह

सामान्य भविष्य निधि

धारा 41 (1) (च) 104 अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली एवं इस विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में समय–समय पर यथा प्रचलित सुसंगत विनियमावली राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए लागू होगी।

अध्याय सोलह

पेंशन, उपादान और पारिवारिक पेंशन

धारा 41 (1) (च) 105 अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली एवं इस विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए संस्थान के कर्मचारियों को देय पेंशन, उपादान और पारिवारिक पेंशन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में समय–समय पर प्रचलित पेंशन, उपादान और पारिवारिक पेंशन के अनुरूप राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए लागू होंगे।

नई पेंशन योजना 01 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगी।

अध्याय सत्रह

भवन निर्माण और अन्य अग्रिम

106 अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली एवं इस विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए वित्तीय नियम–संग्रह (खण्ड–1, भाग–5, के सुसंगत उपबंध लागू होंगे।

अध्याय अठ्ठारह

निदेशक हितकारी निधि

धारा 41 (1) (घ) 107 (1) संस्थान के सभी नियमित कर्मचारियों के प्रसुविधा के लिए संस्थान "निदेशक हितकारी निधि" के नाम से एक निधि का गठन करेगा। संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी निधि का सदस्य होगा। निधि का यह प्रयास होगा कि वह संस्थान के कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की स्थिति में निधि के सदस्यों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करे।

(2) इस विनियमावली के प्रयोजनों के लिए परिवार के अंतर्गत, यथास्थिति, केवल पति/पत्नी, सौतेले और दत्तक पुत्रों सहित पुत्र तथा अविवाहित एवं विधवा पुत्रियाँ हैं।

(3) किसी ऐसे कर्मचारी के संबंध में जिस पर इस विनियम के उपबंध लागू हैं सहायता की धनराशि मृत्यु की दशा में रू0–1,00,000 और स्थायी निःशक्तता की दशा में रू0–50,000 होगी।

हितकारी निधि का गठन निम्नलिखित से किया जाएगा :–

(क) संस्थान से अंशदान जिसकी धनराशि रू0–25,000 प्रतिवर्ष या शासी निकाय द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधन के अनुसार,

(ख) सदस्यों के एक दिन के वेतन से एक बार दिया गया अंशदान,

(ग) निवेश से आय, और,

(घ) किसी विन्यास, दान या अन्य अंशदान से प्राप्तियों या ऐसे विशिष्ट कार्यकलापों द्वारा निधि में अभिवृद्धि जैसा कि शासी निकाय के अनुमोदन से हितकारी निधि की प्रबन्ध समिति द्वारा विनिश्चित किए जाएँ।

(ड़) निधि का संग्रह और प्रबन्ध अन्यतः संस्थान द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायकी या अनुदान नहीं प्रदान किया जाएगा।

धारा 41 (1) (च) और धारा 22 (3) 108 (1) हितकारी निधि का प्रबन्ध और प्रशासन एक प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष के रूप में निदेशक, सदस्य–सचिव के रूप में वित्त अधिकारी और निदेशक द्वारा हितकारी निधि के प्रशासन के लिए नामनिर्दिष्ट तीन अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे।

निदेशक किसी सदस्य की मृत्यु/स्थायी निःशक्तता की सूचना प्राप्त होते ही जब भी आवश्यकता हो वित्तीय सहायता अवमुक्त करने के लिए सशक्त है।

(2) हितकारी निधि की धनराशि किसी अनुसूचित बैंक में सावधिक निक्षेप में जमा की जाएगी या उसका ऐसी रीति से विनिधान किया जाएगा जैसा कि निदेशक के अनुमोदन से हितकारी निधि की प्रबन्ध समिति द्वारा विनिश्चय किया जाए।

(3) निधि का लेखा सम्यक रूप से रखा जाएगा और संस्थान के लेखा परीक्षकों से प्रतिवर्ष उसकी लेखा परीक्षा कराई जाएगी।

अध्याय उन्नीस

मानदेय एवं पुरस्कार

धारा 41 (1) (च) और धारा 22 (3) 109 (1) इस विनियमावली के प्रयोजनार्थ मानदेय का तात्पर्य संस्थान के कर्मचारी को किसी आकस्मिक प्रकृति के विशेष कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में दिये जाने वाले संदाय से है।

(2) इस विनियमावली को संकाय तथा शोध कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा।

(3) किसी कर्मचारी के मानदेय हेतु अनुदान के संबंध में निदेशक स्वीकृति प्राधिकारी :–

(4) मानदेय की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी

(एक) किसी विभाग में कोटिवार दस प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को मानदेय स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(दो) कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक मानदेय का अधिकारी नहीं होगा।

(तीन) मानदेय किसी ऐसे कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा, जिसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक न रहा हो अथवा जिसके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही या कोई आपराधिक मामला लम्बित हो।

धारा 41 (1) (च) और धारा 22 (3) 110 संस्थान के किसी कर्मचारी को कोई नगद पुरस्कार, योग्यता प्रमाण पत्र या दोनों दिया जा सकता है, यदि उसने:–

(1) कर्तव्यों के प्रति अनुकरणीय समर्पण दिखाया है और अपने कार्य अथवा किसी विशेष मामले में विशिष्ट योगदान दिया हो।

(2) संस्थान के कार्यकलापों में कुछ सारवान् अनुसंधान एवं परिवर्तन के लिए सुझाव दिया हो, जो अधिक दक्षता या व्यय में सारवान् बचत के रूप में फलीभूत हो।

(3) संस्थान को अपनी दूरदर्शिता अथवा तत्परता से वित्तीय या भौतिक हानि से बचाया हो।

धारा 41 (1) (च) और धारा 22 (3) 111 इस विनियमावली के अंतर्गत शासी निकाय पुरस्कारों के संबंध में स्वीकृति प्राधिकारी होगा।

धारा 41 (1) (च) और धारा 22 (3) 112 शासी निकाय मानदेय एवं नगद पुरस्कार की धनराशि किसी ऊपरी सीमा के साथ अधिकथित कर सकता है।

अध्याय बीस

उपाधि, डिप्लोमा, शैक्षिक विशिष्टता और पदवी प्रदान करना

धारा 8 (च)	113	(1)संस्थान विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् ऐसी विभिन्न उपाधियों, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टियों एवं पदवियों प्रदान करेगा, जो समय–समय पर शासी निकाय द्वारा विहित किये जायें। (2)शासी निकाय विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में चयन और प्रवेश के लिए आवश्यक अपेक्षाएँ और प्रकिया निर्धरित कर सकता है।

अध्याय इक्कीस

फीस और प्रभार

धारा 8 (झ)	114	(1) संस्थान द्वारा प्रदत्त अस्पताल संबंधी सेवाओं के लिये समय–समय पर शासी निकाय द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर, सभी का बिल बनाया जाएगा एवं उसे प्रभारित किया जाएगा। (2) अस्पताल संबंधी प्रभार अस्पताल बोर्ड और वित्त समिति के परामर्श से शासी निकाय द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रभारों की अनुसूची के अनुसार इस विनियम के उपनियम 1 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को छोड़कर आवासी या बाह्य दोनों रोगियों से वसूल किये जाएंगे।
धारा 8 (झ) और धारा 41 (1)(ठ)	115	विभिन्न वर्गों जैसे छात्रों, निवासियों, शोध कर्मचारियों, प्रेक्षकों आदि के लिए फीस और प्रभार जैसा कि शासी निकाय द्वारा समय–समय पर निर्धारित हो, विद्या परिषद्, अस्पताल बोर्ड या वित्त समिति द्वारा निश्चित किया जाएगा।

अध्याय–बाईस

सम्पत्तियों का प्रबंधन

धारा 19 (1), धारा 19 (2) (ड़), धारा 19 (2) (छ) और धारा 41 (1) (झ)	116.	शासी निकाय सम्पत्ति अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए संस्थान के किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा। वह संस्थान की चल और अचल सम्पत्तियों का संरक्षक होगा और निदेशक के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। (1) संस्थान के परिसर में आवासिक भवनों को समय–समय पर शासी निकाय द्वारा अनुमोदित आवंटन की नियमावली के अनुसार आवंटन किया जायेगा। (2) शासी निकाय आवासिक भवनों के किराये के भुगतान के लिये और अन्य प्रभारों के लिये प्रकिया भी विहित करेगा।
धारा 19 (1), धारा 19 (2) (ख), धारा 19 (2) (छ) धारा 19 (2) (ञ) और धारा 41 (1) (झ)	117	(1) संस्थान परिसर में दुकानों को शासी निकाय द्वारा इस प्रायोजन के लिए विहित दिशा निर्देशों के अनुसार पट्टे पर दिया जायेगा। (2) किराये की उतनी दर प्रभारित की जायेगी, जितनी शासी निकाय द्वारा विनिश्चिय की जाय। शासी निकाय द्वारा यथा निर्धारित रीति से समय–समय पर किराये का पुनरावलोकन किया जायेगा।
धारा 19 (2) (छ) और धारा 41 (1) (झ)	118	संस्थान उपस्कर, मशीनरी या सर्विस के परिचालन और अनुरक्षण के संबंध मे किसी फर्म के साथ वार्षिक संविदा कर सकता है। ऐसी संविदा की दरे, निबंधन और शर्तो को निदेशक द्वारा इन प्रयोजन के लिए गठित समितियों की संस्तुतियों पर अन्तिम रूप दिया जायेगा।
धारा 19 (2) (घ), (ड़) (छ) और (ज) धारा 41 (1) (झ)	119	(1) शासी निकाय धन या सम्पत्ति चाहे चल हो या अचल की भेंट, विन्यास या दान को स्वीकार कर सकता है। यथास्थिति भेंट या उसके आश्रम को, शर्तें, यदि कोई हो जिनकी दान दाता या विन्यासी ने इच्छा की हो, पर सम्यक ध्यान देते हुए, प्रयोग किया जायेगा।

(2) उपर कथित ऐसे धन या संपत्ति का प्रबंधन शासी निकाय के विनिर्दिश्ट निदेशों के अनुसार किया जायेगा, यदि ऐसी भेट, अनुदान या दान के संबंध में कोई निदेश हों।

धारा 19 (1) धारा 19 (2) (घ), (ड.) (छ) और (ज) और धारा 41 (1) (झ) — 120

शासी निकाय के निर्देशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, संस्थान को दिये गये धन या अन्य सम्पत्ति की भेंट विन्यास या दानों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगा:–

(क) निर्धन व्यक्तियों की मदद करने के लिए उनके अस्पताल के देयों का भुगतान करने के लिए

(ख) छोटे उपस्करों/डिस्पोसेबल्स प्रोस्थेसिस के कय/मरम्मत के लिये

(ग) निर्माण/स्वच्छता प्रयोजनों के लिये।

(घ) डाक्टरों के अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिये।

(ड.) और इस प्रयोजनार्थ गठित की जाने वाली समिति द्वारा यथा उचित विनिश्चित किये गये कोई अन्य उद्देश्यों के लिए

धारा 19 (1) धारा 19 (2) (घ), (ड.) (छ) (ज) और धारा 41 (1) (झ) — 121

सभी दानों, विन्यासों और उपहारों के निवेश को विनिश्चित करने के लिए शासी निकाय एक समिति का गठन करेगी। आय, व्यय और बिना व्यय किये गये अवशेषो का एक अलग से वार्षिक लेखा अनुरक्षित किया जायेगा और शासी निकाय को प्रस्तुत (रिपोर्ट) किया जायेगा।

धारा 41 (1) (झ) — 122

संस्थान की समस्त चल सम्पत्ति सावधिक रूप से ऐसी रीति से प्रबन्धित और जांच की जायेगी, जैसा कि इस हेतु शासी निकाय द्वारा आदेशों में उल्लिखित किया जाय और ऐसी जांच की रिपोर्ट शासी निकाय के समक्ष इसकी बैठक में रखी जायेगी।

धारा 41 (1) (झ) — 123

सम्पत्ति अधिकारी संस्थान की अचल सम्पत्ति की एक वार्षिक रिपोर्ट शासी निकाय के विचारार्थ तैयार करेगा।

धारा 33 और 34 — 124

<u>निर्वचन की शक्ति</u>

विनियमावली के निर्वचन से सम्बंधित किसी मामले की दशा में सरकार का निर्वचन अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

व्याख्या/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का सरकार की शक्ति — 125

राज्य सरकार संस्थान से अधिनियम/नियमावली और विनियम शासनादेश आदि के अनुपालन से सम्बंधित व्याख्या/स्पष्टीकरण मांग सकती है और यदि अपेक्षित हुआ तो अधिनियम की धारा–33 के कियान्वयन हेतु निदेश जारी कर सकती है। संस्थान से व्याख्या/स्पष्टीकरण लम्बित रहने के दौरान राज्य सरकार अन्तरिम आदेश जारी कर सकती है।

आज्ञा से,
कपिल देव,
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट – 1
(देखे विनियमावली 3,4,5,7,8,9,10 एवं 11)

क्र0 सं0	अधिकार की प्रकृति	संकायाध्यक्ष / वित्त अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष	शासी निकाय	संस्थान निकाय	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्थाई	——	—	श्रेणी–बी0 सी0 एवं डी0 के संबंध में पूर्ण अधिकार	संकाय सदस्य एवं श्रेणी–क अधिकारी (कार्यपालक कुल सचिव को छोड़कर) के मामले में पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार कार्यपालक कुलसचिव अथवा जिसे अधिकृत किया जाय	—	अधिकार विनियामावली के अध्यधीन है
2	परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त होने पर स्थाईकरण के अधिकार	——	——	श्रेणी–बी0 सी0 एवं डी0 के संबंध में पूर्ण अधिकार	संकाय सदस्य एवं श्रेणी–क अधिकारी के संबंध में पूर्ण अधिकार	——	——	——
3	त्याग पत्र स्वीकार करने का अधिकार	संकायाध्यक्ष– पूर्ण अधिकार जूनियर रेजीडेंट, सीनियर रेजीडेन्ट के संबंध में	——	श्रेणी–बी0 सी0 एवं डी0 के संबंध में पूर्ण अधिकार	संकाय सदस्य एवं श्रेणी–क अधिकारी के संबंध में पूर्ण अधिकार	——	——	शोध कर्मचारियों हेतु शासी निकाय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित
4	अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त संस्थान के संकाय में आचार्य/ विभागाध्यक्ष को सेवा में बनाये रखना	——	——	——	शक्तियों का प्रयोग शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से और विनियमावली के उपबंधों के अध्यधीन	——	——	—
5	संस्थान के कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर नियुक्ति की दशा में धारणाधिकार प्रदत्त करने के अधिकार	——	ग्रुप–बी0, सी0 एवं डी0 हेतु 02 वर्ष का अधिकार जैसा कि विनियमावली में निर्धारित	संकाय एवं ग्रुप–ए0 हेतु 02 वर्ष का अधिकार जैसा कि विनियमावली में उल्लिखित है	——	2 वर्ष के उपरान्त धारणधिकार का विस्तार गुण दोष के आधार पर विचार के पश्चात शासी निकाय द्वारा किया जा सकता है।	—	—
6	सामान्य नियमों के अधीन संस्थान के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के अधिकार	——	किसी भी श्रेणी हेतु पूर्ण अधिकार	——	——	——	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार, जहाँ पर सामान्य नियम लागू हो की प्रतिनियुक्ति की स्थिति में वाह्य सेवा की नियम व शर्तो को स्वीकार करने का अधिकार	—	ग्रुप–बी0 एवं सी0 तथा डी0 हेतु पूर्ण अधिकार	संकाय एवं ग्रुप–ए हेतु पूर्ण अधिकार	—	—	कुलसचिव या यथा प्रतिनिहित	—
8	सीनियर रेजीडेंट/जूनियर रेजीडेंट के कार्य अवधि के बढ़ाने के अधिकार	संकायाध्यक्ष पूर्ण अधिकार, ए0बी0/ शासी निकाय द्वारा समय समय पर दण्ड दिये जाने के शर्तो के अध्यधीन	—	—	—	—	—	—
9	मानदेय स्वीकृत करने एवं उन्हें स्वीकार करने के अधिकार	—	—	विनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन समस्त अधिकारियों एव कर्मधारियों हेतु पूर्ण अधिकार	—	—	—	—
10	कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में विस्तार	जे0आर0/ एस0आर0/ विद्यार्थी के मामले में 30 दिन का पूर्ण अधिकार	समस्त कर्मचरियों हेतु 30 दिन का पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार समस्त कर्मचारियो हेतु (स्वयं को छोड़कर) 30से 90 दिन	—	—	—	—
11	छूट्टी स्वीकृत करना	—	—	—	—	—	—	अवकाश विनियमावली के अनुसार समस्त शक्तियों का प्रयोग
11ए	आकस्मिक अवकाश	विभागाध्यक्ष को पूर्ण अधिकार स्वयं को छोड़कर स्वयं के अधीन नियुक्त सभी कर्मधारी के संबंध में।	—	पूर्ण अधिकार, (विभागाध्यक्ष, वित्त अधिकारी एवं कार्यपालक कुल सचिव)	—	—	—	अवकाश विनियमावली के अनुसार समस्त शक्तियों का प्रयोग

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11वी	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अधीक्षक को पूर्ण अधिकार, (अस्पताल के श्रेणी बी,सी एवं डी के समस्त कर्मचारियों हेतु) संकायाध्यक्ष को पूर्ण अधिकार जे0आर0/ एस0आर0/ स्टूडेंट्स के लिए	पूर्ण अधिकार श्रेणी बी,सी एवं डी के अन्य कर्मचारियों हेतु	पूर्ण अधिकार, संकाय सदस्यो एवं श्रेणी ए के अधिकारियों हेतु	—	—	—	—
11सी	अर्धवेतन अवकाश	तदैव	तदैव	तदैव	—	—	—	—
11डी	चिकित्सा अवकाश	तदैव	तदैव	तदैव	—	—	—	—
11ई	कम्युटेड अवकाश	तदैव	तदैव	तदैव	—	—	—	—
11एफ	प्रसूति अवकाश	तदैव	तदैव	तदैव	—	—	—	—
11जी	असाधारण अवकाश	—	—	गैर शैक्षिक समस्त कर्मचारियों हेतु पूर्ण अधिकार	संकाय सदस्यों के प्रकरण में पूर्ण अधिकार	—	—	—
11एच	अध्ययन अवकाश	—	—	पूर्ण अधिकार, समस्त कर्मचारियों के प्रकरण में, (भारत के अन्दर)	पूर्ण अधिकार, समस्त कर्मचारियों के प्रकरण में, (विदेश)	—	—	—
11आई	प्रतिकर अवकाश	विभागध्यक्ष को श्रेणी सी एवं डी के सभी कर्मचारियों हेतु	—	—	—	—	—	—
11जे	अपंगता अवकाश (अक्षमता)	—	श्रेणी बी,सी एवं डी कर्मचारियों हेतु	संकाय सदस्य एवं श्रेणी ए के अधिकारियों हेतु	—	—	—	—
12	किसी भी कार्य हेतु संस्थान के अधिकारियों को विदेश भ्रमण की स्वीकृति का अधिकार	—	—	30 दिन तक पूर्ण अधिकार	उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति से पूर्ण अधिकार	—	—	—
13	संस्थान के कार्य हेतु संस्थान के अधिकारियों को विदेश भ्रमण की स्वीकृति का अधिकार	—	—	30 दिन तक पूर्ण अधिकार	उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति के अध्यधीन पूर्ण अधिकार	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	सबसे छोटा व सस्ता दो रास्ते निर्णित करना	—	—	तदैव	—	—	—	—
15	श्रेणी 3 एवं 4 के कर्मचारियों को उच्च श्रेणी के रेल किराये की स्वीकृति का अधिकार (अधिकारियों के साथ यात्रा करने की स्थिति में)	—	—	पूर्ण अधिकार	—	—	—	—
16	संस्थान के कर्मचारियों को यात्रा एवं स्थानान्तरण आदि पर अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार	वित अधिकारी	—	—	—	—	—	—
17	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के यात्रा भत्ता पर प्रतिहस्ताक्षरित कराना	—	—	पूर्ण अधिकार, विभागध्यक्ष के प्रकरण में देश के अन्दर टी0ए0 के संबंध में एवं ऐसे व्यक्ति के प्रकरण में जो संस्थान में सेवा में नहीं हो एवं संकायाध्यक्ष अधिकृत न हो।	—	—	—	शोध कर्मचारियों हेतु जैसा शासीनिकाय द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया हो
18	भविष्य निधि से स्थायी/अस्थायी निकासी का अधिकार	—	—	निदेशक को छोड़कर समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण अधिकार	निदेशक के प्रकरण में पूर्ण अधिकार	—	—	—
19	संस्थान के विरूद्ध दायर मुकदमों हेतु अग्रिम स्वीकृति हेतु अधिकार	—	—	पूर्ण अधिकार	—	—	—	—
20	गृह/मोटर कार के अग्रिम स्वीकृति हेतु अधिकार	वित्त अधिकारी को समस्त अधिकार जैसा कि विनियमावली में दिया गया है	—	—	—	—	—	—
21	स्वीकृत बजट से एक मद से दूसरे मद में स्थानान्तरण का अधिकार	—	—	पूर्ण अधिकार	—	—	—	शासी निकाय एवं वित्त समिति के बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाये

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22ए	सामान्य निधि/भंडारण (इक्सपायरर्ड दवाएं एवं कन्जुमेविल) की अपूर्णीय क्षति	—	—	प्रत्येक प्रकरण में एक लाख रूपये तक जो शासी निकाय द्वारा निर्धारित किया जायेगा	पूर्ण अधिकार	—	—	शासी निकाय एवं वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये
22बी	स्टोर में कमी/ह्रास	—	—	तदैव	तदैव	—	—	तदैव
23	पुराना, अयोग्य, आवश्यकता से अधिक निष्प्रयोज्य भण्डारो का निस्तारण	—	—	कैपिटल आईटम (रूपये दस लाख के अन्दर) कण्डमनेशन बोर्ड की संस्तुति पर। नॉन कैपिटल आइटम के संबंध में पूर्ण अधिकार	—	कण्डमनेशन बोर्ड को पूर्ण अधिकार (हाई लेबिल परचेज कमेटी के माध्यम से)	—	—
24	व्यय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार (बजट में प्राविधानित काण्टीजेंट व्यय)	विभागीय कय समिति के माध्यम से	—	रूपये दस लाख तक पूर्ण अधिकार (कैपिटल आइटम), सस्थान की कय समिति के माध्यम से रेवन्यू आइटम हेतु पूर्ण अधिकार	—	पूर्ण अधिकार (कैपिटल आइटम) उच्च स्तरीय कय समिति के माध्यम से	—	शोध अनुदान के उपयोग के सन्दर्भ में यथा समय शासी निकाय द्वारा अलग से परिभाषित किया जायेगा
25	कय समिति की संस्तुति के बिना भण्डारों के कय के अनुमोदन का अधिकार	—	—	रूपये पचास हजार तक	—	—	—	—
26	बिल्डिंग एवं छोटे–छोटे कार्यो	—	—		—	—	—	—
	का रख–रखाव			एक लाख				
	अ–मुख्य कार्य एवं स्पेशल रिपेयर्स			पचास हज़ार				
	ब– सामान्य अनुरक्षण			एक लाख				
	स– वार्षिक अनुरक्षण							
27	जिस माह में पहला दिन अवकाश का हो उस माह के पूर्व के माह के अन्तिम तिथि को कर्मियों के वेतन व भत्तों के भुगतान का अधिकार	—	—	पूर्ण अधिकार	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	बचे हुए वेतन एवं भत्ते के व्यय को अधिकतम तीन माह की अवधि तक रोकने का अधिकार	वित्त अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा	—	—	—	—	—	—
29	आवास आवंटन	—	—	भवन आवंटन समिति की संस्तुति पर जिसमें निरस्तीकरण, निष्कासन, बिना पारी से सभी श्रेणियों के लिये मेरिट पर आवंटन हेतु पूर्ण अधिकार	—	—	—	इस आशय हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार
30	किसी अधिकारी के अवकाश अवधि को आवास के कब्जे में सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देश देने का अधिकार	—	—	प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए पूर्ण अधिकार	—	पूर्ण अधिकार	—	—
31	शोध अनुदान को स्वीकृत करने के अधिकार	—	—	पूर्ण अधिकार	—	—	—	—
32	संस्थान में कय किये गए मोटर वाहन को विकय व स्थानान्तरित करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का अधिकार	—	—	पूर्ण अधिकार	—	—	—	—
33	सरकारी अभिलेखों का विनष्टीकरण	—	—	पूर्ण अधिकार, शासी निकाय द्वारा निर्धारित शर्तें एवं अवधि के अध्यधीन सामान्य एवं विशेष आदेश एवं विनियमावली के उपबंधों के अनुसार	—	—	—	—

परिशिष्ट – 2

संस्थान के विभिन्न पदों हेतु नियुक्ति प्राधिकारी, दण्डाधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी

क्र0सं0	पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	दण्डाधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	निदेशक	श्री राज्यपाल	श्री राज्यपाल	—
2.	अपर निदेशक	सरकार	सरकार	जैसा कि सरकारी नियमों में परिभाषित हो
3.	वित्त अधिकारी	सरकार	सरकार	जैसा कि सरकारी नियमों में परिभाषित हो
4.	संकाय	अध्यक्ष	अध्यक्ष	कुलाध्यक्ष
5.	श्रेणी–1 के अधिकारी कार्यपालक कुलसचिव को छोड़कर	अध्यक्ष	अध्यक्ष	कुलाध्यक्ष
6.	कार्यपालक कुलसचिव	सरकार	सरकार	जैसा कि सरकारी नियमों में परिभाषित हो
7.	श्रेणी–2 अधिकारी	निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष
8.	श्रेणी–3 एवं श्रेणी–4 कर्मचारीगण	निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

In Pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.2683/71-2-11-1028/83, dated 29 July, 2011.

No. 2683/71-2-11-1028/83

Lucknow: Dated July 29 2011

In exercise of the powers under sub section (2) of section 41 of the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983 (U.P. Act no. 30 of 1983) the Governor is pleased to make the following first regulations of the Institute.

THE SANJAY GANDHI POST-GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,

First Regulations, 2011

Chapter – I

PRELIMINARY

Short title and Commencement

1 (1) These regulations may be called the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences First Regulations, 2011.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Definitions

2 (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,

(i) "Act" means the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983;

(ii) "Chairman" means Chairman of Governing body of the Institute, as provided in Section 11;

(iii) "Departmental Promotion Committee" means Departmental Promotion Committee;

(iv) "Department" means an academic department of the Institute;

(v) "Faculty member" means a member of the teaching staff and includes Emeritus Professor, Distinguished Professor, Professor of Eminence, Senior Professor, Professor, Additional Professor, Associate Professor and Assistant Professor;

(vi) "Financial Handbook" means the Financial Handbook issued by The authority of the Government of Uttar Pradesh;

(vii) "Fundamental Rules" means fundamental rules as applicable to The Government servants;

(viii) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(ix) "rules" means the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Rules, 1991, as amended from time to time;

(x) "Schedule" means a Schedule appended to these regulations;

(xi) "Section" means a section of the Act;

(xii) "Year of recruitment" means the period of twelve month commencing from the first day of July of a calendar year.

(2) Words and expressions used, but not defined in these regulations shall have the meanings assigned to them in the Act and the rules.

CHAPTER - II

OFFICERS AND FUNCTIONARIES

President

(3) **Powers and functions of the President :**

The President shall exercise such powers and discharge such functions as are provided in the Act, the rules, and Schedules I and II to these regulations.

Director (4) **(A) Mode of Appointment / Selection**

[Section 41 (1) (h)] The Director shall be appointed by the Visitor of the Institute.

(B) Qualification:

The Director must possess the recognised post graduate medical qualification with a minimum of ten years teaching experience as Professor/Associate Professor /Reader in a medical college/institution out of which at least five years should be as Professor in a department Preference may be given to those with extensive practical & administrative experience the field of medical relief, medical research, medical education or public health organization and adequate experience of running an important scientific education institution either as its Head or Head of a Department.

(C) Tenure of Service :

The Director shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(D) Powers and duties of the Director :

(i) The Director shall be the ex-officio Chairman of Academic Board, Hospital Board and Finance Committee, and shall have power to convene or cause to be convened meetings of these committees.

(ii) He shall be Vice-Chairman of the Governing Body,

(iii) He shall be the appointing authority for groups B, C and D employees of the Institute, and may delegate this power to such other officer(s) under his control, subject to such limitations and restrictions as he may think proper.

(iv) Subject to the provisions of the Act, the rules and these Regulations, the Director shall be the Head of Department in terms of the Financial Hand Book, Volume I and shall exercise the powers of Head of Department and inter-alia discharge the duties mentioned below:

a) He shall be in charge of the administration of the Institute and shall allocate duties of officers and employees of the Institute and shall exercise such supervision and executive control, as may be necessary.

(v) He shall have the power to utilize the services of faculty members, residents, students, trainees and other employees of the Institute in the way that he thinks proper for the functioning of the Institute or its hospital.

(vi) He shall represent the Institute in law suits or proceedings by or against the Institute, sign powers of attorney and verify pleadings, or depute any officer of

the Institute as his representative for the purpose, and to authorize that officer to perform these duties.

(vii) He may continue to perform clinical, teaching and research duties, and will be eligible to avail various perquisites and facilities for academic and research work, including but not limited to vacation, duty leave, participation in conferences, learning resource allowance, research grants, etc, as available to any other faculty member.

(viii) Subject to the directions of the Governing Body issued from time to time, Director shall have the power to appoint examiners, experts, inspectors, moderators, etc.

(ix) All research proposals whether to be funded by the Institute, an outside source or both will be undertaken after approval of the Director.

(x) Other powers a mentioned in schedule I & II

(xi) The Director shall also exercise such powers and performs such functions as are delegated or assigned to him from time to time by the Institute, Governing Body and the President.

Additional Director (5) **(A) Mode of Appointment / Selection :**

(Section 9 (g) and rule 5)

The Additional Director shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of Indian Administrative Service.

(B) Powers and duties of the Additional Director:

(i) The Additional Director shall function under the Administrative control and supervision of the Director.

(ii) He shall be responsible for general administration of the Institute, such as appointment and personnel matters, construction, maintenance, procurement etc.

(iii) He shall exercise such powers and discharge such duties as may be assigned to him by the Director.

(iv) He shall coordinate between the Institute and the Government.

(v) He shall be a special invitee to all statutory body meetings of the Institute.

(vi) He shall exercise powers as mentioned in colum 4 of schedule 1

Dean 6. **(A) Mode of Appointment / Selection :**

[Sections 9 (d), 14 (1) and 41 (1) (h)]

(i) Dean of the Institute shall be appointed by the Governing Body from amongst the Professors of the Institute on the basis of seniority for a term of three years unless he is removed from the post of Dean of the institute by the governing body for which a notice of not less than three months is given in writing.

(ii) On superannuation as Professor, a person shall also cease to hold the office of Dean.

(iii) Any person holding the office of Dean on the commencement of these regulations shall continue to hold office until the expiry of remaining term of his office or the age of superannuation, whichever is earlier.

(iv) When the office of Dean is vacant or when the Dean is unable to perform the duties of his office by reason of illness, absence or any other cause, the duties of his office shall be performed by the senior-most Professor in the Institute as may be nominated by the President provided that a person so appointed must possess the qualifications as laid down by the Medical Council of India to be a Head of the Department.

[Section 14 (2) and Section 41 (1) (h)]

(B) Powers and duties of the Dean :

The Dean of the Institute shall have the following powers and shall perform the following functions:

(i) he will be responsible to the Director for the execution of all programmers in connection with teaching, training and research at the Institute;

(ii) he will, subject to the control of the Director, be in charge of all academic activities;

(iii) he will coordinate all student admissions and all examinations;

(iv) he will forward recommendations for academic prizes, awards, etc. to the Director;

(v) he will coordinate the work related to research, under the control and guidance of the Director;

(vi) he will route research proposals to appropriate authorities, provided that proposals requiring funds from international organizations shall be so routed after approval of the Director;

(vii) he will forward all other academic matters, including proposals for conduct of academic functions relating to various departments to the Director with his recommendations.

(viii) he will be responsible for all work related to award of scholarships, stipends and free ships to the students and trainees;

(ix) he will forward to the Director all matters for the approval of the Academic Board;

(x) he will be responsible for discipline amongst students and will have the power to punish them for indiscipline and the Director will be the appellate authority for such action;

(xi) he will be responsible for collaborative research and academic activities in various academic departments;

(xii) he will exercise such financial powers as may be assigned to him by the Governing Body.

(xiii) he will be invited to all statutory bodies like Institute, Governing Body and Finance Committee;

(xiv) he will, with the approval of the Director, issue notices convening meetings of the Academic Board and will keep the minutes of all such meetings; and

(xv) he will perform such other duties, and exercise such other powers as have been laid down in the regulations including Schedules I & II or as may be assigned to him from time to time by the Director.

Finance Officer — 7

Section 41 (1) (h)

(A) Mode of Appointment / Selection :

The Finance Officer of the Institute shall be appointed by the State Government as prescribed in the Act.

(B) Powers and Duties of the Finance Officer:

As laid down in the Act.

Executive Registrar — 8.

Section 16 (1)&Rule(6)

(A) Mode of Appointment :

1) The Executive Registrar may be appointed on deputation or by direct recruitment. The terms and conditions of service of the Executive Registrar shall be such as may be prescribed by the regulations.

(B) Powers and Duties of the Executive Registrar:

As laid down in the Act

Head of Departments — 9.

Section 41 (h)

Section 41(i) (h)

(A) Mode of Appointment / Selection :

Head of the Department shall be the senior-most Professor of that department according Prescribed as in said Act provided that if there is no Professor in a department, then the senior-most faculty member not below the rank of Associate Professor shall be the Head of the Department.

Provided further that where in a Department the senior-most person voluntarily withdraws and no other person in or above the rank of Associate Professor is available, the Governing Body shall designate a faculty member in another department as Head of that Department.

Provided that a person designated by the Governing Body as Head of the Department shall possess academic qualifications prescribed by the Medical Council of India for Head of Department.

(B) Powers and Duties of Head of Academic Department:

Subject to the provisions of the Act, the rules and these regulations, and subject to control of the Director, the Head of Academic Department shall have the following powers and perform the following duties:

(i) he shall organize teaching work in his department keeping in view the recommendations made by Board of Studies as approved by the Academic Board and as per norms of Medical Council of India, in consultation with faculty members of the Department;

(ii) he shall organise clinical service of the department in accordance with decisions of the Hospital Board, and of statutory bodies and in consultation with the faculty members of the department.

(iii) he shall be responsible for overall progress of research within his department.

(iv) he shall responsible for keeping stocks of present property of his department and shall discharge financial powers and responsibilities as delegated by The Governing Body;

(v) In his absence, the next senior-most faculty member will officiate as head of the department.

Chief Medical Superintendent
Section 22 (1) and 41 (1)(h)

10 (1) **Mode of Appointment** - The Chief Medical Superintendent shall be appointed by the president from amongst the Professors and Senior Professors on the recommendation of the Director.

(2) The term of Chief Medical Superintendent shall be two years from the date he resume his duty as such.

(3) The Chief Medical Superintendent shall exercise his powers and performs his functions under the direct control of the Director.

(4) **Powers and duties of Chief Medical Superintendent-**

(a) The Chief Medical Superintendent shall be responsible for the hospital administration.

(b) He shall be the Member Secretary of the hospital board and shall execute its decisions.

(c) The powers and functions of the Chief Medical Superintendent shall be -:

(i) to maintain and upkeeps the hospital.

(ii) to consult with respective Heads of the Departments and to maintain performance and discipline of hospital employees, such as nurses, technicians and all other categories of hospital staff.

(iii) to monitor the patient related activities such as dietary services, laundry, CSSD, engineering, pharmacy, patient welfare, and Hospital Accounts etc.

(iv) to devise Hospital Management System that provides relevant information across the hospital to support effective

decision making for patient care, hospital administration and financial management.

(v) to ensure delivery of timely services of a specific quality at minimum cost.

(vi) to concern with planning, organizing, staffing, coordinating, controlling and evaluating health services with the objective to provide optimum patient care of superior quality at low cost so as to reduce morbidity and mortality.

(vii) to discharge the duties assigned to him by the Director from time to time.

(5) All Finance and Accounts personnel posted in Hospital shall be under direct control of Chief Medical Superintendent.

(6) The Chief Medical Superintendent shall also be responsible for scientific management of the hospital and shall update the knowledge and skills of personnel involved in health administration.

(7) When the office of The Chief Medical Superintendent is vacant or when he, by reason of illness, absence, or any other case, is unable to perform the duties of his office, the power and functions of his office shall be performed by such person not below the rank of Professors as may be nominated by the Director.

Medical Superintendent

Sections 22 (1) and 41 (1) (h)

10(A) (1) **Mode of Appointment-**

(a) The Medical Superintendent shall be appointed by the President.

(b) Essential qualifications for appointment as Medical Superintendent shall include-

(i) a MBBS degree ;

(ii) a postgraduate medical qualification/ postgraduate qualification in hospital administration/ hospital management, recognized by Medical Council of India, and ;

(iii) 14 years' teaching experience, at par with the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

(2) **Powers and duties of Medical Superintendent:**

(a) he shall be responsible for hospital administration and shall function under the control and supervision of Chief Medical Superintendent.

(b) he shall subject to the control of the Director, have the following powers and perform the following functions:

(c) He shall be responsible for maintenance and upkeep of the hospital under supervision of Chief Medical Superintendent.

(d) He shall be responsible for maintaining performance and discipline of hospital employees, such as nurses, technicians and all other categories of hospital staff.

(e) The establishment of para-medical staff will be looked after by the Medical Superintendent. All files and proposals to be submitted before the Director shall be routed through Chief Medical Superintendent.

(f) He shall be responsible for patient related activities such as dietary services, patient welfare, billing and accounts etc.

(3) When the office of Medical Superintendent is vacant or when he, by reason of illness, absence, or any other case, is unable to perform the duties of his office, the power and functions of his office shall be performed by such other person as may be nominated by the Director.

Joint Director (Administration) *Sections 22 (3) and 41 (1) (h)*

11. (A) Mode of Appointment / Selection:

Qualifications and method of appointment of Joint Director (Administration) shall be such as determined by the Governing Body.

(B)Powers and Duties of the Joint Director (Administration)

(1) The Joint Director (Administration) shall look after the General Administration and Personnel Section of the Institute.

(2) He shall be responsible to the Additional Director for proper discharge of his functions..

Joint Director (Material Management) *Section 22 (3) and 41 (1) (h)*

12. **(A) Mode of Appointment / Selection**

The qualifications and method of appointment of Joint Director (Materials Management) shall be such as determined by the Governing Body.

(B) Powers and Duties of the Joint Director (Material Management)

(1) The Joint Director (Material Management) shall:-

(a) be the Head of the Material Management Section and shall function under the control and supervision of the Director.

(b) be Member Secretary of High Level Purchase Committee and of Purchase Committee;

(c) be responsible for maintaining performance and discipline among all categories of staff working under him;

(d) have such other powers and discharge such other duties or as may be assigned to him from time to time by the Director.

(2) When the office of Joint Director (Materials Management) is vacant or when he, by reason of illness, absence, or any other cause, is unable to discharge the duties of his office, shall be performed by such other person as may be nominated by the Additional Director.

Chief librarian *Section 41 (1) (h) and 41 (1) (k)*

13. (A) Mode of Appointment / Selection

(1) The Chief Librarian shall be appointed by direct recruitment by the President on the recommendations of the Selection Committee consisting of the following members:

(a) The Director, who shall be the Chairman of the Committee;

(b) The Dean;

(c) The Chairman, Library Committee; and

(d) Three experts, out of whom one may be in the field of Library Science, to be nominated by the President.

(2) The qualifications to be possessed by the Chief Librarian for appointment shall be such as may be by as such determined by the President.

(B) Powers and duties of Chief Librarian

(1) He will maintain the Library of the Institute and organize its services.

(2) He will be under the administrative control of the Director through Chairman, Library Committee.

CHAPTER III

MEETINGS OF THE INSTITUTE

Sections 6 and 41(1)(a).

14. **Meetings of the Institute and conduct of business at such meetings:**

(1) for an ordinary meeting of the Institute, the Secretary shall, not less than 15 days prior to the meeting, send to each member a notice stating the time and place of the meeting;

(2) any member who wishes to propose a resolution at the meeting shall forward the terms of the resolution to the Secretary so as to reach him not later than ten days before the date fixed for the meeting;

(3) the Secretary shall, at least seven days before the date of meeting, send an agenda paper showing the business to be brought before the meeting, the terms of all the resolutions to be proposed, of which notice in writing has previously reached him;

(4) any member who wishes to propose an amendment to any of the proposals included in the agenda paper shall forward the terms of the amendment to the Secretary so as to reach him not later than four days before the date fixed for the meeting; and

(5) if any amendment to raised, the Secretary shall, at least three days before the date fixed for the meeting, issue a revised agenda showing all the proposed motions and amendments.

(6) an extraordinary meeting of the Institute may be called by the President at any time for the transaction of urgent business of the Institute.

(7) an extra-ordinary meeting of the Institute shall be called on a requisition signed by not less than one third of total members of the Institute within a month of the date of requisition; such requisition shall be accompanied by the terms of the resolution or resolutions which it is intended to propose and also the names of the proposer and seconder of each such resolution;

(8) in the case of extra-ordinary meeting, the Secretary shall give such previous notice of the time and place of the meeting as the circumstances in each case permit in such cases and shall issue the agenda paper along with the notice of the meeting;

(9) no matter which has already been decided at a meeting of the Institute shall be brought up again for consideration or shall be reconsidered until after the expiry of six months, except in a case where the President is satisfied or the Government directs that the matter requires reconsideration in the interest of the Institute.

(10) no resolution, proposal, amendment or other matter of business of which previous notice has not been given shall be brought before the Institute except by the special permission of the President;

(11) At an extra-ordinary Meeting of the Institute any member may bring forward an amendment without previous notice being given;

(12) The Secretary shall prepare a draft agenda for every meeting of the Institute under directions of the Director of the Institute and the President will approve the agenda after making such changes, if any, therein as he considers necessary; and

(13) An agenda for a meeting of the Institute may include matter relating to functions of the Institute specified in section 8;

(14) At all meetings of the Institute 51% members, inclusive of the Chairman, shall form a quorum;

(15) At the appointed time of the meeting, the Secretary shall take notice whether a quorum is present and if there is no quorum within 30 minutes after the notified time of the meeting, the meeting shall be adjourned without transacting any business;

(16) Notice for such an adjourned meeting to every member shall be sent by the Secretary at least 7 days prior to the date of such meeting by registered post speed post, courier, fax or any other suitable method;

(17) Every motion shall be affirmative in form and must be seconded and a motion standing in the name of a member who is absent from the meeting or who declines to move it may be proposed by any other member;

(18) All matters placed before a meeting shall be decided by a simple majority of votes of the members present and on putting any matter to vote, the Chairman shall call for an indication of the opinion of the members by show of hands, first in the affirmative and then in the negative, and shall declare the result accordingly which shall be recorded in the minute-book; and

(19) The Chairman presiding at a meeting shall be entitled to vote and in the case of equality of votes the Chairman shall have a second or casting vote.

(20) The Secretary Finance shall be invited to every meeting of the Institute. The President may also invite any officers of the Institute to any meeting. All special invitees and those attending the meeting on invitation not being members of the Institute, may take part in deliberations but will have no right of vote;

(21) Any business of the Institute may, with the consent of the President, be transacted, by circulation of papers to all the members and the President and acted upon, if unanimously approved and the resolution and the action taken thereon shall be placed before the next meeting of the Institute for information;

(22) For every meeting of the Institute, minutes of the proceedings shall be drawn up by the Secretary in a minutes Book to be maintained by him for the purpose, and signed by the Chairman of the meeting and these shall be circulated to the members as early as possible after the meeting, and shall be placed before the Institute at its next meeting for confirmation; and

(23) The Chairman of the meeting shall decide the procedure to be followed for transaction of the business of the Institute in respect of any matter not provided for in this regulation.

CHAPTER - IV

GOVERNING BODY

{Section 18(1)(g), 41(1)(b) and rule 7}

15. **(A) Matters relating to constitution of the Governing Body:**

(1) For the purpose of nomination of members under clause (g) of sub-section (1) of section 18 of the Act, the Director shall send to the President the list of the Heads of the Departments and other faculty members in order of their seniority.

(2) The President shall nominate from the above list two persons being the Heads of the Departments and two persons being the Faculty members of the Institute, by rotation in order of seniority in accordance with the above clause of sub-section (1) of section 18 and rule 7; and

(3) Subsequent vacancies including casual vacancies shall be filled by nomination by the President by rotation in order of seniority from the seniority list according to the procedure specified in sub-regulations (1) and (2) above;

Section 19(2)(j)

(B) Powers and functions of the Governing Body:

(1) Subject to the provisions of the Act, the rules and these regulations, the Governing Body shall, in addition to all the powers vested in it, have the following powers namely:

(a) to determine qualifications, duties and conditions of service of faculty members and other officers and employees of the Institute and to fix their emoluments subject to approval of the State Government;

(b) to fix the fees, emoluments and traveling and other allowances of the examiners.

(c) to award scholarships, fellowships, medals, prizes and other rewards.

(d) to exercise powers as laid down in these regulations and the Schedules thereof.

(e) to create committees, cells, and boards, etc., to facilitate the functioning of the Institute.

(2) The Governing Body shall seek the opinion of the Finance Committee before considering any proposal involving financial implications.

(3) The Governing Body shall seek the opinion of the Academic Board before considering any proposal involving academic functions.

(4) The Governing Body seek shall the opinion of the Hospital Board before considering any proposal involving hospital functions.

Sections 18(8) and 41 (1)(e)

(C) Procedure for conduct of business of the Governing Body:

(1) The Governing Body may meet as often as may be considered necessary by the President for transaction of its business, but shall meet at least once in every quarter;

(2) The agenda for every meeting of the Governing Body shall be prepared under the directions of the Director by the Secretary before sending it to the members, and approved by the President.

(3) At all meetings of the Governing Body, one-half of the total membership of the Governing Body shall form the quorum and no business shall be transacted at a meeting of the Governing Body unless the quorum is completed.

(4) The President shall preside at a meeting of the Governing Body.

(5) All matters submitted to a meeting of the Governing Body shall be decided by a majority of the members present and voting and in case of equality of votes, the Chairman of the meeting shall have a second or casting vote.

(6) Any business of the Governing Body may, with the consent of the President, be transacted by circulation of papers to all the members and the President. The resolution and the action taken thereon shall be placed before the next meeting of the Governing Body for confirmation.

(7) The Secretary shall draw up minutes of proceedings of every meeting of the Governing Body in a minutes book to be maintained by him for the purpose, and signed by the Chairman. These shall be circulated to the members as early as possible, after the meeting, and shall be placed before the Governing Body at its next meeting for decision.

CHAPTER - V

ACADEMIC BOARD

Section 20(2)(vi), 20(2)(vii) and Section 41(1)(b)

16. **(A) Constitution of the Academic Board:**

(1) The Director shall make the nomination of Associate Professors/Assistant Professors to the Academic Board in accordance with the provisions of clauses (vi) and (viii) sub-section (2) of section 20 of the Act, and of rule 8 by rotation in order of seniority and nominations shall be made from the list of seniority duly maintained at the Institute under these regulations and shall be put up for the purpose before the Director by the Executive Registrar.

(2) A persons who has been nominated under clause (vi) and clause (viii) of sub- section (2) of section 20 of the Act and of rule 8 as member of the Academic Board shall not be nominated for another term, to the Academic Board unless all other eligible persons have been considered for nomination.

(3) The term of office of a member elected under clause (viii) of sub-section 2 or nominated under clause (iv) and (vi) (vii) of sub- section (2) of section 20 of the Act shall come to an end as soon as he ceases to hold office by virtue of which he was elected or nominated to the Academic Board.

(4) Persons nominated to the Academic Board under Clause (iv), (vi) and (vii) and elected under clause (viii) of sub section (2) of section 20 before the commencement of these regulations shall hold office for the remainder of their term as if nominated or elected under these Regulations.

(5) Any vacancy or casual vacancy of a member other than ex-officio member shall be filled by nomination or election, as the case may be, in accordance with the provisions of sub section (2) of section 20.

(6) An out-going member shall continue in office until another person is nominated or elected in his place, as the case may be.

(7) A member other than ex-officio member may resign his office by writing under his hand to the Chairman of the Academic Board who in turn shall forward the same to the Academic Board.

(8) Any person may be invited to the academic board as special invitee with the approval of the Chairman.

Section 20(4)(c)

(B) Other Powers and Functions of the Academic Board:

Subject to the provisions of the Act, the Academic Board shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers and shall discharge the following functions, namely:

(i) to scrutinize proposals about courses of study, starting of new courses, eligibility about admission to courses and duration of such courses, and to publish syllabi of the prescribed courses of study;

(ii) to advise the Governing Body in regard to qualifications required to be possessed by persons imparting instructions in particular subjects for the various degrees, diplomas and other courses of the Institute;

(iii) to advise the Governing Body on matters relating to creation, abolition and suspension of teaching and research posts in the Institute;

(iv) to advise the Governing Body on matters relating to recognition of degrees, diplomas and other courses of other institutions;

(v) to recommend principles and criteria on which examiners may be appointed for the consideration of the Governing Body;

(vi) to report on any matter referred to it by the governing body;

(vii) to formulate, modify or revise schemes for the organization of, and assignment of subjects to academic departments of the Institute and to report to the Governing Body as to the expediency of the abolition, reconstitution or division of such departments or the amalgamation of one or more such departments;

(viii) to promote research within the Institute and to require, from time to time, reports of such research;

(ix) to consider proposals related to teaching, training and research submitted by faculty members;

(x) to recommend to the Governing Body rates of fees and charges from students and trainees;

(xi) to make proposals to the Governing Body for the establishment of departments, institutions of research and specialized studies, etc.'

(xii) to make proposals to the Governing Body for the institution of fellowships, traveling fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes or any endowment fund or oration fund;

(xiii) to make appropriate recommendations to the Governing Body with a view to maintain proper standard of examinations;

(xiv) to recommend to the Governing Body for the creation of additional clinical facilities and additional staff for departments of the Institute;

(xv) to consider matters relating to training of candidates sponsored by international academic agencies;

(xvi) to consider and report to the Governing Body all matters of general academic interest either at its own initiation or referred to it by the Governing Body; and

(xvii) to perform in relation to academic matters all such duties as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of the Act, rules and these regulations.

Section 41(1)(e)

(C) Procedure for conduct of business of the Academic Board:

(1) the Academic Board may meet as often as may be considered necessary by the Director for transaction of its business, but shall ordinarily meet once in a quarter in the premises of the Institute or at such place, date and time, as may be fixed by the Director;

(2) fifty percent of the total members of the Academic Board, including Chairman and Member Secretary, shall constitute a quorum for the transaction of any business of that Board and if there is no quorum, the meeting shall be adjourned;

(3) all decisions in a meeting for the Academic Board shall be taken by a majority of votes of the members including the Chairman present in the meeting and in case of equality of votes the Chairman shall have a second or casting vote.

(4) the minutes of the proceedings of every meeting of the Academic Board shall be drawn up by the Dean in a minute-book to be maintained by him for the purpose and signed by the Chairman of the meeting and this shall be circulated to the members as early as possible after the meeting and shall be placed before the Academic Board at its next meeting for confirmation; and

(5) in cases not expressly provided for in these regulations, the decision of the Chairman as to the procedure to be followed in respect of any matter for transacting business of the Academic Board shall be final.

CHAPTER - VI

FINANCE COMMITTEE

(Section 21(1)(d) and Section 41(1)(b))

17. **(A) Matters relating to Constitution of the Finance Committee:**

(1) The term of office of a member nominated under section 21(1)(d) shall come to an end as soon as he ceases to be the member of the Governing Body.

(2) Any vacancy in the Finance Committee (other-than the ex-officio member) which has occurred or is likely to occur shall be expeditiously intimated by the Director to the Governing Body for nomination of a member of the Governing Body in accordance with clause (d) of sub section (1) of section 21;

(3) Any casual vacancy of a member other than ex-officio member shall be filled by nomination in accordance with the provisions of clause (d) of sub section (1) of Section 21.

(4) Any out-going member shall continue in office until the other person is nominated as a member in his place.

(5) In case any vacancy remains unfilled for the period of more than six months, the fact shall be brought to the notice of the President.

Section 41(1)(e)

(B) Procedure for conduct of business of the Finance Committee:

(1) The Finance Committee may meet as often as may be considered necessary by the Director, for transaction of its business, but shall meet in at least once in three months at the premises of the Institute or at such place, date and time as may be fixed by the Chairman.

(2) Not less than half of the total members of the Finance Committee, inclusive of the Chairman and Member Secretary, shall constitute the quorum for transacting business and if there is no quorum, the meeting shall be adjourned.

(3) The Director shall preside at every meeting of the Finance Committee;

(4) No resolution, proposal, amendment, or other matter of business of which previous notice has not been given shall be brought before the Finance Committee except by the special permission of the Chairman.

(5) The Minutes of the proceedings of every meeting of the Finance Committee shall be drawn-up by the Secretary in a Minute-Book to be maintained by him for the purpose and signed by the Chairman of the meeting. This shall be circulated to the members as early as possible after the meeting and shall be placed before the Finance Committee at its next meeting for confirmation.

(6) In cases not expressly provided for in these regulations the decision of the Chairman as to the procedure to be followed in respect of any matter for transacting business of the Finance Committee shall be final.

CHAPTER - VII

COMMITTEES AND BOARDS

General

Sections 41(1)(b) and 41(1)(e)

18. (1) The Governing Body may, delegate, subject to its general control and supervision, and subject to such conditions and limitations including the conditions of review by itself, as may be specified in the order, to any committee or board or other body appointed by it under the Act, such of its powers and duties under the Act, as it deems necessary.

(2) The Governing Body may refer any question arising in the course of exercise of its powers or discharge of its duties and functions under the Act to the appropriate committee or board or other body which it may appoint, and where a reference is so made, the Governing Body before taking any decision thereon will consider the report, recommendations and suggestions of the committee or board or that body.

(3) Any committee or board or body constituted by the Governing Body shall exercise only such powers and functions as are assigned to it by the Governing Body subject to control and supervision of the Governing Body and subject to such limitations and restrictions as may be imposed by the Governing Body.

(4) All questions at a meeting of any committee or board or body shall be decided by a majority of votes of members present at the meeting and in case of equality of votes, the person presiding at the meeting shall have a second or casting vote.

Hospital Board
Section 41(1)(b) and 41(1)(e)

19. (1) For making recommendations on matters related to patient care and functioning of the hospital of the Institute, there shall be a Hospital Board.

(2) The Governing Body may also assign to the Hospital Board, subject to its control and subject to such limitations and restrictions as it may think fit to impose, the power to take decisions on certain specific matters relating to patient care and management of the hospital.

(3) The Hospital Board shall consist of the following members, namely;

The Director, who shall be the Chairman of the Hospital Board;

(a) Additional Director;

(b) the Dean

(c) one Professor;

(d) one Additional Professor;

(e) one Associate Professor;

(d) one Assistant Professor;

Nomination of members (c) to (f) above shall be made by rotation in order of seniority for two years by the Director;

(a)Finance Officer;

(b)Joint Director (Administration)

(c)Director General, Medical Education, U.P.

(d)Director/ Head Balrampur Hospital, Lucknow.

(e)Chief Nursing Officer/ Nursing Superintendent of Institute.

(f)Head of Department, Medicine, C.S.M.M.U, Lucknow.

(g)Head of Department, Surgery C.S.M.M.U, Lucknow.

(h)one Member, Consumer Forum;

(i)Special Secretary Law Department to be nominated by the Principal Secretary of Law Department;

(j)One Member of the Institute Body who is member of parliament/legislative assembly or legislative council of U.P. to be nominated by the President.

(k) Medical Superintendent, who shall be the Member Secretary of the Hospital Board.

(4) The terms of the nominated members will be for two years;

(5) The hospital Board shall meet at least twice in a year and shall meet as often as may be called by the Director.

(6) Notice for the meetings of Hospital Board shall be issued by the Medical Superintendent, who shall also maintain the minutes of meeting in a Proceeding Book and the minutes shall be signed by the Chairman.

(7) Fifty percent of total members, inclusive of Chairman and Member Secretary shall form the quorum for a meeting of the Hospital Board.

(8) All decisions shall be taken by a majority vote and in case of equality of voter, the Chairman of the meeting shall have a casting vote also.

High Level Purchase Committee.

20. (1) For the purchase of capital items valuing above fifty lakhs or as prescribed by Governing Body from time to time the purchase proposals shall be scrutinised and examined by a High Level Purchase Committee, which shall be constituted as under:-

(a)Director who shall be the Chairman of the Committee;

(b)Secretary to Government in Medical Education Department or his nominee not below the rank of Special Secretary;

(c)Principal Secretary to Government in the Finance Department or his nominee not below the rank of Special Secretary;

(d)Two Professors to be nominated by the Governing Body from amongst the Professors of the Institute.

(e)Head of the Department of the concerned Department (Indenter);

(f) Senior most Engineer in the Institute;

(g) Finance Officer;

(h) Medical Superintendent;

(i) Joint Director (Material Management) will be the Member Secretary of this Committee.

(2) The Committee shall meet as often as may be necessary;

(3) Meetings of the Committee shall be convened on the directions of the Director.

(4) At least five members including at least one from amongst the two Government nominees and one out of the two nominees of the Governing Body must be present in every meeting to from the quorum.

Hospital revolving fund

Section 20(4), 41(1)(b) and 41(1)(e)

21. (1) There shall be a Hospital Revolving Fund (HRF) to deal with the procurement and distribution of drugs, medicines, disinfectants, surgical goods, and outsourcing of services, etc.

(2) HRF will be managed by a Management Committee, whose constitution and functioning will be as determined by the Governing Body, finance Officer will be member of the management committee;

Investigation revolving fund

Section 20(4), 41(1)(b) and 41(1)(e)

22. (1) There shall be an Investigation Revolving Fund (IRF) to deal with the procurement and distribution of diagnostic reagents and chemicals, radio-isotopes, blood bags, X-ray films, glass & plastic wares, installation and maintenance of free laboratory equipments at no cost basis.

(2) The IRF will be managed by a Management Committee, whose constitution and functioning will be as determined by the Governing Body, finance Officer will be member of the management committee;

Research Cell	23.	The Institute will have a Research Cell which shall be responsible for managing research activities, including intramural and extramural research projects in the Institute. It shall be headed by a senior faculty member to be nominated by the Director.
Examination Cell	24.	The Institute will have an Examination Cell which shall be responsible for managing entrance examinations. It shall be headed by a senior faculty member to be nominated by the Director, and will work under the direct supervision of the Dean.
Boards of studies *Section 20(4), 41(1)(b) and 41(1)(e)*	25.	(1) To make recommendations regarding courses of study, to suggest measures of improvement of standard of teaching and research, to consider matters of general and academic interest to the Department and about its functioning, and to perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Board, a Board of Studies shall be constituted in each Department. (2) The constitution and functioning of the Boards of Studies will be as determined by the Governing Body.
Research committee *Section 20(4), 41(1)(b) and 41(1)(e)*	26.	(1) To advise the Academic Board on all matters related to the research at the Institute and to perform such functions as may be assigned to it by the Academic Board, there shall be a Research Committee. (2) The constitution and functioning of the Research Committee will be as determined by the Governing Body.
Ethics committee *Sections 20(4), 41(1)(b) and 41(1)(e)*	27.	(1) For advising and overseeing on ethical aspects of clinical and experimental research studies and for such other purposes as may be assigned to it by the Academic Board, the Institute will have an Ethics Committee. (2) The constitution and functioning of the Ethics Committee will be determined by the Governing Body.
Animal Ethics committee *Section 20(4), 41(1)(b) and 41(1)(e)*	28.	(1) For advising and overseeing ethical considerations in the use of animals for experimental research, the Institute will have an Animal Ethics Committee. (2) The constitution and functioning of the Animal Ethics Committee will be determined by the Governing Body.
Library Committee *Sections 20(4), 41(1)(b) and 41(1)(e)*	29.	(1) To frame rules for management of the Library, subject to the approval of the Academic Board, for recommending allocation of annual grant for purchase of books, journals and periodicals ,and for performing such other functions as may be assigned to it by the Academic Board, there shall be a standing committee of the Academic Board, called the Library Committee. (2) Constitution and functioning of the Library Committee shall be determined by the Academic Board.
Purchase Committee *Sections 13(1), 13(5), 41(1)(b) and 41(1)(e)*	30.	(1) To advise and scrutinise all proposals for the purchase of items up to the budget limit and purchases not exceeding rupees 20 (twenty) lakhs at one time for capital items, the Director will constitute a Purchase Committee. (2) The Committee will consist of at least five members including Finance Officer, and Joint Director (Material Management). The remaining members of the Committee shall be nominated by the Director from among faculty members and officers of the Institute. (3) The Chairman (not below the rank of Senior Professor) of the Committee shall be nominated by the Director from amongst the members of the Committee.

(4) Joint Director (Material Management) shall be the member secretary of the Committee.

(5) Three members including the Finance Officer shall constitute the quorum of the Committee.

(6) Head of the indenting department/ section shall also be invited to the meeting of the committee and he can take part in its discussions and shall have the right to vote regarding that indent only.

(7) The Committee shall meet as often as may be considered necessary by the Chairman of the Committee in the premises of the Institute or at such place, date and time as may be fixed by the Chairman.

(8) The members nominated by the Director shall hold office for a period of two years and they shall be eligible for re-nomination.

(9) The recommendations of the Committee shall be placed before the Director to enable him to proceed further according to purchase procedure as will be decided by the Governing Body from time to time with the advice of the Finance Committee.

(10) For purchases above Rs. 20 (twenty) lakhs and up to Rs. 50 (fifty) lakhs, the Purchase Committee shall be chaired by the Director.

Disciplinary committee for students

Sections 13(1), 13(2), 13(2)(c), 13(5), 41(1)(b), 41(1)(e)

31. For maintaining discipline among students and for enquiring into complaints of breach of discipline by a student, the Director will appoint a Disciplinary Committee, which will also perform such other functions and exercise such powers as may be assigned to it by the Director from time to time. The Committee will report to the Dean.

Medical Board

32. There will be a Medical Board consisting of the medical experts and a Chairman to be nominated by the Director. The Medical Board will advise the competent authority on issues referred to the Board.

Section 41(1)

33. For so long as the new boards, committees or bodies are not constituted in accordance with the Regulations specified in this chapter the committees, boards or bodies existing immediately before the commencement of these regulations, and performing more or less similar functions whether constituted under these names or different names shall continue to function.

Sections 13(1), 13(2), 13(5) and 41(1)(b)

34. The Director may appoint any other advisory or other committee to advise and assist him in the exercise of his powers and discharge of his duties under the Act, and such Committee will submit its recommendations or report to the Director.

CHAPTER - VIII

Powers and Duties of Chairman and Vice-Chairman of Governing Body

Sections 41(1)(g)

35. **Powers and duties of Chairman of Governing Body :**

As laid down in S.G.P.G.I.M.S. Act, 1983

Section 41(1)(g)

36. **Powers and duties of the Vice-Chairman of the Governing Body:**

As laid down in S.G.P.G.I.M.S. Act, 1983

CHAPTER - IX

Allowances to be paid to Chairman and Members of Governing Body and of other committees and bodies

Section 41(1)(d)

37. (1) The Chairman and the members of the Governing Body, and other Boards, Committees and Bodies, specified in Chapters V, VI and VII of these regulations, shall not receive any pay, fee, remuneration or other allowances except travelling and daily allowances, or such amount in lieu of daily allowances as specified in the sub-regulations (2) to (4).

(2) The Chairman and the members of the Governing body and other Boards and Committees specified in sub-regulation (1), if they are officers of the Central or State Government, shall be paid travelling and daily allowances by the Institute at the rate admissible to them as officers of the Central or the State Government.

(3) In the case of Chairman and members of the Governing Body, and other Boards and Committees specified in sub-regulation (1), other than those mentioned in sub-regulation (2), travelling allowance and daily allowance shall be paid at the rates to which they are entitled as per rules of the Institute or Organization in which they are working.

Provided that persons who draw travelling allowance and daily allowance from their own institution or Organization for attending meeting of any Body or Committee or Board as specified in sub-regulation (1) shall not be entitled to any travelling allowance or daily allowance from the Institute for the purpose.

(4) If such persons belong to this Institute, they will get travelling allowance and daily allowance according to rules for time being inforce.

(5) If any expert or non-official is invited to any meeting of such Body, Board or Committee, as is specified in sub-regulation (1) above, to attend it as a member of the Body, Board or Committee, he will be paid an Honorarium of Rs.1000 or such other amount as may be fixed by Governing Body for the purpose and travelling allowance, but no daily allowance will be payable to him.

Provided that members of Parliament and State Legislature shall not be entitled to any rail or bus fare for attending the meeting of the Institute if they are entitled to use railway coach or bus passes for such journeys.

Section 41(1)(d)

38. Allowances to be paid to Chairman and members of Selection Committees constituted in accordance with the Act or under these regulations for selecting officers, faculty members and employees of the Institute shall be such as may be determined by the Governing Body from time to time.

CHAPTER - X

CLASSIFICATION OF POSTS AND APPOINTMENTS

PART - I (GENERAL)

Section 41(1)(f) and Section 41(1)(k)

39. (1) The staff of the Institute are classified into Groups A (class I), B (class II), C (class III) and D (class IV) depending on their pay scales, as classified in Karmik Anubhag-1 Memorandum number 15/140/84-ka-1/03 dt. October 07, 2003 and as may be classified from time to time by the Government.

(2) The Governing Body may, from time to time, create new or additional posts, either permanent or temporary, as it considers proper with prior approval of the Government of Uttar Pradesh, however parity will be maintained with AIIMS;

Section 41(1)(f) and Section 41(1)(k)

40. (1) The Governing Body may revise qualifications and experience for existing posts, and prescribe these in respect of any new posts that may be created with the approval of State Government subject to MCI norms where it is applicable;

(2) The eligible candidates must possess the prescribed qualifications by the last date fixed for receipt of applications or the date specified for this purpose in the advertisement.

(3) Reservation Policy of the State Government shall be applicable.

Age

41. A candidate for direct recruitment must fulfil the age requirements for a post, as prescribed in the regulations;

Section 41(1)(k)

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified:

Citizenship

42. A candidate for direct recruitment to a post in the Institute must be a citizen of India, or should belong to a category as notified by the Government from time to time to be eligible for appointment in the Government services.

Character

43. A candidate selected for direct recruitment to a post in the Institute shall submit certificates of good character and conduct from two gazetted officers. The appointing authority shall also verify the character of the candidate throw the Government machinery.

Marital status

44. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Institute.

Physical fitness

45. (i) No candidate shall be appointed to a post in the Institute unless he is in good mental and bodily health, and free from any physical defect likely to interfere with efficient discharge of his duties.

(ii) Before a candidate is approved for appointment in the Institute he shall be required to undergo a medical examination by a Medical Board to be constituted by the Director.

Probation

46. (i) A person on substantive appointment to a post against a permanent vacancy by direct recruitment shall be placed on probation for a period of two year;

Section 41(1)(k)

(ii) The appointing authority may, for reasons to be recorded in writing extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is made, provided that the total period of extension shall, in no circumstance, exceed one year.

(iii) An order extending the period of probation shall be issued before the expiry of the original period of probation; if such an order is not issued before the expiry of original period of probation, the individual will be deemed to have successfully completed the period of probation.

(iv) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with shall not be entitled for any compensation.

(v) A probationer shall complete his period of probation successfully if

(a) his work and conduct are found to be satisfactory;
(b) his integrity is certified; and
(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise successfully and satisfactory completed his period of probation.

Confirmation

47. A probationer shall be confirmed on his post at the end of period of probation or extended period of probation.

Section 41(1)(k)

Pay during probation

48. A person on probation shall be allowed increment in his pay scale after he has successfully completed the period of probation including the extended period of probation, if any, and has been confirmed as provided above. The extended period of probation shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

Section 41(1)(k)

Service Book

49. A service-book will be maintained in respect of every employee of the Institute with details and particulars as may be prescribed.

Section 41(1)(k)

Character roll

50. (1) For every non-faculty employee, appraisal of work, conduct and integrity shall be recorded in an annual confidential report (ACR) for each financial year. This report shall be initiated by the immediate supervisor of the employee and finalized by the head of the department. Annual confidential report of Group D employees shall be accepted by the respective Head of the Department or head of the respective section of the Institute, those for Group C or B employees will be accepted by the Director, and those for Group A employees will be accepted by the President.

Section 41(1)(k)

(2) So for as may be the ACR of an employee shall be initiated by the immediate supervisor not later than April 30 and be finalized by the competent authority by May 31 each year.

Section 41(1)(k)

51. (1) If there is an adverse appraisal in the ACR of an employee, he will be apprised of the full entry i.e. the remarks recorded by the initiating officers as well as the final entry made by the accepting authority within 2 months of the finalisation of the entry, and the employee may make a representation against the adverse entry within a period of 3 months from the date of its communication to him.

(2) The representation shall lie to the Director in the case of entries accepted by Heads of the Department, to the President in the case of entries finalised by the Director and to the Visitor in the case of entries finalised by the President.

(3) The authority receiving a representation against an adverse entry shall consider the same on merit and take a decision on the representation and communicate the decision to the employee within three months from the date of receipt of representation.

(4) Adverse remarks that have not been communicated to an employee under sub-regulation (1) or against which a representation under the aforesaid sub-regulation is pending will not be used against him.

Appointing Authority

52. The President shall be the appointing authority in respect of Professors, Additional Professors, Associate Professors, Assistant Professors, and all Group A posts. The Director shall be the appointing authority in respect of Groups B, C and D posts.

Section 22(1), 22(2) and 41(1)(k)

Reservation

53. Reservation for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes and other categories shall be in accordance with the provisions of the Act, rules and orders of the Government, applicable at the time of recruitment. Reservation in the recruitment of the faculty members shall be applicable after determining the cadre on the basis of similar status, scale and qualifications/eligibility.

Section 41(1)(k)

PART – II

APPOINTMENT OF FACULTY MEMBERS

Sections 19(1)(j) 54. (1) The Governing Body may, on the advice of the Academic Board, establish new departments or other specialties from time to time or may reconstitute any department.

(2) Within each department, the posts of Professors, Additional Professors, Associate Professors and Assistant Professors shall constitute separate cadres.

Appointment 55. (1) Recruitment to the posts of Professors, Additional Professors and Associate Professors shall be made by assessment promotion or by direct recruitment on merit.

Sections 22 (1) and 41(1)(k)

(2) Recruitment to the post of Assistant Professor shall be made by direct recruitment on merit.

Nomination of experts to Selection Committee 56. (1) A panel of experts in each department shall be prepared by the Board of Studies and approved by the Academic Board.

(2) The Director shall send six or more names from the panel of experts in each department to the Visitor for approval against the advertisement for direct recruitment or for assessment promotion

Sections 22(5),22(6) and 41(1)(k)

(3) The Visitor may make such modifications and additions to the panel of experts, as he may deem fit, and nominate experts to the selection committee from such modified list.

Assessment Promotion 57. Assessment promotion scheme for faculty members prevalent at the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi shall mutatis mutandis apply

Sections 22, (1),41(1)(e),and 41(1)(k)

PART - III

APPOINTMENT TO NON-FACULTY POSTS

General 58. (1) The provisions of this Chapter do not apply to Junior and Senior Residents and staff employed for research projects to whom provisions of Part IV apply.

Section 22(2) and 41(1)(k)

(2) Recruitment to Group A posts shall be by direct recruitment or on deputation.

(3) Recruitment to Group B and C posts shall be either by direct recruitment or by promotion from amongst the employees of the Institute or by limited departmental competition.

(4) Recruitment to Group D posts shall be by direct recruitment.

Appointment by direct recruitment 59. Selection for recruitment under these regulations shall be made as and when necessary.

Section 22(1), 22(2), and 41(1)(k)

Section 22(1), 22(2) and 41(1)(k) 60. A candidate who does not possess the minimum qualifications and experience for a post as specified and recognized by State or Central Government, or which are determined from time to time by the Governing Body of the Institute, whether existing at the commencement of these regulations or to be created in future, shall not be eligible for promotion to any such post, nor he shall be eligible for appointment by direct recruitment or by limited departmental competition or in any manner to any such post after the commencement of these regulations without possessing the prescribed qualifications and experience required for the post.

Section 22(1),22(2) and 41(1)(k)

61. (1) For the purpose of direct recruitment to Group A non-faculty posts excepting the post of Executive Registrar, there shall be constituted a Selection Committee comprising:

(i) The Director, who shall be the Chairman of the Committee;

(ii) Additional Director;

(iii) Dean;

(iv) Head of the concerned Department/Section;

(v) Two experts to be nominated by the President;

(vi) Two officers, who shall be of upper rank than the rank for which selection is being made, nominated by the appointing authority one of whom shall belong to scheduled castes/scheduled tribes and the other backward classes.

(2) For nomination of experts, the Director shall send five names of experts to the President, who may add to or amend the list before nominating the names of experts.

Section 22(1),22(2) and 41(1)(k)

62. For the purpose of direct recruitment to Group B, C, and D non-faculty posts, the Director shall constitute the Selection Committees that shall include two experts in the field to be nominated by the Director, and Head of the concerned department/section.

Section 22(1),22(2) and 41(1)(k)

63. The majority of total membership of any selection committee specified in these regulations shall form the quorum of such Committee, provided at least one of the two experts nominated to it is present. No recommendation made by the Selection Committees shall be valid unless it is supported by majority of members present in the meeting.

64. The list prepared by the Selection Committee shall remain valid for one year from the date of recommendation.

Appointment by promotion

Section 22(1),22(2) and 41(1) and 41(1)(k)

65. (1) The appointment by promotion will be done as per procedures laid down in CCS Rules as applicable at AIIMS, New Delhi

(2) The eligibility of candidates being considered for promotion will be such as may be determined by the president and must be fulfilled as on 1st July of the concerned year.

(i) Recruitment by promotion on the basis of merit-cum-seniority or seniority subject to rejection of unfit for any post in the Institute shall be made from among eligible persons through a Departmental Promotion Committee constituted for this purpose. In this case THE UTTAR PRADESH GOVRNMENT SERVENT CRITERION FOR RECRUITMENT BY PROMOTION RULES 1994 as amended from time to time shall be applicable.

(ii) The President shall constitute such Departmental Promotion Committees in respect of Group A, non-faculty posts, which shall include two experts in the field and Head of concerned department/section as member and the Director as Chairman.

(iii) The Director shall constitute such Departmental Promotion Committees in respect of Group B, C and D non-faculty posts, which shall include two experts in the field and Head of the concerned department/section.

(iv) In above departmental promotion committee their shall be one member each of the scheduled castes and other backward class.

SALED COVER PROCEDURE

66. (1) In the case of an employee

(a) against whom disciplinary proceedings are pending in the sense that charge sheet has already been served on him; or

Section 22(1),22(2), 41(1)(f), 41(1)(k)

(b) against whom criminal proceedings have commenced, that is, the charge sheet has been filed before the Criminal Court; will be considered for promotion by the Departmental Promotional Committee concerned at the appropriate time, but the findings of the Committee shall be kept in a sealed cover to be opened after the conclusion of the disciplinary/court proceedings.

(2) If on conclusion of the departmental/court proceedings, the employee is exonerated, and no penalty of any kind, including censure, is imposed on him, and where he is under suspension, it is also held that suspension was unjustified, the sealed cover will be opened and the recommendations of the Departmental Promotion Committee will be acted upon, and he will be given notional promotion from the date he would have been promoted as determined by the Departmental Promotion Committee.

(3) The sealed cover procedure shall be in accordance with the Karmik Anubhag-1, Office Memorandum no.-13/21/89-Ka-1-1997 dt. May 29, 1997.

Section 22(1),22(2) 41(1)(f),41(1)(k)

67. If any penalty, including censure, is imposed on the employee as a result of the disciplinary proceedings or if he is found guilty in the court proceedings against him, the findings in the sealed cover/covers shall not be acted upon. The employee's case for promotion will then be considered in usual manner by the next Departmental Promotion Committee which meets in the normal course after the conclusion of the disciplinary/court proceedings. That Committee shall take into consideration the whole record including the sealed cover and the penalty imposed on the employee as a result of the disciplinary/criminal proceedings and shall formulate its recommendations.

The recommendations of the Departmental Promotion Committee shall be placed before the appointing authority who may either accept the same or in case of disagreement shall follow the procedure laid down in these regulation.

ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME

68. In case of acute stagnation either in a cadre or in an isolated post of any group, benefits may be given, as per Assured Career Progression Scheme as applicable at AIIMS, New Delhi from time to time.

PART – IV

EMPLOYMENT OF RESIDENTS & RESEARCH STAFF AND THEIR CONDITIONS OF SERVICE

Section 19(2), 41(1)(f)

69. (1) The strength of Residents, both junior and senior, in various disciplines and hospital in the Institute shall be fixed from time to time by the Governing Body on advice of Academic Board in accordance with the need depending on various factors including the bed strength, patient care, work load and facilities available after taking into consideration the norms and the special needs of hospital of the Institute.

(2) The selection of Junior Residents and Senior Residents shall be made as per the guidelines of the Medical Council of India.

(3) The age limit for appointment to the positions of Senior Residents shall be 33 years in case of postgraduate (MD/MS) and 35 years in case of postdoctoral (DM/MCh) degree. The age limit is relax able by 5 years for Scheduled Caste / Scheduled Tribes / Other Backward Classes candidates and applicable to other categories as per All India Institute of Medical Sciences , New Delhi.

(4) The tenure of a Senior Resident will ordinarily be three years, renewable annually subject to report of satisfactory performance from the department.

(5) Junior Residents and Senior Residents shall be temporary employees.

Section 41(1)(h) 70. (1) Duties and responsibilities of Junior Residents and Senior Residents shall be as determined by the Director/Head of department from time to time. They will be required to perform such work as may be needed in the interest of patient care in the hospital, including call duties as required by the department.

Section 22(3) and 41(1)(k) 71. (1) Members of Staff may be employed from time to time in the Institute for research projects, funds for which have been received from an external agency.

(2) For the aforesaid purpose, the Principal Investigator of the project, who will be its officer-in-charge, shall initiate the process of recruitment as approve by Director from time to time.

PART - V

EMPLOYMENT OF DEPENDANTS OF DECEASED EMPLOYEES

72. (1) The relevant rules and regulations of Uttar Pradesh Government will be applicable in respect of the employment of dependants of deceased employees of the Institute.

PART - VI

PAY FIXATION AND ALLOWANCES

Sections 41(1)(f) and section 22(3) 73. Subject to the provisions of the Act, rules and these regulations, the pay scales, dearness allowances and other allowances, which are admissible to the Senior Professors, Professors, Additional Professors, Associate Professors and Assistant Professors will be such as are admissible from time to time to faculty members at the All India Institute of Medical Sciences , New Delhi subject to the declaration by the State Government.

Section 41(1)(f) and Section 22(3) 74. Subject to the provisions of these regulations, pay scales, dearness and all other allowances shall be admissible to non-faculty officers and employees of the Institute belonging to Groups A, B, C and D (excepting those on deputation) will be such as are admissible from time to time at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi subject to the declaration by the State Government.

Section 41(1)(f) and Section 22(3) 75. (1) Faculty members and other employees may be provided with unfurnished residential accommodation in the Institute campus on payment of licence fees, if such accommodation is available.

If such accommodation is not available, the faculty member or employee will be entitled for House rent allowance as per Central Civil Service rules applicable at All India Institute of Medical Sciences , New Delhi

(2) For any period of leave including extraordinary leave, licence fees for the house shall be chargeable from a faculty member or employee, who has been allotted a residence and who continues to occupy it during such leave, at the same rate as payable had he not proceeded on leave.

Section 41(1)(f) and Section 22(3) 76. (1) The Institute shall provide the employees and their family members wholly dependent on them, medical treatment benefits as are available from time to time to the similar categories of employees at All India Institute of Medical Sciences , New Delhi.

(2) The employees, after retirement, shall also be entitled to similar benefits of medical treatment, as are available to the retired employees of similar categories at All India Institute of Medical Sciences , New Delhi

(3) When a particular treatment is not available in the hospital of the Institute, reimbursement of expenses on medical attendance and treatment shall be provided, as per rules applicable to employees of All India Institute of Medical Sciences , New Delhi.

Section 41(1)(f) and Section 22(3)

77. An employee, except Junior or Senior Resident, who was working in Central Government or State Government or their undertakings, institutions or universities in substantive or officiating capacity, on joining the Institute, shall be entitled to pay protection as per central civil service rules applicable at All India Institute of Medical Sciences , New Delhi.

Section 41(1)(f) and Section 22(3)

78. Fixation of pay in the case of appointment by promotion shall be made in accordance with the relevant rules and orders, as applicable at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi subject to declaration by the State Government.

Section 41(1)(f) and Section 22(3)

79. On deputation to State Government or semi-government organization, an employee of the Institute shall be allowed to draw pay as admissible under Central civil service rules applicable at All India Institute of Medical Sciences , New Delhi. The term of deputation shall be limited to a maximum of five years.

Section 41(1)(f) and Section 22(3)

80. Pay fixation of retired civil or military pensioners on their re-employment in the Institute will be based on orders issued in similar cases from time to time by the State Government, whichever is applicable to the employee, as decided by Governing Body.

Dearness Allowance, House Rent Allowance and other allowances and facilities to re-employed pensioners will be admissible as per central civil service rules applicable at All India Institute of Medical Sciences , New Delhi.

PART VII

ANNUAL PERFORMANCE REPORT

ANNUAL CONFIDENTIAL REPORT

Section 41(1)(f) and Section 22(3)

81. (1) Annual performance report of each faculty member, Head of the Department and annual corrector roles of all other officers and employees shall be maintained by the Institute on the prescribed Performa.

(2) The Annual Performance Report prepared by the faculty member shall be countersigned by the Head of the Department with his remarks.

Provided that the Annual Performance Report prepared by the Head of the Department of himself shall be countersigned by the Director.

(3) In case of faculty members, the Reporting, Reviewing and Accepting Officers will be the Head of Department, the Director and President, respectively. Representations against adverse remarks/ adverse entries will be decided by the competent authority and decision will be communicated to the officer reported upon, and the Reporting and Reviewing Officers.

(4) In case of Group A non-faculty officers the reporting, reviewing and accepting officers will be the Head of Department, the Director and the President respectively. Representations against adverse remarks/ adverse entries will be decided by the competent authority and decision will be communicated to the officer reported upon, and the Reporting and Reviewing Officers.

(5) In case of Group B, C and D non-faculty officers / employees the reporting, reviewing and accepting officers will be the Head of Department, the Joint Director (administration) / Medical Superintendent and the Director respectively. Representations against adverse remarks/ adverse entries will be decided by the competent authority and decision will be communicated to the officer reported upon, and the Reporting and Reviewing Officers.

PART VIII

FELLOWSHIP

Section 41(1)(f) and Section 22(3)

82. Eligibility: A faculty member would ordinarily be permitted to avail fellowship as per terms and conditions as are applicable to the faculty members at All India Institute of Medical Sciences , New Delhi subject to the decision of the Governing Body of the Institute from time to time.

PART - IX

LIEN

Section 41(1)(f) and Section 22(3)

83. Subject to the provisions of the Act, rules and these regulations the Institute shall with the approval of Governing Body permit an employee of the Institute to hold lien as provided in the Central Civil Service rules applicable at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

Section 41(1)(f) and Section 22(3)

84. (1) During the period of his lien in the Institute, the employee concerned shall have to deposit in the Institute:

(a) General Provident Fund :

(b) Leave salary contribution; and

(c) Pensionary contribution

(2) If an employee who was permitted to take employment elsewhere joins the Institute before the termination of his lien and he has paid General Provident Fund, leave salary contribution and pensionary contribution for the period he was serving elsewhere, the said period shall count towards:

(a) his annual increments;

(b) pensionary benefits; and

(c) leave entitlement:

Provided that the employee concerned shall have to submit a certificate from his employer about his leave account during the period he was engaged elsewhere.

CHAPTER – XI

CONDUCT & DISCIPLINARY PROCEEDINGS AND PUNISHMENT

Sections 22(3) & 41(1)(f)

85. For disciplinary proceedings and award of punishment the relevant procedure laid down in the Uttar Pradesh Government Servant (Disciplinary and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time, shall be applicable.

Sections 22(3) & 41(1)(f)

86. Subject to the provisions of this chapter, all matters relating to the conduct and behaviour of all employees of the Institute including the Faculty and other employees of the Institute shall be regulated mutatis mutandis by the Uttar Pradesh Government Servant Conduct Rules, 1956 as amended from time to time.

Sections 22(3) & 41(1)(f)

87. For the purposes of the enquiries and penalties, the provisions of the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999 as amended from time to time, shall be applicable.

CHAPTER – XII

LEAVE

Section 41 (1) (f), and Section 22 (3)

88. (1) Subject to provisions of the Act, the rules and these regulations, employees, officers and faculty members of the Institute shall be entitled for such leaves as are permissible to employees, officers and faculty members of the All India Institute of Medical Sciences , New Delhi

(2) Leave is earned only by duty. It cannot be claimed as a matter of right.

(3) When the exigencies of service so require, leave of any kind may be refused or revoked by the authority competent to grant it, but it shall not be open to that authority to alter the kind of leave due and applied for except at the written request of the employee.

(4) If the recall to duty is optional, the employee shall not be entitled to any concession, but if the recall is compulsory, he shall be treated on duty from the time he started his return journey and shall be paid traveling allowance for the return journey.

Section41(1)(f)and Section 22(3)

89. Except as otherwise provided in these regulations, any kind of leave under these regulations may be granted in combination with or in continuation of any other kind of leave. However, casual leave shall not be combined with any other kind of leave admissible under these regulations. Compensatory leave shall also not be accumulated beyond three days or combined with any other kind of leave.

Section 41(1) (f) and Section 22(3)

90. (1) No employee shall, except in cases of sudden illness or extreme emergency, proceed on leave, either casual or regular, without prior sanction. Every application for leave must invariably bear the address of the applicant at which he can be contacted in case of need.

(2) Absence without leave is infringement of discipline, which unless explained satisfactorily, is misconduct.

(3) No employee shall leave station without prior permission of the authority competent to grant leave.

(4) The period of leave without pay shall be a period not on duty for purposes of entitlement of leave due.

Section 41(1) (f) and Section 22(3)

91. Leave shall not be granted to any employee to whom a competent authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire from the service of the Institute or to an employee who is under suspension.

Section 41(1) (f) and Section 22(3)

92. Competent authority to sanction different kinds of leave shall be that authority or officer as is specified in Schedule I.

CHAPTER - XIII

SUPERANNUATION, COMPULSORY AND VOLUNTARY RETIREMENT, RESIGNATION

Section 41(1)(f) and Section 22 (3)

93. Age of superannuation of faculty members and employees of the Institute shall be as prevalent at All India Institute of Medical Sciences , New Delhi, from time to time subject to approval of the State Government.

Section 41(1)(f) and Section 22(3)

94. (1) Notwithstanding anything contained in these regulations, the appointing authority shall have the right to retire on the recommendation of screening committee to be constituted by Governing Body any faculty member or any other officer or employee of the Institute after he has attained fifty years of age and has completed a qualifying service of twenty years, in public interest, by giving him notice of not less than three months in writing or pay in lieu thereof.

(2) If the period of notice falls short of three months, the pay for the period falling short of three months will be paid.

Section 41(1)(f) and 22(3)

95. (1) A faculty member, officer or employee may seek voluntary retirement by giving notice of three months to the appointing authority after attaining the age of fifty years or after completing a qualifying service of twenty years;

Provided that the appointing authority may refuse such request for voluntary retirement 'within the period of notice' if a disciplinary proceeding is pending or in process against the employee.

(2) It shall be open to the appointing authority to allow a faculty member, officer or employee to retire by a shorter notice without requiring him to pay any penalty or amount in lieu of that period of notice which is short of the period of three months.

Section 41 (1)(f) and Section 22(3)

96. (1) In special circumstances, a Professor may be given extension of service by the Governing Body with the prior approval of the State Government up to a maximum of one year at a time but the total period of extension of service shall not exceed three years after the age of superannuation, if:

(i) a suitable substitute is not available; and

(ii) teaching and research work is likely to suffer if the post remains vacant.

Provided that:

(a) such extension shall be given to those who have shown excellence in teaching and research; and

(b) the person will not hold an administrative position such as Dean, Head of the Department, etc.

(c) he is physically fit.

(2) The period of extension shall be treated, as continuation of employment and the date on which such extension ends will be the day of superannuation.

Section 41 (1)(f) and Section 22(3)

97. If the Institute requires the services of any faculty member or any other non-faculty officer or employee after retirement on superannuation, such a person may be re-employed if:

(a) he was engaged at the time of superannuation on a scientific or technical job which cannot be entrusted to another employee without detriment to work; or

(b) he was engaged in a specific activity which is likely to suffer if the person is not re-employed, or

(c) his re-employment is in the interest of the Institute for reasons to be recorded in writing; and

(d) he is physically fit:

Provided that no person shall be retained in service on re-employment beyond three years after the age of superannuation,

Provided further that in each case of reemployment prior approval of the Governing Body shall be obtained by the appointing authority.

Section 41 (1)(f) and Section 22(3)

98. During the period of re-employment, a person shall be treated as a temporary employee and shall not be entitled to the following benefits:-

(a) General Provident Fund,

(b) Encashment of leave,

(c) Loan or advance from the Institute,

(d) Any leave travel concession/home travel concession.

(e) Travelling allowance for family and for transportation of luggage to the place of his settling, and

(f) Reward or honorarium.

Section 41 (1) (f) and Section 22(3)

99. (1) The services of a temporary employee shall be liable to determined at any time by notice in writing given either by the employee to the appointing authority, or by the appointing authority to the employee.

(2) The period of such notice on either side shall be one month.

Provided that in the case of notice by appointing authority, it may substitute for the whole or part of the period of notice, pay in lieu thereof; and

Provided further that it shall be open to the appointing authority to relieve an employee without any notice or accept notice for a shorter period, without requiring the employee to pay any amount in lieu of notice.

Explanation:- For the purpose of this regulation, temporary service means officiating service on a temporary or permanent post of the Institute, and other appointments which are specified in these regulations to be temporary appointments

(3) Nothing in this regulation shall apply to:

(a) employees engaged on contract;

(b) employees not in whole time employment of the Institute;

(c) persons employed on work charged establishments; and

(d) persons paid out of contingencies.

Section 41 (1)(f) and Section 22(3)

100. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these regulations, a permanent employee of the Institute including a faculty member, may resign after giving three months' notice in writing to the appointing authority or paying to the Institute three months' pay in lieu thereof;

(2) Such resignation shall not be effective unless it is accepted by the appointing authority;

(3) The appointing authority may refuse to accept the resignation if a disciplinary proceeding is pending or in process against the employee.

Section 41 (1) (f) and Section 22(3)

101. Notwithstanding anything to the contrary contained in these regulations, the appointing authority may terminate the service of a permanent faculty member, other officer or employee of the Institute by giving him three months' notice in writing or by paying him three months' pay when his services are no longer required due to abolition of post.

CHAPTER – XIV

SENIORITY

Section 41 (1) (f) and Section 22(3)

102. Subject to the provisions of the Act and the rules and regulations made hereunder, the provisions of the UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANT (DISCIPLINE AND APPEAL) RULES, 1999, as amended from time to time shall be applicable.

(1) The Executive Registrar shall prepare and maintain, in respect of each category of faculty members of the Institute, a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions of the UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVENTS SENIORITY RULES-1991.

(2) The Medical Superintendent shall prepare and maintain, in respect of

each category of hospital employees of the Institute, a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVENTS SENIORITY RULES-1991, as amended from time to time.

(3) The Joint Director (Administration) shall prepare and maintain, in respect of each category of non-hospital employees of the Institute, a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVENTS SENIORITY RULES-1991, as amended from time to time.

Section 41(1)(f) and Section 22(3)

103. **Preparation of seniority list**

(1) The appointing authority shall get prepared a tentative seniority list of the persons appointed substantively to the service, soon after appointments are made to a service, in accordance with the provisions of these regulations.

(2) The tentative seniority list shall be circulated amongst the persons concerned inviting objections, by a notice of reasonable period, which shall not be less than seven days from the date of circulation of the tentative seniority list.

(3) The appointing authority shall, after disposing of the objections by a reasonable order, issue a final seniority list.

CHAPTER - XV

GENERAL PROVIDENT FUND

Section 41 (1)(f)

104. Subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder and these regulations the relevant regulations as prevalent at the All India Medical Institute of Medical Sciences, New Delhi from time to time will be applicable subject to the approval of the State Government.

CHAPTER - XVI

PENSION, GRATUITIES AND FAMILY PENSION

Section 41 (1) (f)

105. Subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder and these regulations pension, gratuity and family pension payable to employees of the Institute will be as those prevalent at All India Institute of Medical Sciences , New Delhi, from time to time subject to approval of the State Government.

New Pension Scheme will be applicable to employees appointed on or after, April 1, 2005.

CHAPTER – XVII

HOUSE BUILDING AND OTHER ADVANCES

106. Subject to the provisions of the Act and the rules made their under and these regulations the relevant provision of Financial hand book (part 5 volume-I) shall apply.

CHAPTER - XVIII

DIRECTOR'S BENEVOLENT FUND

Section 41(1)(f)

107. (1) For the benefit of all regular employees of the Institute, the Institute shall constitute a fund to be called the Director's Benevolent Fund'. Each employee of the Institute shall be a member of the fund. The fund shall endeavour to provide assistance to members of the fund and to their families in case of death or permanent disability of 50% of the employee of the Institute.

(2) For the purposes of this regulation family includes only the husband/wife, as the case may be, sons including step and adopted sons, and unmarried and widowed daughters.

(3) The amount of assistance in the case of an employee to whom provisions of this regulation apply shall be Rs. 1,00,000 in case of death and Rs. 50,000 in case of permanent disability.

(4) The benevolent fund shall be constituted from:

(a) contributions from the Institute, which shall amount to Rs. 25,000 each year or as amended by the Governing Body from time to time;

(b) one time contribution of one day salary from the members;

(c) income from investments; and

(d) receipts from any endowments, donations or other contributions or augmentation to the fund, or by holding specific activities as may be decided by the Managing Committee of the benevolent fund with the approval of the Governing Body.

(5) The fund will be collected and managed exclusively by Institute and no subsidy or grant will be provided by State Government.

Section 41(1)(f) and Section 22(3)

108. (1) The Benevolent Fund shall be maintained and administered by a Managing Committee consisting of the Director as the Chairman, the Finance Officer as the Member Secretary and three other members to be nominated by the Director for administration of the Benevolent Fund.

The Director is empowered to release the financial assistance as and when required on receipt of information of death/permanent disability of a member of the fund.

(2) The amount of the Benevolent Fund shall be deposited in fixed deposit in any Scheduled Bank or shall be invested in such manner as the Managing Committee of the Benevolent Fund may decide.

(3) The accounts of the Benevolent Fund shall be duly maintained and shall be got audited each year by the Auditors of the Institute.

CHAPTER - XIX

HONORARIA AND REWARDS

Section 41(1)(f) and Section 22(3)

109. (1) For the purposes of these regulations, honorarium means a payment granted to an employee of the Institute as remuneration for his special work of an occasional character.

(2) This regulations will apply to employees other than the faculty and research employees.

(3) The Director shall be the sanctioning authority in respect of grant of honorarium to an employee.

(4) Sanction of honorarium shall be subject to the following conditions:

i) in a department, honorarium will not be sanctioned to more than ten percent of the employees category-wise;

ii) an individual will not be entitled to honorarium more than once during a financial year; and

iii) honorarium will not be given to an employee whose work and conduct has not been satisfactory or against whom a departmental proceeding or a criminal case is pending.

Section 41(1)(f) and Section 22(3)	110.	A reward, in the form of cash, merit certificate or both, may be given to an employee of the Institute if he: (1) has shown exemplary devotion to duty and has made outstanding contribution in his work, or in a particular matter; or (2) has suggested some substantial innovation or change in the working of the Institute resulting in greater efficiency in work or substantial saving in expenditure; or (3) has saved the Institute from financial or material loss by his foresight or prompt action.
Section 41(1)(f) and Section 22(3)	111.	The Governing Body will be the sanctioning authority in respect of rewards under these regulations.
Section 41(1)(f) and Section 22(3)	112.	The Governing Body may lay down the amounts of honoraria and cash awards, including any upper limits thereof.

CHAPTER - XX

GRANTING OF DEGREES, DIPLOMAS, ACADEMIC DISTINCTIONS AND TITLES

Section 8(f)	113.	(1) The Institute shall award various degrees, diplomas and other academic distinctions and titles, as prescribed by the Governing Body from time to time, after considering the recommendations of the Academic Board. (2) The Governing Body may lay down essential requirements, and the procedure for selection and admission to various courses at the Institute, after considering recommendations of the Academic Board.

CHAPTER - XXI

FEES AND CHARGES

Section 8(i)	114.	(1) Hospital services rendered by the Institute will be billed and charged except those exempted by the Governing Body from time to time. (2) Hospital charges shall be realised according to schedule of charges fixed from time to time by the Governing Body in consultation with the Hospital Board and the Finance Committee both from indoor and outdoor patients excepting in situations covered by exemptions specified in sub-regulation 1 of this regulation.
Section 8(i) and Section 41(1)(l)	115.	Fees and charges for various groups such as students, residents, research staff, observers, etc. shall be decided by the Academic Board, Hospital Board or Finance Committee, as may be decided by the Governing Body from time to time.

CHAPTER XXII

MANAGEMENT OF PROPERTIES

Section 19(1), Section 19(2)(e), Section 19(2)(g) and Section 41(1)(i)	116.	The Governing Body shall designate an officer of the Institute to function as the Estate Officer. He will be the custodian of the movable and immovable properties of the Institute, and shall work under supervision of the Director. (1) Residential accommodation in the campus of the Institute shall be allotted in accordance with the rules of allotment approved by the Governing Body from time to time. (2) The Governing Body shall also lay down procedure for payment of rent and other charges for the residential accommodation.

Section 19(1), Section 19(2)(b), Section 19(2)(g), Section 19(2)(j) and Section 41(1)(i)	117.	(1) Shops in the Institute campus shall be leased out as per guidelines laid down by the Governing Body for the purpose. (2) Rent at such rate as may be decided by the Governing Body shall be charged. The rent may be reviewed from time to time, as may be determined by the Governing Body.
Section 19(2)(g) Section 41(1)(i)	118.	The Institute may enter into an annual contract with any firm in respect of operation and maintenance of equipment, machinery or services at the Institute. The rates, terms and conditions for such contracts will be finalised by the Director on recommendations of Committees constituted for this purpose.
Sections 19(2)(d)(e) (g) and (h) and 41 (1)(i)	119.	(1) The Governing Body may accept gifts, endowments or donations of money or property, whether movable or immovable. The gifts or the proceeds thereof, as the case may be, shall be utilised with due regard to the conditions, if any, which the donor or endower may desire. (2) Such money or property as aforesaid shall be managed in accordance with the specific directions of the Governing Body, if any, relating to such gift, grant or donation.
Section 19(1), 19(2)(d), (e), (g) and (h) and 41(1)(i)	120.	Subject to the provisions of directions of the Governing Body, if any, gifts, endowments or donations of money or other property made to the institute shall be utilised for the following purposes:- (a) for helping destitute persons in paying their hospital dues; (b) for purchase/ repair of small equipments / disposables prosthesis; (c) construction/ sanitation purposes; (d) research/ training of doctors; and (e) any other purpose decided as proper by a Committee to be set up for this purpose.
Sections 19(1), 19(2)(d),(e),(g) (h) and 41(1)(i)	121.	The Governing Body may set up a Committee to decide on investments of all donations, endowments and gifts. A separate annual account of income, expenditure and of unspent balances shall be maintained and reported to the Governing Body.
Section 41(1)(i)	122.	All movable property of the Institute shall be managed and checked periodically in such manner as may be mentioned in orders issued by the Governing Body in this behalf and the report of such checking shall be laid before the Governing Body in its meeting.
Section 41(1)(i)	123.	The Estate Officer shall prepare an annual report on the immovable property of the Institute for consideration of the Governing Body.
Section 33 and 34	124.	Power of Interpretation : In case of any matter regarding interpretation of regulations, the interpretation of the Government shall be final and binding.
Power of State Government to seek Explanation/Clarification	125.	The State Government may seek explanation/ clarification from the institute regarding compliance of Act/ Rules & Regulation, Government order etc and if required may issue direction to the implement of Section 33 of the Act. During pendency of explanation/clarification from the institute. State Government may issue interim order.

By order,
KAPIL DEV,
Pramukh Sachiv.

SCHEDULE I

(*See* Regulations 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 & 11)

Sl. No.	Nature of Powers	Dean/Finance Officer	Additional Director	Director	President	Governing Body	Institute Body	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Permanent	–	–	Full powers in respect of Group B, C, and D	Full Powers in respect of Faculty and Group A Officer excepting Executive Registrar	–	Full Powers in respect of Executive Registrar or as delegated	Powers are Subject to regulations
2.	Power to confirm successful completion of probation period.	–	–	Full powers in respect of Group B, C, and D	Full Powers in respect of Faculty and Officer of Group A	–	–	–
3.	Power to accept Resignation	Dean-full powers in respect of JR, SR	–	Full powers in respect of Group B.C & D.	Full Powers in respect of Faculty and Group A	–	–	For research as laid down by Governing Body from time to time
4.	To retain a Professor or Head of Department in the Faculty of the Institute beyond the age of suppera-nnuation.	–	–	–	Power exercisable with prior approval of governing Body & subject to the provisions of the regulation	–	–	–
5.	Power to allow retention of lien in the Institute for employees when they are appointed elsewhere.	–	Power in respect of group B, C & D up to a period of two years as laid down in the regulation	Power in respect of Faculty and Group A upto a period of two years as laid down in the regulation	–	Extension of lien beyond two years can be allowed by Governing Body after consideration of case of merits	–	–
6.	Power for fixation of pay of Institute employees under normal Rules	–	Full powers in respect of all categories	–	–	–	–	–
7.	Power to accept the terms and conditions on	–	Full power in respect of	Full powers in respect of		–	Full powers in respect of	

Sl. No.	Nature of Powers	Dean/Finance Officer	Additional Director	Director	President	Governing Body	Institute Body	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	foreign service terms in respect of deputationist of Central/ State Government where the terms are of usual nature.		Group B, C & D employees	Group A officers except the Executive Registrar			Executive Registrar or as delegated	
8.	Power of grant extension of tenure of senior/Junior Resident	Dean, Full powers subject to condition & limitations if any, imposed by AB/Governing Body from time to time	–	–	–	–	–	–
9.	To sanction grant of and to permit acceptance of honorarium.	–	–	Full power in respect of all officers and employees subject to the provisions of the regulations	–	–	–	–
10.	To Extend Joining time	Full power to Dean in respect of JR/SR/Students upto 30 days	Full power in respect of all employees upto 30 days	Full power in respect of all employees , excluding self, beyond 30 days upto 90 days	–	–	–	–
11.	Grant of leave	–	–	–	–	–	–	All powers are exercisable subject to the provisions of leave Regulation
	a) Casual Leave	Full power in respect of all employees posted under him, not including himself	–	Full power in respect of HODs, Finance Officer, Executive Registrar	–	–	–	All power are exercisable subject to the provisions of leave regulation
	b) Earned leave	To Medical supdt. full power in respect of all employees of Group B.,C, &	Full power in respect of all other employees of group	Full power in respect of Group A officers and Faculty	–	–	–	–

Sl. No.	Nature of Powers	Dean/Finance Officer	Additional Director	Director	President	Governing Body	Institute Body	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D on hospital side to Dean full powers with respect to JR/SR/students	B, C & D					
	c) Leave on half pay	–do–	–do–	–do–				
	d) Medical leave	–do–	–do–	–do–				
	e) Commuted leave	–do–	–do–	–do–				
	f) Maternity leave	–do–	–do–	–do–				
	g) extraordinary Leave	–	–	Full power in respect of employees of all Groups.	Full power in respect of faculty members	–	–	–
	h) Study Leave	–	–	In respect of all employees to be availed in India, full powers	In respect of all employees to be availed abroad, full powers	–	–	–
	i) Compensatory Leave	Only to employees of group C & D to HODs	–	–	–	–	–	–
	J) Disability Leave	–	In respect of employees of Group B, C, & D	In respect of faculty and officers of group A and officers of group A	–	–	–	–
12.	Power to permit the officers of the Institute for going abroad for any purpose	–	–	Full power up to 30 days	Full powers subject to the approval of Govt. of U.P.	–	–	–
13.	Power to permit the officers of the Institute to go abroad in connection with the work of the Institute and treatment of absence as on duty	–	–	Full powers up to 30 days	Full power subject to the approval of Govt. of U.P.	–	–	–

Sl. No.	Nature of Powers	Dean/Finance Officer	Additional Director	Director	President	Governing Body	Institute Body	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	To decide the shortest of cheapest of two or more routes,	–	–	-do-	–	–	–	–
15.	To permit class III, & IV employees to draw higher class railway fare when accompanying an officer or train which provides no IInd class.	–	–	Full powers	–	–	–	–
16.	Power to sanction advances to Institute employees on tour, transfer etc.	Finance Officer	–	–	–	–	–	–
17.	To countersign traveling allowance bills of officers & employees	–	–	Full powers in case of HODs within the Country and respect of T.A. claims of persons not in service of the Institute excluding those for whom Dean is empowered	–	–	–	For Research staff as laid down by Governing body from time to time.
18.	Power to sanction temporary/final withdrawal from provident fund	–	–	Full powers in respect of all other officers and employees except Director	Full powers in respect of director	–	–	–
19.	Power to sanction advances for law suit to which Institute is a party	–	–	Full power	–	–	–	–
20.	Power to sanction	Full power to Finance Officer	–	–	–	–	–	–

Sl. No.	Nature of Powers	Dean/Finance Officer	Additional Director	Director	President	Governing Body	Institute Body	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	advance for House building/Motor Car	as provided in Regulations						
21.	Power of re-appropriation of funds from sanctioned budget.	–	–	Full power	–	–	–	Report on re-appropriation shall be placed before the F.C. & G.B. at its subsequent meeting.
22.	a) Write off of loss of irrecoverable value of stores of public money including expired drugs & consumables	–	–	Up to 1 lac in each case as per procedure to be laid down by G.B.	–	Full power	–	Report to be placed before F.C. & G.B.
	b) Deficiencies and depreciation in value of stores	–	–	-do-	–	-do-		-do-
23.	disposal of obsolete, surplus and unserviceable	–	–	Capital items of purchase not exceeding ten lac on recommendation of condemnation board. Full powers in respect of non-capital items	–	Full powers on recommendation of condemnation Board through HLPC	–	–
24.	Power to accord administrative approval & expenditure sanction in respect of contingent expenditure provided for in the budget.	All above through departmental purchase committee	–	Upto Rs. 10 lac in case of capital items & full power in case of revenue items through Institute Purchase committee	–	Full powers for capital items through HLPC	–	Power with reference to utilisation of research grants to be defined separately by the Governing Body from time , to time.

Sl. No	Nature of Powers	Dean/FO	Additional Director	Director	President	Governing Body	Institute Body	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Power to approve purchases of stores the recommendation of Purchase Committee	–	–	upto fifty thousands	–	–	–	–
26.	Maintenance of building and petty works	–	–	–	–	–	–	–
	a) Original works and special repairs	–	–	1.00 Lacks	–	–	–	–
	b) Ordinary repairs	–	–	–Fifty thousands	–	–	–	–
	c) Annual repairs	–	–	1.00 lacks	–	–	–	–
27.	Powers to direct the payment on the last working day of month the pay & allowances of employees of the Institute where the first day of the following month is public holiday	–	–	Full power	–	–	–	–
28.	Power to order the retention of un-disbursed pay and allowance of establishment for any period not exceeding three months.	finance officer will have full powers	–	–	–	–	–	–
29.	To allot residence	–	–	Full powers in respect of all categories on recommendation of House allotment committee including cancellation, eviction & out of turn allotment on merit to all categories,	–	–	–	As per rule said down for the purpose

Sl. No	Nature of Powers	Dean/FO	Additional Director	Director	President	Governing Body	Institute Body	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	To direct that an officers on leave shall be considered to be in occupation of a residence	–	–	Full powers for the period of original deputation or the period of leave sanctioned.	–	Full powers	–	–
31.	Power to accept Research grant	–	–	Full powers	–	–	–	–
32.	Power to authorise the sale or transfer of motor vehicles purchased with advance from the Institute.	–	–	Full powers	–	–	–	–
33.	Destruction of official records	–	–	Full powers subject to the conditions and period to be laid down by Governing Body by general or special order, and subject to the provisions of Regulations	–	–	–	–

SCHEDULE –II

The appointing Authority, Punishing Authority and Appellate Authority for various posts in the Institute

Serial Nos.	Description of Posts	Appointing Authority	Punishing Authority	Appellate Authority
1	2	3	4	5
1.	Director	Governor	Governor	–
2.	Additional Director	Government	Government	as defined in government rules
3.	Finance Officer	Government	Government	as defined in government rules
4.	Faculty	President	President	Visitor
5.	Class I Officers excluding Executive Registrar	President	President	Visitor
6.	Executive Registrar	Government	Government	as defined in government rules
7.	Class II Officers	Director	Director	President
8.	Class III & IV Employees	Director	Director	President

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 290 राजपत्र (हि0)–2011–(875)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 सा0 चिकित्सा–2011–(876)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।